खण्ड-328, अंक-2
गुरूवार, 14 आश्विन, शक संवत् 1899
(6 अक्टूबर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची।

विषय			पृष्ठ-संख्या।
उपस्थित सदस्य	..	..	१६१-१६५
प्रश्नोत्तर	..	..	१६७-१९४
प्रश्नों पर अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने की प्रार्थना			१९५
प्रदेश म सूखे पर चर्चा के लिए समय निर्धारण की मांग		..	१९६-१९९
सदन में लगे यंत्रों से आवाज स.फ न सुनायी देने के सम्बन्ध में शिकायत	..	..	१९९
विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबौलिया, बस्ती में सरकारी अनुदान के गोलमाल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना		..	२००
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहमीना रोड, लखनऊ में हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना		..	२००
फैजाबाद में सिंचाई तथा विद्युत् विभाग में लापरवाही, भ्रष्टाचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना		..	२०१
हरिद्वार में धर्मशालाओं के लाइसेंसों के नवीनीकरण की अस्वीकृति से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना		..	२०१-२०२
भीषमपुर पोण्ड, जिला खीरी में हरिजनों की गायों के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना		..	२०२
सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं		..	२०२-२०३
वाराणसी जनपद, तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सधवे में गरीबों के साथ अन्याय से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत की गयी)		..	२०३
जिला पिथौरागढ़ में भू-स्खलन से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य			२०३-२०५
नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	..	..	२०६-२०७
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८---सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५---अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (जारी)	..	..	२०८-२६०
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	..	२६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (जारी)	२६१-२७१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	२७१-२७२
नियम ५१ की सूचनाओं पर निर्णय के समय सम्बन्धित मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने पर आपत्ति	२७२-२७३
मुरादाबाद एवं फर्रुखाबाद तथा प्रदेश के अन्य जिलों में मलेरिया के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२७३-२७८
पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में रिसीवर की नियुक्ति के विषय में २६ सितम्बर, १९७७ को तारांकित प्रश्न १२ व १३ के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	२७९-२८५
तालिकायां	२८७-२९७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ म ११ बजे दिन में अध्यक्ष,
श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३४९ + १ = ३५०

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदल, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
ओंकार सिंह श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम सिंगार सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औतार सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री

गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुज्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा अरविंद, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री

बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बैजू राम, श्री
बनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषन, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह, 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेंद्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री

राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जन्म, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लाल दास, श्री
लोलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह "निर्भय", श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (पिन्कू)
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री

हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरो सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री]

नोट--विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती सन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थी ।]

सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रति

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९७७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गाजियाबाद के औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर बकाया बिजली के बिल

*१--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में कौन-कौन से ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिन पर बिजली का बकाया है और वह रकम क्या है और कब से है ?

विद्युत् मंत्री--(श्री रवीन्द्र किशोर शाह)

गाजियाबाद में ४०१ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिनके विरुद्ध ३१ जुलाई, १९७७ तक बिजली के बिलों की ६७७४६०५.२० रुपये (लगभग ६७.७५ लाख रुपये) की धनराशि बकाया है। इन ४०१ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से ४७ ऐसे प्रष्ठिा हैं, जिनका विद्युत् भार १०० अश्व शक्ति से अधिक है तथा उनके विरुद्ध बिजली के बिलों की ४७४६७०७.८५ रुपये (लगभग ४७.४७ लाख रुपये) की धनराशि बकाया है। इन उपभोक्ताओं के नाम उनके विरुद्ध बकाया धनराशि व कब से धनराशि बकाया है, इसका विवरण संलग्न तालिका† (संलग्नक--१) में दर्शाया गया है। शेष ३५४ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनका विद्युत् भार १०० अश्व शक्ति तक हैं और इनके विरुद्ध बिजली के बिलों की २०२७८९७.३५ रुपये (लगभग २०.२८ लाख रुपये) की धनराशि बकाया है। इनके नाम बकाया धनराशि व किस अवधि से धनराशि बकाया है। इसके बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न तालिका† (संलग्नक-२) में दी गयी है।

श्री राम अधार--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ४०१ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान गाजियाबाद में हैं, जिन पर ६७.७५ लाख रुपये बकाया है। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वसूली न करने का कारण क्या है और क्या इसकी जिम्मेदारी विद्युत् परिषद् के चेयरमैन पर सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय, यह बकाये वर्ष १९७५ के हैं। जिन कारणों से उन दिनों वसूली रोक दी गयी है, उसकी जांच करा ली जायेगी। यह बकाया १९७५ के हैं और इसमें वांछित कार्यवाही की जा रही है।

†छापी नहीं गयी।

श्री राम अधार--

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जो लिखित जवाब मिला है, उसमें १९७५ से १९७७ तक बकाया है तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बकाये की बसूली न होने का क्या कारण है और वसूली न करने की जिम्मेदारी विद्युत् परिषद् पर डालने के लिए तैयार है कि नहीं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जो प्रश्नगत मामला है, उसमें १०० हार्स पावर के बकायेदार जो हैं, उनमें से १७ की लाईन काट दी गयी है। १८ से ३३ बकायेदार ऐसे हैं, जिनको १०० हार्स पावर से ऊपर की बिजली मिली है उन पर ४७-४७ लाख रुपये बकाया थे। इसमें से १७ की लाईन काट दी गयी है और १८ से ३३ तक लोग न्यायालय में हैं, ३ लोगों की किस्त कर दी गयी है, ४ सरकारी उपभोक्ता हैं, ४ मामले डिस्पयूट में हैं, २ पर २०-२० रुपये बकाया है और एक कोर्ट से मामला निर्णीत हुआ है। इस तरह ४७ मामलों में कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही नहीं हो रही है, इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम अधार--

मान्यवर, वसूली न करने का कारण बता दिया, लेकिन वसूली न करने की जिम्मेदारी चेयरमैन पर डालने के लिये तैयार है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाईन तो कटवा दी लेकिन रिकवरी सर्टीफिकेट जारी करने की कार्यवाही की गयी है कि नहीं ? यदि कार्यवाही की गयी, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, संलग्नक १ जो है, उसमें इन सब के विरुद्ध रिक्वरी सर्टीफिकेट की कार्यवाही कर दी गयी है और रिक्वरी सर्टीफिकेट को इम्पलीमेन्ट करने की जिम्मेदारी डी० एम० पर होती है। विद्युत् परिषद् की ओर से सर्टिफिकेट इन मामलों में भेज दिये गये हैं।

श्री सिंह चौहान रेम (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बोर्ड का ६० करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। तो क्या कोई नियम में अपने परिवर्तन करने जा रहे हैं जिससे वसूली जल्दी हो ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जहां तक नियम का प्रश्न है तो अभी तक स्थिति यह है कि हम उनसे डिमांड करें, बोर्ड उसके बाद बिजली काट दे और तीसरी बात बकाये की जो रकम है, उसके लिये रिक्वरी सर्टीफिकेट जारी कर देते हैं। यह स्थिति है। फिर भी कोशिश की जा रही है कि जैसा कि निवेदन किया कि गाजियाबाद के आंकड़े सामान्यतः देखें कि जो तालिका है, यह १९७५ की है। इधर वसूली पर तेजी की गयी है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन संस्थाओं में से कितनी संस्थायें बन्द हैं और जो बन्द नहीं हैं, पैसा न देने का सरकार को क्या जवाब उन्होंने दिया है ? ४७ प्रतिष्ठानों ने क्या जवाब दिया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, अलग-अलग लोगों के जवाब रहते हैं। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि १०० हार्स पावर से ज्यादा जो हैं उनमें से क्र० सं० १ से १७ तक के कनेक्शन काट दिये गये हैं। क्र० सं० १८ से ३२ तक मामले न्यायालय में हैं, उनके विरुद्ध २१.३६ लाख बाकी है। क्र० सं० ३३ से ३६ तक उपभोक्ताओं की किश्त कर दी गयी है।

श्री श्यामधर मिश्र--

कौन-कौन संस्थायें १ से ४७ में बन्द है और जिनसे जवाब तलब किया गया जो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका मुख्य जवाब क्या आया है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कौन-कौन बन्द हैं, तो यह मंत्री जी से सम्बन्धित नहीं है। आपका प्रश्न तो केवल इतना हो सकता है कि कितनों पर बाकी है। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि १ से १७ तक कनेक्शन काट दिये गये, उसके आगे से केस कोर्ट में हैं और कुछ की किश्त कर दी गयी है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

बड़े उपभोक्ताओं पर बकाये धनराशि को देखते हुये जो कार्यवाही माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताई है, उस कार्यवाही में विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष, श्री बालिगा का सेवा काल भी विचाराधीन है, इसी प्रश्न के साथ।

श्री अध्यक्ष--

इससे नहीं उठता है। उस का उत्तर दे दिया है कि क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि पिछले शासन ने गाजियाबाद के औद्योगिक प्रतिष्ठान को लाखों रुपयों की छूट बिजली के मामले में दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, यह तो अलग प्रश्न है। इस के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप यह कहें कि नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसका जवाब आ जाय....।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा इसके लिए नोटिस दीजिए ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि वह जो उद्योग हैं, जिनकी बिजली काट दी गयी है, चोरी छिपे चला रहे हैं उनके खिलाफ सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जिनकी बिजली काट दी है, वे अनियमित बिजली ले रहे हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना को आधार मान कर और वैसे भी विजीलेन्स इन्फोर्समेन्ट स्टाफ चेकिंग करता रहा है, अभी और भी कनेक्शन काटते रहे हैं, मैं गाजियाबाद की चैकिंग करा दूंगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । यह तरीका नहीं है । पूरे दस मिनट एक प्रश्न पर हो गये .... ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं श्री सुखपाल पांण्डेय जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का व्यवधान डालना अत्यन्त अनुचित और अशोभनीय है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक औचित्य का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। मैं फिर कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि एक घण्टे का प्रश्नों का समय है । आप अनावश्यक रूप से समय नष्ट कर रहे हैं। जो लोग चीत्कार करेंगे उनको अनुमति नहीं दूंगा । आप शांति से अपने स्थान पर खड़े हों । यह आवश्यक नहीं है कि एक स्थानीय प्रश्न गाजियाबाद पर ही सब लोग उठें ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पुनः बोलने पर)

जनार्दन जी, मैं मजबूर हो कर आप को बाहर निकालने के लिए कहूंगा ।

चिकित्सा विभाग में पैरा मेडिकल वर्कर्स की नियुक्ति

*२--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पैरा मेडिकल वर्कर्स की नियुक्ति हेतु जनवरी, १९७४ से १५ जुलाई, १९७७ तक कब-कब तथा कितने-कितने अभ्यर्थियों के नाम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ में प्राप्त हुए ? इनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? क्या यह सही है कि इन चुनावों में कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

स्वास्थ्य मंत्री श्री कल्यान सिंह--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये संख्या "क,, आगे पृष्ठ २८७ पर)

श्री अठई राम--

माननीय मंत्री जी ने जो यह सूची सदन के पटल पर रखी है इसके अनुसार यह बताने की कृपा करेंगे कि चयन जो साइंस (विज्ञान) के लिए हुआ था, उसको न कर के कृषि विज्ञान और कला के छात्रों की नियुक्ति की गयी और दूसरी बात यह है कि जो १९७५ में १५६, १९७६ में २१६, १९७६ में ११० और १९७७ में २८७ आदमियों की नियुक्ति हुई है इनमें हरिजनों का कोटा पूरा है ? इन में हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, जहां तक हरिजनों के कोटे का प्रश्न है, प्राप्त सूचना के अनुसार इन चारों चयनों में हरिजनों का कोटा पूरा किया गया है ।

श्री अठई राम--

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार से ऐसे आदेश थे कि विज्ञान के छात्रों की भर्ती उसमें की जाय, लेकिन उसके अनुसार न करके कला और कृषि विज्ञान के छात्रों की भर्ती की गयी जैसा कि बस्ती जिले में किया गया, क्या यह सही है ?

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, इसमें हाई स्कूल साइंस का लिया जाय या न लिया जाय, इस प्रकार की सूचना नहीं है । लेकिन जो चयन हुये हैं, उसमें एक चयन पहली अप्रैल, १९७५ को साक्षात्कार पर हुआ था । उसके बाद तीन चयन हाई स्कूल के प्राप्तांक के अनुसार हुये हैं । बाकी जो कह रहे हैं कि साइंस का नहीं लिया, आर्ट्स का लिया गया, उनको सूचना दे दें तो जांच करा लेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे निश्चित जानकारी है कि इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुयी है। विज्ञान के छात्रों को न लेकर कला, आर्ट्स और विभिन्न संकाय के छात्रों को लिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो अनियमितताएं हुयी हैं, उनकी सी० आई० डी० या किसी अन्य संस्था से जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, इसमें पहले देखना होगा कि इस चयन के लिये न्यूनतम अर्हता विज्ञान रखा गया है या कला भी इसके लिये है। चूंकि इसमें पहले कोई सूचना इंगित नहीं थी, इसलिये इसमें सूचना की आवश्यकता है। लेकिन यदि नियमों से विरुद्ध हुआ है, तो आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची दी गयी है, उसमें सूची संख्या ३६ में बहराइच का नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष १९७६ में ५ नाम भेजे गये थे। इसमें ३ का चयन किया गया, १९७७ में १० नाम भेजे गये थे, इसमें ४ का चयन किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने विज्ञान, कितने कला और कितने कृषि के थे ?

श्री कल्याण सिंह—

इसमें तो छांटना पड़ेगा कि विज्ञान के कितने थे और कला के कितने थे। यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें अर्हता विज्ञान थी या कला और कृषि भी थी। चूंकि प्रश्न में ये बातें इंगित नहीं थीं, इसलिये जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि जो बस्ती जिले से अभ्यर्थी चुनाव में आये थे, उनके प्राप्तांक क्या थे और क्या यह सही है कि गाजीपुर के सी० एम० ओ० से फर्जी सर्टिफिकेट देकर साइंस के लोगों को चुनाव में शामिल करके चुनाव किया गया ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितने-कितने लोगों को चुना गया ? जिनको सेवायोजन कार्यालय ने नहीं भेजा उनको भी शामिल कर लिया ?

श्री अध्यक्ष—

प्राप्तांक का जहां तक प्रश्न है, वह तो देना सम्भव नहीं होगा। अनियमितताओं के बारे में मंत्री जी उत्तर दे दें कि जिन लोगों के नाम सेवायोजन कार्यालय ने नहीं भेजे, उनको भी परीक्षा में शामिल कर लिया ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, ऐसी कोई बात नहीं है कि सेवायोजन कार्यालय से नाम आये हों और उनका चयन न किया गया हो।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९७७ में कितनी भर्ती की गयी और उनमें अनुसूचित जाति के कितने आदमी भर्ती किये गये ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, मैंने तो प्रतिशत निकाल कर बताया है। उनकी असल-असल संख्या प्राप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइय। मैं आपको एक से अधिक अनुपूरक की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या यह सही है कि इन चुनावों में कम अंक प्राप्त करने वालों का चुनाव किया गया जिसका उत्तर दिया गया "जी नहीं"। उसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि बस्ती में २६ लड़कों में से २० ले लिये गये और बुलन्दशहर में ८ में से केवल १ लिया गया, तो क्या बुलन्दशहर के लड़कों में योग्यता नहीं थी और ऐसा कई अन्य जिलों में भी हुआ है, तो किस तरह से लड़कों की छटाई हुई है?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में कहा गया है कि कम नम्बरों के आधार पर नहीं लिया गया, लिहाजा यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

[दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, सीतापुर के गैंगमैनों तथा मेटों के स्थायीकरण की मांग

*१—श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर द्वारा गैंगमैनों तथा मेटों को स्थायी करने के बारे में कोई पत्र जून, १९७६ में मिला था? यदि हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मालवीय जी जैसे कुशल तथा अनुभवी प्रशासक द्वारा उत्तर सुन कर आश्चर्य हुआ। सीतापुर नगरपालिका में गैंगमैन और मेट, जिनमें हरिजन भी हैं, पिछले १२, १४ साल से डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं और १९७६ में नगरपालिका ने यह संस्तुति की थी, राज्य सरकार से कि इनको स्थायी कर दिया जाय। १४ महीने से यह मसला शासन के विचाराधीन है और यह फाइल नगरपालिका के अनुभाग ९ में विचाराधीन है। पुरानी सरकार ने तो उपेक्षा की ही और वर्तमान मंत्री जी भी, अभी तक सूचना एकत्रित कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय अगली बार पूरी सूचना एकत्रित कर लें।

श्री अध्यक्ष—

इस सवाल को मैं स्थगित करता हूं।

समाचार पत्रों तथा संवाद समितियों के पत्रकारों की अन्तरिम सहायता

*२—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पत्रकारों को दी जाने वाली अन्तरिम सहायता अभी किन-किन समाचार-पत्रों तथा संवाद समितियों के पत्रकारों को नहीं दी गयी है ? न देने का कारण क्या है तथा अन्तरिम सहायता कब तक दे दी जायगी ?

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

शासन स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार पत्रकारों को दी जाने वाली अन्तरिम सहायता, जो १ अप्रैल, १९७७ से देय थी को अभी तक प्रदेश के सूची में उल्लिखित १६ प्रतिष्ठानों ने लागू नहीं किया है । इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९१ पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह कानूनी कार्यवाही किस ऐक्ट की किस धारा के अन्तर्गत की जा रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । उसके अन्तर्गत बकाया भी वसूल कर सकते हैं और १८ के अन्तर्गत जुर्माना भी कर सकते हैं । ३२ में १६ पत्रकार दे चुके हैं । बनारस के पत्र आर्थिक कठिनाई में हैं । ७ पत्रों के प्रबन्धकों को थोड़ा समय चाहिये । कुछ लोग भारत सरकार से इंटर प्रिटेशन के मुताल्लिक राय ले रहे हैं । फिर भी ४, ५ को कारण बतलाओ नोटिस दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार—

यह नोटिस कब जारी किया गया है इन समाचार पत्रों को ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

तारीख तो नहीं बतला पाऊंगा बिना सूचना के मगर उन पत्रों के नाम बतलाये देता हूं । नियासत, आज (कानपुर), जागरण (कानपुर) और एक दो पत्र बाहर के हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६ प्रतिष्ठानों ने पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने के लिए नियम लागू नहीं किए । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं, जो अन्तरिम सहायता दे रहे हैं, साथ ही साथ इससे प्रभावित पत्रकारों की संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मंत्री जी ने संख्या बताई कि १६ प्रतिष्ठानों ने लागू नहीं किया मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रतिष्ठान कितने हैं जिन्होंने लागू किया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने बतलाया कि कुल ३२ है इनमें से १६ ने लागू किया और १६ ने नहीं लागू किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जिन प्रतिष्ठानों ने अब तक अन्तरिम सहायता नहीं दी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उनको जो सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं वह तब तक बन्द कर दिए जायेंगे, जब तक कि वह पूरा भुगतान न कर दें ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है १ अप्रैल, १९७७ का आर्डर है अभी तीन ही महीने हुए हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह जो १६ प्रतिष्ठान सहायता नहीं दे रहे हैं। क्या इसमें बनारस का अखबार भी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, अखबार भी है मगर वह केन्द्र से कुछ कानूनी प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मांग रहा है ।

*३--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[दिनांक ७-१०-७७ के लिए स्थगित] ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, उत्तर रह गया है (व्यवधान) इसे कल के लिए कर दिया जाय।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मेरे पास उत्तर मिल चुका है बाद में इसमें सप्लीमेन्टरी फिर नहीं हो पायेंगी ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी इसको कल के लिए स्थगित किया जाता है ।

*४--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[दिनांक ७-१०-७७ के लिए स्थगित] ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी क्या चौथा सवाल भी स्थगित किया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

यह भी उसी से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

इसे भी कल के लिए स्थगित किया जाता है ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अधिग्रहीत लाइसेन्सधारी विद्युत् कम्पनियों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण एवं बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लि० (गोंडा) के कर्मचारियों का शिकायती-पत्र

*५--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री मैनेजर सिंह, श्री सुखपाल पांडेय, श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

(अनुपस्थित) ।

श्री अदल तथा श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की मानक सेवा शर्तों एवं वेतन परिलब्धियों के लिए लाइसेन्सधारी विद्युत् कम्पनियों के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश १९७३ या उसके उपरान्त प्रसारित किया गया है ? यदि हां, तो वह शासन देश क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं, इस प्रकार के कोई शासनादेश राज्य सरकार द्वारा निर्गमित नहीं किए गए हैं । राज्य विद्युत् परिषद् ने दो आदेश जनवरी, १९७३ तथा जून, १९७५ में इस विषय पर निर्गत किए जिनमें मुख्यतः यह कहा गया है कि भूतपूर्व लाइसेन्सधारी कर्मचारियों को वरिष्ठता तथा परिषदीय पदों पर प्रोन्नति का लाभ उस दिनांक से मिलेगा जिस दिनांक से वे परिषद् की मानक सेवा शर्तों को स्वीकार कर लें ।

*६--श्री मुहम्मद रफी खां, श्री मैनेजर सिंह, श्री सुखपाल पान्डेय, श्री गोविन्द सिंह नेगी--

(अनुपस्थित) ।

श्री अदल तथा श्री रणजीत सिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० प्राइवेट लि०, बलरामपुर, जिला गोण्डा के कर्मचारियों का उपरोक्त विषय से सम्बन्धित शिकायती-पत्र जुलाई, १९७७ या इसके पूर्व शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उनको दूर करने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं उठाए, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिला गोंडा के अधिगृहीत कर्मचारियों के शिकायती-पत्र राज्य सरकार व विद्युत् परिषद् में समय-समय पर प्राप्त हुए हैं । उनकी शिकायतें मुख्यतः निम्नलिखित हैं :

(१) हस्तान्तरण के पश्चात् उन्हें निम्न पद व वेतनक्रम में रखा गया ।

(२) परिषद् के कर्मचारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करके उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई ।

(३) उन्हें परिषदीय पदों पर स्थायी घोषित नहीं किया गया । उनकी मांग संख्या १ को स्वीकार करना इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि प्रश्नगत कम्पनी अपने कर्मचारियों को असामान्य रूप से उच्च वेतन दे रही थी, अतः परिषद् ने वेतन फिटमेन्ट करते समय उन्हें परिषद् में यथासम्भव समकक्ष पद व वेतन निर्धारित किए। उनकी मांग संख्या २ व ३ को स्वीकार करना इसलिए सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने परिषद् की मानक सेवा शर्तों को स्वीकार नहीं किया ।

श्री मैनजर सिंह—

इसमें दो तरह के सवाल हैं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कम्पनियां अधिग्रहीत की गई हैं, उनके कर्मचारी जो वेतन पा रहे थे, तो क्या उससे कम वेतन देने का बोर्ड का आदेश था ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, छठे प्रश्न के उत्तर की अन्तिम पंक्तियों को यदि मननीय सदस्य देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । जब विद्युत् परिषद् ने कम्पनियों का अधिग्रहण किया, तो कतिपय कम्पनियों ने, जिसमें बलरामपुर अंडरटेकिंग भी है, चलते चलाते अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया । जैसे फिटर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का २ सौ रुपया पाता है, तो उन्होंने ३ सौ रुपया कर दिया । इस अत्यधिक वृद्धि से हमारी कुछ मजबूरी हो गयी । हम स्टैंडिंग आर्डर ऐक्ट के अन्तर्गत इन्हें लेते हैं, इसके बाद हम उनकी सेवा शर्तों आदि को तय करते हैं । जब हम इसे कर लेते हैं और सर्विस के एक-एक पद को तैयार कर लेते हैं, तो कर्मचारियों से कहते हैं कि बोर्ड की सेवा शर्तों को स्वीकार करो । जिस डेट को वह स्वीकार कर लेते हैं, उस डेट से, बोर्ड में सृजित जो पद हैं, उनके वेतनक्रम और पदोन्नति की सुविधाओं आदि में उनकी गुंजायश हो जाती है । किन्तु जो स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए हमारी दिक्कत होती है । जो प्रश्नगत कम्पनी है, उन्होंने बोर्ड की शर्तों और हमारे वेतन क्रम को स्वीकार नहीं किया है, अतः यह कठिनाई है ।

श्री ऊदल—

प्रश्न संख्या ६ से सम्बन्धित, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बलरामपुर बिजली सप्लाई कम्पनी का एकाउन्टेन्ट, जो उस वक्त १५०-२५० के वेतनक्रम में था, जो ज्यादा भी नहीं था, उसको विद्युत् परिषद् ने ८०-१२० के वेतनक्रम में रखा है ? यदि हां, तो क्या वह उसकी जांच करवाएंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, ऐसा था कि १९६४ में इस कम्पनी को अधिगृहीत किया गया । अधिगृहीत करते समय समकक्ष १००-१७० अकाउन्टेंट का वेरियेशन था । मैंने पहले ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि हमारी सर्विस कंडीशन्स को, सेवा शर्तों को जो अंडरटेकिंग्ज स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने की तिथि से बोर्ड के कर्मचारी हो जाते हैं । अभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है इसलिए पूर्व वेतन जो पा रहे थे वह पा रहे हैं । मैं सूचना के आधार पर, मांग कर जांच करा लूंगा कि इस पर्टिकुलर केस में अन्याय तो नहीं हुआ है । अगर हुआ है, तो निराकरण कर दिया जायगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि बम्बई उच्च न्यायालय ने ए० आई० आर० १९५८ में निर्णय दिया है कि जो वेतन दिया जा रहा है, वह घटाया न जाय, यह उसके विरुद्ध है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सुखपाल जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं कि परिषद् में जो वेतन है उसमें फिटनेस के अधीन वेतन दिया जायगा, जो लाइसेन्स्ड कम्पनियां थीं उन्होंने ज्यादा वेतन दे रखा था । इस लिए प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बनायी गयी सेवा नियमावली के नियम २१ (२) और ३० (१) के यह विपरीत नहीं है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, माननीय सदस्य पूरा उल्लेख कर दें । मैंने तो निवेदन किया यह सारे प्रश्न तब उठेंगे जब हमारे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सेवा शर्तों को अधिगृहीत कम्पनी के कर्मचारी स्वीकार कर लें । अभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है इस लिए विपरीत काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कर्मचारी आखिर अब किसके कर्मचारी माने जा रहे हैं, प्राइवेट कम्पनी के माने जा रहे हैं या विद्युत् परिषद् के कर्मचारी माने जा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कम्पनी जब ले ली गयी तो प्राइवेट कर्मचारी नहीं रहेगा, वह स्टैंडिंग आर्डर के तहत में ले लिया गया, उसके बाद असेसमेन्ट और फिटनेस करते हैं जिस कम्पनी को लिया उसकी प्रापर्टी का असेसमेन्ट करते हैं कि क्या देना क्या पावना है । फिटनेन्ट आफ सर्विसेज करते हैं, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूल्स के मुताबिक, कि कोई पदाधिकारी उस पद के उपयुक्त है या नहीं, फिर लोगों से दस्तखत कराते हैं । अभी स्टैंडिंग आर्डर के तहत ये कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद रफी खां---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बलरामपुर की तरह शाहजहांपुर में भी यही हुआ, जहां-जहां कम्पनी हाथ में ली गयी उन लोगों को डिग्रेड कर दिया गया है, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को असिस्टेन्ट इंजीनियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर बना दिया गया है, क्या माननीय मंत्री जी गौर करेंगे कि ऐसा भेद क्यों हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, 29 कम्पनियों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया है । उसमें मान्यवर, कुछ फिटमेन्ट के केसेज शेष रह गये हैं और अधिकांश में हो गये हैं । जब इस तरह का मामला आता है तो वहां पर अधिकारी जाता है और वह वहां पर

सभी चीजों को देखता है । हुआ यह है, मान्यवर, कि कम्पनियों ने जाते जाते उन्होंने तार निकाल लिया और दूसरे उन्होने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया । इस प्रकार से बढ़े हुए वेतन को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए मानना संभव नहीं हो पा रहा है ।

श्री रणजीत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करते समय उनकी पदोन्नति का भी ध्यान रखा गया है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैं फिर यह दुहरा देना चाहता हूं कि उन्होंने परिषद् की मानक सेवा शर्तों को स्वीकार नहीं किया है जब तक वह उनको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक यह सम्भव नहीं है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आफीसर जिस पद पर था उसको उसी पर रखने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पहले से सेवा करते आ रहे हैं, उनकी योग्यता और उनके अनुभव को देखते हुए अपने यहां संवर्ग में स्थायी करने की कृपा करेंगे और पदोन्नति में उचित स्थान देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है । माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जब तक वे सेवा शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी इन विषयों पर जांच और निर्णय करने के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अपिलेन्ट के लिए एक अधिकारी जाता है और वह सब चीजों को देखता है और उसके निर्णय पर जिस कर्मचारी को एतराज होता है तो वह आपत्ति करता है उसको हियरिंग बोर्ड में होती है । फिर भी अगर उसकी आपत्ति दूर नहीं होती है, तो सरकार उसको सुनती है । इसलिए ट्रिब्यूनल की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नगरपालिका, बलिया के अन्तर्गत मौजा कंसपुर की मतदाता सूची

*7--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जनपद का कंसपुर मौजा, नगर पालिका, बलिया के क्षेत्र में पड़ता है किन्तु जो मतदाता सूची नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत तैयार की गई है उसमें इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वहां के निवासी किस प्रकार नगरपालिका चुनाव में भाग लेंगे उसके लिए सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका, बलिया की मतदाता सूची के अनुसार कंसपुर में कोई मतदाता नहीं है । 1971 की जनगणना में यह ग्राम गैर आबाद दिखाया गया है । पिछले चार वर्षों से कुछ परिवार यहां आकर बसे हैं । अब उन्होंने मतदाता सूची में नाम बढ़ाने हेतु दावे दाखिल किये हैं । जिन पर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है । दावे स्वीकार हो जाने पर ये 22 मतदाता चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे आदेश हैं कि जिन्होंने कोई दरख्वास्त न दी हो और वह उस गांव में रहते हों, तो वह मतदाता सूची में आ जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, 22 मतदाताओं ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी और वह सारे मामले देखे जा रहे हैं । यह क्षेत्र निश्चित रूप से नगरपालिका का क्षेत्र है । मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए नियमानुकूल कार्यवाही की जाती है । नियम है कि मतदाता लोग आपत्ति करें, तो उसकी सुनवाई की जाती है और तब उसके नाम को काटे जाने या बढ़ाने की कार्यवाही की जाती है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गांव पहले गांव पंचायत में था और उसके मतदाता जयवा स्थान पर थे, इसलिए उन्होंने शहर में आपत्ति नहीं की तो क्या ऐसी परिस्थिति में उन्हें नगरपालिका चुनाव में भाग लेने का अधिकार देंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसको कानूनी दृष्टि से देख लिया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पहले सेन्सस हुआ था उसमें इन लोगों का नाम है ? यदि है, तो इनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

22 आदमियों का नाम दर्ज हो गया है और बाकी के लिए भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मंनेजर सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन लोगों के नाम जनगणना में थे तो मतदाता सूची में क्यों नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष--

1971 के सेन्सस में इनके नाम थे, तो क्यों नहीं उनको लिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जनगणना में मान्यवर, ऐसे भी लोग होते हैं जो मत देने के लिए योग्य नहीं होते हैं । जनगणना में नाबालिग बच्चों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है लेकिन मतदाता सूची में उन्हीं का नाम सम्मिलित किया जाता है, जिनकी उम्र 21 वर्ष हो गयी हो । मान्यवर, यह गांव 1951, 1961, 1971 की जनगणना में गैर आबाद दिखाया गया है क्योंकि यह बालक के रूप में था ।

एटा जिले की नगरपालिका, कासगंज के विद्युत कर्मचारियों के बकाये का भुगतान

8--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री राम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट संख्या 611 (ii) छत्तीस सी-68(3) (एस० एम०)-1966, दिनांक 11-2-1971 में प्रकाशित जिसमें नगरपालिका बिजली कर्मचारियों के वेतनमानों को निश्चित करने का आदेश था एवं स्वायत्त शासन अनुभाग-3 के पत्र संख्या 4151/9-3-109-ई०/68, दिनांक 31-1-72 को प्रसारित आदेश कि उक्त राजाज्ञा के आधार पर समस्त अवशेष धन 31-3-73 तक अवश्य भुगतान कर दिए जायें, के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि एटा जिले की नगरपालिका कासगंज के विद्युत कर्मचारियों के उक्त राजाज्ञा अनुसार उक्त तिथि तक अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत-शासन उप-मंत्री-- (श्री सत्य प्रकाश)---

जी नहीं, क्योंकि नगरपालिका कासगंज के विद्युत प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने वेज बोर्ड की संस्तुतियों से शासित होने या तत्समय पे स्ट्रक्चर में रहने के सम्बन्ध में उनसे मांगा गया लिखित विकल्प 31-3-1972 तक नहीं दिया था तथा इस बीच उक्त कर्मचारियों की सेवायें 1-4-1972 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हस्तान्तरित हो गयी थी । यह मामला श्रम न्यायालय आगरा के विचाराधीन भी है ।

श्री नेतराम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वेज बोर्ड की सिफारिश के अन्तर्गत जो उनका मांग पत्र देना बताया गया है वह किस नियम के अनुसार था और क्या बिजली कर्मचारियों को नोटिस दी गयी थी ?

श्री सत्य प्रकाश--

माननीय, नगरपालिका, कासगंज ने उनसे यह मांग की थी कि उनके सामने दो प्रकार के आप्शन्स हैं, तो किस में वे रहना चाहते हैं ? यह विकल्प 31-8-71, उसके बाद 30-9-71 तक अपेक्षित था । लेकिन नगरपालिका, कासगंज के विद्युत् प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने 31-3-72 तक ऐसा कोई विकल्प लिखित रूप से नहीं दिया । इसके बाद 1-4-1972 से यह प्रतिष्ठान राज्य विद्युत् परिषद् में चला गया । इसलिए उनका उत्तर नहीं आया । अतः हम उसको लागू नहीं कर सके ।

श्री नेत राम सिंह--

मेरे कहने का मतलब यह है कि नगरपालिका ने कोई नोटिस दिया था कि 31-3-1973 को लिखित रूप से उनको कोई सूचना नहीं दी गई कि उस वेतन को नहीं देंगे ? कोई इस प्रकार की नोटिस दी गई थी ?

श्री सत्य प्रकाश--

ऐसा है कि नगरपालिका, कासगंज में जो वेज बोर्ड की संस्तुतियां थीं, वहां कासगंज में 4-6-1971...

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आपने कहा कि उनसे विकल्प मांगा गया था तो वे पूछना चाहते हैं कि किसने मांगा था ? इसको अगर आप साफ कर दें तो उत्तर साफ हो जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश--

पहले 31-8-1971 फिर उसके बाद 30-9-1971 को नगरपालिका कासगंज ने अपने बिजली कर्मचारियों से विकल्प मांगा था ।

श्री नेत राम सिंह--

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, कासगंज के कर्मचारियों ने अपने पे स्केल रिवीजन के लिए एक आंदोलन सन् 1972 में चलाया था उस समय जिलाधिकारी, एटा ने उनको वेतन दे देने का आदेश दिया था ?

श्री सत्य प्रकाश--

आंदोलन की तो कोई सूचना नहीं है । लेकिन फिलहाल यह मामला श्रम न्यायालय, आगरा में विचाराधीन है ।

*9--श्री बिहारी लाल हंस--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*10--श्री रामदत्त जोशी--

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिकित्सा विभाग में 'हाफ ए मिलियन जाब्स' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों को आशुलिपि एवं टंकण का कथित प्रशिक्षण ।

*11--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में "हाफ ए मिलियन जाब्स" के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के अधीन अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के लोगों को हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम चला था उसमें कितने छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनमें से कितने लोगों को अब तक सेवा कार्य में लगाया जा सका है और कितने अभी बेकार हैं ?

श्री कल्याण सिंह---

वर्ष 1974-75 में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया था ।

132 के० वी० विद्युत उप स्थान (सब स्टेशन) बलरामपुर की स्थापना

*12---श्री अशफाक (जिला गोंडा)--

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बलरामपुर में 132 के० वी० का सब-स्टेशन जिसका भवन आदि निर्मित हो चुका है उसे अभी तक चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उनके उपकरण आदि किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिए गए हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

जी हां ।

132 के० वी० विद्युत उप स्थान बलरामपुर का कार्य उसकी प्राथमिकता को आगे बढ़ा दिये जाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

श्री अशफाक---

क्या माननीय विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी प्राथमिकता क्यों बढ़ा दी गई तथा कितना कार्य हो जाने के बाद बढ़ाई गई और इसके बढ़ाने से बोर्ड को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

माननीय, यह कार्य जून, 1978 तक पूरा कर लिया जायेगा । जहां तक प्राथमिकता बढ़ाने का प्रश्न है तो इस लाइन के निर्माण करने का दायित्व एक रिचर्डसन कुदास लिमिटेड, बम्बई को दिया गया था । परन्तु यह कम्पनी काम नहीं कर पाई, इसलिये इसकी प्राथमिकता और आगे बढ़ानी पड़ी ।

*13---श्री अशफाक---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आपातकाल में नसबन्दी के फलस्वरूप मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान

*14---श्री रमाशंकर कौशिक---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकालीन स्थिति में नसबन्दी के कारण हुई मृत्यु अथवा शारीरिक असमर्थता के एवज में मृतक के परिवार अथवा व्यक्ति को कोई धनराशि देने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री कल्यान सिंह--

आपातकालीन स्थिति में पुरुष एवं महिला नसबंदी के कारण हुई मृत्युओं के मामले में अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता का भुगतान किये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हुये थे, परन्तु शारीरिक असमर्थता के एवज में अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध म कोई नियम नहीं है ।

भारत सरकार से प्राप्त उपरोक्त निर्देश निम्न आशय के हैं :--

यदि पुरुष एवं महिला नसबंदी आपरेशन/लूप निवेशन करवाने वाले व्यक्ति की अपने आपरेशन/निवेशन के १० दिनों के भीतर मौत हो जाती है तो उसके जीवित पति/पत्नी को अथवा यदि उसका पति/पत्नी जीवित न हो तो उसके उत्तराधिकारी को ५,०००·०० रुपये की धनराशि दी जाय भले ही मौत का वास्तविक कारण कुछ भी हो । जिन मामलों में नसबंदी आपरेशन/लूप निवेशन की तारीख से चार सप्ताह के बीच कोई जटिलता उत्पन्न हो जाने और तत्पश्चात् उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो यह सत्यापित हो जाने पर कि मृत्यु आपरेशन/लूप निवेशन के परिणाम स्वरूप हुई, ५,००० रुपये की धनराशि अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में दे दी जाय ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मृत्यु हो जाने के बारे में जो सरकार का फैसला है, वह साधुवाद तो अपना हो लिया है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति में ऐसे बहुत से केसेज हुए हैं कि जिनको नसबन्दी करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कारण ऐसा कर दिया गया है । तो ऐसे केसेज में जिनके बारे में यह सत्यापित हो जाय कि वाकई उन व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको शारीरिक रूप से हानि हुई है, कोई अनुग्रहपूर्वक राशि देने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्यान सिंह--

यदि कोई प्रार्थना-पत्र देगा और यह सत्यापित हो जायगा कि वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनकी चिकित्सा का पूर्ण प्रबन्ध सरकार की ओर से होगा, चाहे कितना ही उसमें व्यय हो ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके क्या आदेश होंगे, क्या व्यवस्था होगी ? जिलाधिकारी को या किसी और अधिकारी को यह काम सौंपा जायगा ?

श्री कल्यान सिंह--

शिकायत होने पर उसकी जांच होगी ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

कौन सत्यापन करेगा ?

श्री अध्यक्ष--

क्या आप कोई ऐसा परिपत्र प्रसारित करेंगे और किसी अधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी को, इस काम के लिए नियुक्त करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

इस की जांच का काम जिलाधिकारी से करायेंगे । उनको ही प्रार्थना-पत्र देना होगा ।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)---

नसबन्दी से सबसे ज्यादा हानि जो हुई है वह कांग्रेस पार्टी की हुई है, तो क्या उनको भी कोई धनराशि देने की बात मन्त्री जी सोचेंगे ?

(हंसी)

श्री कल्याण सिंह---

कांग्रेसियों के व्यक्ति जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है ।

श्री प्यारे लाल (जिला एटा)--

हमारे प्रदेश में कितने ऐसे केसेज हैं जिनको आपने धनराशि दी है क्योंकि हमारे जिले एटा में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी लेकिन उसको कोई धनराशि नहीं दी गई है ?

श्री कल्याण सिंह--

केसेज की सूचना देने के लिए तो नोटिस की आवश्यकता है लेकिन उनके जिले में कोई केस हुआ है, अगर वे लिख कर देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा और अगर वह एलिजिबिल होगा, तो जरूर सहायता करेंगे ।

*१५--श्री राम आसरे --

[६ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१६--श्री अजीत सिंह सेठी--

[दिनांक १४-६-७७ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त] ।

मेसर्स इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेसेटिकल लि०, ऋषिकेश, देहरादून के कर्मचारियों की हड़ताल एवं उनकी मांगें

*१७--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश के एंटी बाइटिक प्लान्ट (आई० डी० पी० एल०) में जो श्रमिक हड़ताल चल रही है वह कितने दिनों से चल रही है तथा हड़ताली श्रमिकों की मांगें क्या हैं एवं हड़ताल खत्म कराने की दिशा में क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मेसर्स इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल लि०, ऋषिकेश, देहरादून में दिनांक ८ अगस्त, १९७७ की रात्रि के १० बजे से दिनांक २७ अगस्त, १९७७ को रात ११ बजे तक हड़ताल रही ।

श्रमिकों की मांगें निम्न प्रकार हैं :--

(१) वेतन वृद्धि की जाय तथा बोनस का भुगतान कराया जाय ।

(२) मस्टर रोल के श्रमिकों को नियमित श्रमिक घोषित किया जाये ।

(३) कैन्टीन के श्रमिकों को नियमित श्रमिकों को भांति वेतन तथा सुविधाएं दी जायें ।

(४) वर्ष १९७४ में हड़ताल/तालाबन्दी के समय का १८ दिन का काटा गया वेतन दिलाया जाये ।

राज्य शासन ने २०-८-७७ को हड़ताल को समाप्त करने के लिये निषेधाज्ञा जारी की थी जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की दिनांक २७ अगस्त, १९७७ से हड़ताल समाप्त हो गई और प्रतिष्ठान में कार्य आरम्भ हो गया । श्रमिकों को बोनस, मस्टर रोल श्रमिकों को नियमित करने तथा कैन्टीन श्रमिकों को सुविधाएं दिये जाने की मांगों को १५-८-७७ को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है ।

जल निगम, लखनऊ में लैब असिस्टेन्टों का चयन

*१८--श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में माह अप्रैल, १९७७ में लैब असिस्टेंटों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो उनमें कितने व्यक्तियों क चुनाव सेवायोजन कार्यालय की सूची के आधार पर और कितने वाह्य प्रार्थना-पत्रों के आधार पर किया गया ? क्या कुछ अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों को यह कहकर निरस्त कर दिया था कि चयन केवल सेवायोजन कार्यालय की सूची से ही होगा ? क्या मन्त्री जी अनियमितता के आधार पर हुए चयन को निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । एक व्यक्ति का चुनाव सेवायोजन कार्यालय की सूची के आधार पर तथा तीन का चुनाव वाह्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर किया गया है ।

जी नहीं ।

इसका परीक्षण कराया जा रहा है ।

*१९--श्री बिहारी लाल हंस--

[६ठें गुरुवार के लिए स्थगित]

वाराणसी नगर में पेयजल आपूर्ति की कठिनाई

*२०--श्री राजबली तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी नगर में दिनांक १७ अगस्त, १९७७ से पेयजल की आपूर्ति ठप्प पड़ जाने के कारण नागरिकों को घोर संकट का सामना करना पड़ा ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, एक पम्प के बिगड़ जाने से जल वितरण में कठिनाई पड़ गई थी, परन्तु सम्बन्धित पम्प को अगस्त के आखिरी सप्ताह तक ठीक करा दिया गया था । अब जल वितरण सामान्य है ।

*२१--श्री नरेश चन्द्र--

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित]

अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों के स्थायीकरण की मांग

*२२--श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री बृज लाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९६९ के पूर्व से जो अप्रशिक्षित फारमेसिस्ट कार्यरत हैं उन्हें सरकार विभागीय प्रशिक्षण देकर उनको स्थायी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

इस मामले में भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। भारत सरकार से परामर्श मिलने पर ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

नगरपालिकाओं व नगरमहापालिकाओं के अन्तर्गत जलकर में छूट

*२३--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के कमजोर वर्ग जो नगरपालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं में रह रहे हैं उनके लिए पानी-कर में छूट देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिकाओं/नगर महापालिकाओं में ऐसे भूगृहादि पर ३६० रुपया वार्षिक मूल्यांकन के उन मकानों पर जिनमें पानी के कनेक्शन नहीं हैं जलकर नहीं लागू होगा किन्तु ३६० रुपये से अधिक की दशा में चाहे उनके यहां जल कनेक्शन न हो उन पर जलकर उद्ग्रहीत होगा ।

प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

*२४--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न गत वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, तुलसीपुर, गोंडा द्वारा कांग्रेस कमेटी के नाम भूमि का आबंटन

*२५--श्री बिन्दूलाल (जिला गोंडा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, गोंडा ने नोटीफाइड एरिया तुलसीपुर, जनपद गोंडा की कोई भूमि दिनांक २४-१०-७० को सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षित कर दी थी और क्या उपर्युक्त भूमि को नोटीफाइड एरिया कमेटी, तुलसीपुर ने आपात स्थिति के दौरान दिनांक २५-१०-७६ को कांग्रेस कमेटी के नाम आवंटित कर दिया ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी तुलसीपुर, जिला गोंडा ने अपने २३-२-६६ के प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत भूमि जनहित के प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने का निर्णय लिया था, जिसे उन्होंने २५-१०-७६ को नया प्रस्ताव पास करके ब्लाक कांग्रेस कमेटी, तुलसीपुर को देने का संशोधित निर्णय लिया ।

प्रश्नगत आबंटन प्रशासक द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

*२६--श्री रामदत्त जोशी--

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी-कार्यालय के लिपिक की रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कथित गिरफ्तारी

*२८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय के लिपिक स्थानान्तरण निरस्त करने से सम्बन्धित मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सतर्कता विभाग द्वारा चालू वर्ष में पकड़े गए ? यदि हां, तो क्या इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भी कोई आरोप लगाया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

*२६--श्री नरेश चन्द्र--

[७ वें गुरुवार के लिए स्थगित]

*३०--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[८ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फीरोजाबाद के चूड़ी कारखानों के श्रमिकों के लिये निर्धारित समय तथा ओवर टाइम के भुगतान का प्राविधान

*३१--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के नगर फिरोजाबाद में कांच चूड़ी के विभिन्न गर्म कारखानों में काम करने वाले लगभग २५ हजार श्रमिकों से प्रतिष्ठान के सेवायोजक १० घंटे से अधिक प्रत्येक दिन काम लेते है, जिनकी ओर स्थानीय श्रम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी उनके लिए समय-समय पर नियमानुसार ८ घन्टे का समय निर्धारित नहीं किया गया है ; यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

यह कहना सही नहीं है कि फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों से प्रत्येक दिन दस घंटे से अधिक काम लिया जाता है । सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों से ८ घंटे कार्य लिए जाने का समय निर्धारित किया गया है, जिनकी नोटिस वे निर्धारित फार्म में प्रदर्शित करते हैं ।

*३२--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त श्रमिकों को ओवर-टाइम दिए जाने का आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ५९ में ओवर टाइम कार्य के लिये साधारण दर की दुगुनी दर पर मजदूरी का भुगतान किए जाने का प्राविधान है । अतः इस विषय पर अलग से आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के बहादुरपुर के विकास खंड अधिकारी, श्री आद्या शंकर पांडेय के विरुद्ध बिजली की चोरी सम्बन्धी एफ० आई० आर०

*३३--श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बस्ती के विकास खंड, बहादुरपुर के कुछ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करते हुए दिनांक २९ जुलाई, १९७० को सतर्कता विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा है जिस पर एफ० आई० आर० उक्त जनपद के कलवारी थाने में उसी दिनांक को आई० पी० सी० धारा ३७९ तथा बिजली अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया है ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० के मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं और इनमें कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी पकड़े गए तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। एफ० आई० आर० में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :—

(१) विकास खण्ड अधिकारी के निवास पर लगे विद्युत् कनेक्शन का विच्छेदन लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व विद्युत् अवशेष का भुगतान न होने के कारण हो चुका था।

(२) सतर्कता एवं विद्युत् अधिकारियों ने अचानक छापे का जब आयोजन किया तो दिन में ही यह पाया गया कि विकास खण्ड अधिकारी के निवास पर लगे ऐंगिल जिससे दूसरे क्वार्टर पर सप्लाई गई है, से विद्युत् के तार नीचे की ओर लटक रहे थे। जब तक उनके निवास के भीतर प्रवेश किया गया, उनके घर के लोगों ने तार उतार कर छत पर गिरा दिए। विद्युत् मीटर भी गायब कर दिया गया।

(३) उक्त बिजली के तार जो बिजली की चोरी के कृत्रिम साधन हैं, को थाना कलवारी, जिला बस्ती में दिनांक २६ जुलाई, १९७७ को जमा कर यह अनुरोध किया गया है कि धारा ३७६ आई० पी० सी०, ३९ इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत श्री आद्या शंकर पांडेय, बी० डी० ओ० के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करके तफ्शीस की जाय।

श्री आद्या शंकर पांडेय, बी० डी० ओ० को निलम्बित करने का आदेश किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त जूनियर इंजिनियर श्री जे० पी० दूबे तथा लाईन मन, श्री बहाऊ जो कि दीर्घकाल से उक्त चोरी का पता नहीं लगा सके, को भी निलम्बित करने के आदेश दिनांक १ सितम्बर, १९७७ को पारित कर दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका, लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष, श्री कृष्ण प्रमोद तिवारी के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच

१—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, लखीमपुर खीरी के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री कृष्ण प्रमोद तिवारी) जो फरवरी, १९७७ में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए हैं उनको आज तक दंडित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका बोर्ड, लखीमपुर खीरी के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री कृष्ण प्रमोद तिवारी को सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८ के अधीन कारण बताओ नोटिस के साथ आरोप पत्र देते हुए फरवरी, १९७७ में अध्यक्ष पद से निलम्बित किया गया था। उक्त आरोप पत्र का श्री तिवारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर शासन द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् श्री तिवारी को भविष्य में अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का नियमानुसार निर्वहन करने हेतु सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए १० मार्च, १९७७ को बहाल किया गया। उक्त कार्यवाही के उपरान्त अब श्री तिवारी के विरुद्ध अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

२—श्री शम्भू नाथ, श्री गंगा प्रसाद तथा श्री बृज लाल—

[१४-६-७७ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त ।]

मन्त्री, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ का पत्र एवं उनकी मांगे

३—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें मंत्री प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के पत्र, दिनांक २२ तथा २३ जुलाई, १६७७ प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

संघ द्वारा प्रस्तुत मांगें शासन के विचाराधीन हैं ।

महामंत्री, प्रान्तीय इंटीग्रेटेड, चिकित्सा सेवा संघ की मांगें

४—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें महामंत्री, प्रान्तीय इंटीग्रेटेड चिकित्सा सेवा संघ, उत्तर प्रदेश का एक पत्र दिनांक २७ जुलाई प्राप्त हुआ है जिसमें संघ को कुछ मांगों का वर्णन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

संघ का प्रश्नगत पत्र दिनांक २७ जुलाई, १६७७ शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । उनकी मांगों के सम्बन्ध में २६ जुलाई का एक पत्र प्राप्त हुआ है । संघ की मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

५—श्री रामदत्त जोशी—

[६ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

६—श्री रामदत्त जोशी—

[६ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में तहसील कर्मचारी, श्री भीखम प्रसाद तथा श्री मोहसिन की नजबन्दी के विरुद्ध पत्र

७—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र जिसमें देवरिया के सी० एम० ओ० (श्री ए० के० सक्सेना) द्वारा तहसील के चपरासी श्री भीखम प्रसाद तथा एक अविवाहित लड़के की जबरदस्ती नजबन्दी किए जाने के विवरण अंकित है, स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार, के निजी सचिव द्वारा प्रेषित दिनांक १७-८-७७ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्यान सिंह—

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित माननीय विधायक का पत्र दिनांक १८-८-७७ प्राप्त हुआ ।

नसबन्दी के उपरान्त मृतक श्री भीखम प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ५,००० रु० (पांच हजार रुपये) एक्सग्रेशिया के रूप में भुगतान किया गया । श्री भीखम प्रसाद का आपरेशन करने वाले सर्जन की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि करने हेतु आदेश जारी किए गए ।

मोहसिन नामक अविवाहित लड़के की नसबंदी के मामले में जांच कराई जा रही है ।

८—श्री कृष्णा राय—

[७व गुरुवार के लिए स्थगित ।]

९-१०—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[६ठें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

११—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

झांसी मंडल के प्रत्येक जिलों में स्टेडियम बनाये जाने की मांग

१२—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या खेल कूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मंडल के प्रत्येक जिलों में स्टेडियम बनाए जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

झांसी मंडल के प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनाए जाने की कोई योजना नहीं है । भूमि एवं धन की उपलब्धता की दशा में शनैः-शनैः स्टेडियम निर्माण योजना को कार्यान्वित करने का विचार है ।

पर्वतीय जिलों के लिए प्रस्तावित माइक्रो हाइडिल योजनाएं तथा पिथौरागढ़ में गांवों का विद्युतीकरण

१३—श्री नारायण सिंह भैसीरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में पर्वतीय जिलों में कितनी माइक्रो हाइडिल योजनायें प्रस्तावित थीं उनमें कितनी स्वीकृत हैं और कितने निर्माण हो रहे हैं ? क्या जनपद पिथौरागढ़ में कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो वह कब तक निर्मित हो जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विगत वर्षों में पर्वतीय जिलों में ३१ माइक्रो हाइडिल योजनाएं प्रस्तावित थीं । उनमें से २२ योजनाएं स्वीकृत हैं । इन सभी २२ योजनाओं का निर्माण

कार्य पूरा हो चुका है । इन में से ११ योजनाएं ग्रिड सप्लाई की आपूर्ति होने के पश्चात् बंद कर दी गई तथा ११ योजनाएं परिचालन में हैं । जनपद पिथौरागढ़ में निम्नलिखित दो योजनायें स्वीकृत थीं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है :—

	स्वीकृत वर्ष	चालू करने का माह/वर्ष
१—२०० कि० वा० चम्पावत माइक्रो हाइडिल योजना	१९६३-६४	दिसम्बर, ६५
२—२०० कि० वा० धारचूला माइक्रो हाइडिल योजना	१९६९-७०	जनवरी, ७७

१४—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

क्या सरकार बताएगी कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कितने ग्रामों को विद्युत् दी गई है और कितने गांवों को इस वित्तीय वर्ष में देने का लक्ष्य है ? जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है क्या उन क्षेत्रों में विद्युत् उद्योगों को भी दी जाती है ? यदि हां, तो किन उद्योगों को ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनपद पिथौरागढ़ में ९२ ग्रामों को विद्युत् दी गई है और ९० ग्रामों को इस वित्तीय वर्ष में देने का लक्ष्य है । जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है उन क्षेत्रों में विद्युत् उद्योगों को भी दी जाती है ? ग्रामीण क्षेत्रों में आटा चक्की तथा आरा मशीनों को तथा नगरी क्षेत्रों में वर्कशाप, वाटर वर्क्स तथा मेगनासाइट उद्योगों को विद्युत् दी जाती है, यदि किन्हीं अन्य उद्योगों/कार्यों के लिये बिजली की मांग की जाती है तो उन पर भी विचार किया जाता है ।

खीरी जिले के विकास क्षेत्र, घोरहरा तथा ईसानगर में विद्युत् लाइन के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

१५—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९७३-७४ में विकास क्षेत्र घोरहरा और ईसानगर, जिला खीरी में विद्युत् प्रसार के लिए कितना व्यय खम्भा व तार लगाने में किया गया ? क्या इनमें से कुछ तार चोरी चला गया है ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें शासन को इस सम्बन्ध में मिली हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७३—७४ में जिला खीरी के विकास क्षेत्र घोरहरा तथा ईसानगर में विद्युत् लाइनों के निर्माण में २,७५,२४५.१३ रु० व्यय किया गया ।

लगभग ४०० मीटर तार चोरी गया, जिसकी प्रथम सूचना ईसानगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई ।

शिकायतों के सम्बन्ध में शासन के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । राज्य विद्युत् परिषद् को भी इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

१६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

देवरिया जिले के विकास खंड विशुनपुरा के अन्तर्गत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

१७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद की पडरौना तहसील में विशुनपुर विकास खंड के अन्तर्गत कितने गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तथा हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत १० जून, ७६ तक विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया तथा कितने गांवों में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य शेष है तथा उक्त विकास खंड में विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जिला देवरिया, तहसील पडरौना के बिशुनपुरा विकास खंड में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य-क्रमों के अन्तर्गत १० जून, १९७६ तक कुल २७ ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है । १३ ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत किया गया तथा शेष १४ ग्रामों का विद्युतीकरण परिषद् के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया ।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए अलग से योजना नहीं है । तथापि इस विकास खंड में मार्च, १९७७ तक ८ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत, मार्च, १९७६ तक बिशुनपुरा विकास खंड में २९ ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना था । इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत १६ ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है । इनमें से १० ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष १९७७-७८ में प्रस्तावित है और शेष ६ ग्रामों का विद्युतीकरण अग्रिम वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है । विकासखंडानुसार सामान्य कार्य-क्रम के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों का प्राविधान नहीं है । लक्ष्य निर्धारण सम्पूर्ण जिले का होता है ।

फैजाबाद जिले में शराब की दुकानों की नीलामी

१८—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री को पता है कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७६-७७ में नीलाम की गई देशी शराबों की दूकानों को चालू वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में कम धनराशि में नीलाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्यवाही से सरकार को कितना घाटा हुआ है और इसका दायित्व किस पर है ? क्या सरकार इस नीलामी को रद्द कराकर दुबारा नीलामी कराएगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों पर अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर देने की प्रार्थना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के मामले में एक निवेदन करना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो ? प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके पीछे एक मंशा होती है और अनुपूरक प्रश्नों का अभिप्राय यह होता है कि जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी या सरकार स्पष्ट रूप से कुछ बताये । लेकिन होता यह है कि जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो अभीष्ट मंशा उसके पीछे होती है उसकी पूर्ति नहीं होती है और वांछित सूचना नहीं आती है और फिर जब पुनः पूछने की चेष्टा करते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी की उदारता सीमित और कुंठित हो जाती है । मेरा अनुरोध है कि अगर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में प्रश्नकर्ता के मंशा की अभिव्यक्ति नहीं होती है तो प्रश्न की थोड़ा और बढ़ाना चाहिये । साधारणतया जो व्यवस्था और परम्परा आपने निर्वाह करायी वह यह है कि जिसका प्रश्न नहीं है उसको एक अनुपूरक प्रश्न पूछने देंगे लेकिन उत्तर वह नहीं होता है जिस मंशा से प्रश्न किया जाता है । उत्तर अस्पष्ट होता है तो फिर अनुपूरक प्रश्नों की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन आप अनुमति नहीं देते हैं । प्रश्न करने वाले का मंशा जनहित में होता है जिसको हम माननीय सदन के सामने लाना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं वह उद्देश्य हमारा होता है । अगर प्रश्न करने की अनुमति आप देते हैं तभी उस प्रश्न की सार्थकता है और अनुपूरक प्रश्न तभी कोई करता है जब आपने प्रश्न की अनुमति दे दी और उसके महत्व को आपने स्वयं महसूस किया । तो जब तक निश्चित उत्तर नहीं आ जाता है उस माननीय सदस्य को मौका देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं....(व्यवधान) एक प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया, उसपर विवाद नहीं होता है ।

जहांतक प्रश्नों का सवाल है, प्रश्न का घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और नियमावली में लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक नहीं होने चाहिये, वह साफ और सीधा उत्तर होना चाहिये । इस सम्बन्ध में कई दफा मैं इस प्रकार के निर्देश दे चुका हूं कि मन्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी प्रश्न पूछे जायं उससे लिए अनुपूरक की सामग्री वह लायें और उसके उत्तर ऐसे दें जोकि संतोषजनक हों । लेकिन माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा कि जिन सदस्यों ने अपने प्रश्न दिये, उन्होंने अपना समय खर्च किया है, उसका बड़ा महत्व है । तो अब जिस पहले प्रश्न के संबंध में माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न पर १० मिनट का समय लगा । इसका मतलब यह है कि ६ ही सवाल लिये जा सकते हैं । चूंकि मैंने सवाल के महत्व को समझा तभी १० मिनट का समय दिया, लेकिन साधारणतया एक प्रश्न पर ५ मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये ताकि कम से कम १२ प्रश्न आ सकें । तो समय का ध्यान रखना चाहिये और अगर प्रश्न का समय १० मिनट हो गया या १५ मिनट हो गया उसके बाद स्वतः ही अनुपूरक प्रश्नों के लिए नहीं खड़े होना चाहिये । इस बात की अपेक्षा या मांग लोग करते हैं कि मंत्रिगण ऐसा उत्तर दें जो स्पष्ट हों जिसमें कोई कठिनाई न हो लेकिन जो भी उत्तर मन्त्रिगण देते हैं इसके लिए निर्देश मैंने दिये हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि वह इस बात की कोशिश करेंगे कि उत्तर स्पष्ट हों और पूरी तरह से जानकारी उनके अन्दर हो । (व्यवधान) अब इसपर विवाद नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में सूखे पर चर्चा के लिए समय निर्धारण की मांग

श्री सुख पाल पांडेय (जिला बस्ती)—

आपसे सूखा पर कल मैंने प्रार्थना की थी....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल जी इस पर मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैंने निवेदन किया था. ...

श्री अध्यक्ष—

मेरे कक्ष में आकर ।

एक सदस्य—

सूखा पर समय दिया जाय, कोई समय निश्चित कर दें....

आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक साथ दो दो आदमी बोलने लगते हैं । जब तक मैं अनुमति नहीं दूं आप लोग नहीं बोलेंग । अब प्रश्नों के बारे में मैं कोई व्यवस्था बात नहीं सुनूंगा । जो आपको शिकायत हो मेरे कक्ष में आकर करिये ।

(व्यवधान)

(एक साथ दो सदस्य बोलते रहे)

आप लोग बैठ जाइये ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—[* * *]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा ।

श्री सुखपाल पांडेय—[* * *]

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये । इस पर बहस की इजाजत नहीं देता । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा ।

नोट [***]यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखपाल पांडेय—[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । माननीय सुखपाल जी ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

(श्री दशरथ सिंह व्यवधान के मध्य बोलते रहे।)

आप बैठ जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(दो, तीन सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आप लोग स्थान ग्रहण करें । आप बैठिये या आप (श्री दशरथ सिंह) सदन छोड़िये ।

श्री दशरथ सिंह—

मैं निकल जाता हूं । यह कोई व्यवस्था नहीं है । यह जनहित की बात है, लोकहित की बात है ।

(श्री दशरथ सिंह बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं श्री सुखपाल सिंह पांडेय जी और जो माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे कि कल मैंने यह घोषणा कर दी थी कि सूखे के प्रश्न पर पहले मिल कर यह तय किया था कि १८ तारीख को इस पर विवाद होगा । जब कल इसको उपस्थित किया गया तो कल मैंने घोषणा की थी कि आज मैं नेता सदन और विरोध पक्ष से मिल कर १८ से पहले इसके लिए तारीख निश्चित करूंगा । उसके बाद सुखपाल पांडेय जी का और जो सदस्य बोल रहे थे उनका इस तरह से प्रश्न उठाना यह प्रत्यक्षतः नियमों का उल्लघंन और इस सदन का अपमान है और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस तरह का आचरण करेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय । इस तरह से वे सदन का समय नष्ट करते हैं । मैंने माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से यह चाहा था कि इसका समय जल्द से जल्द मुकर्रर किया जाय । इसका समय निश्चित हो जायगा । फिर उसके बाद मैं नहीं समझ पाया किस लिये इस प्रकार की उत्तेजना थी । (कुछ सदस्यों के जोर से बात करने पर) आप लोग शान्त रहिये । अगर सदन में इस प्रकार से कुछ लोग बिना अनुमति के बोलेंगे तो सदन को स्थगित करना पड़ेगा और सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है । खासतौर से सुखपाल पांडेय जी अपना विशेषाधिकार समझते हैं कि वह और सदस्यों से ऊपर है। हर विषय पर जब वह चाहें बोलें, मैं इस प्रकार से श्री सुखपाल पांडेय को किसी धमकी में आकर अवसर देने वाला नहीं हूं । उनको अपना व्यवहार संयमित करना पड़ेगा ।

नोट—[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह पूछना चाहता हूं। प्रश्नों के बाद आपकी अनुमति से पांडेय जी तो बोलते ही रहे, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर आक्षेप किया, उस पर आपने क्या निर्णय लिया, वह हमको बता इये।

श्री रणजीत सिंह जू देव (जिला झांसी)—

अभी दीक्षित जी होते, तो आप हटवा देते उनको।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रोसीडिंग्स को देखूंगा, यदि उन्होंने आक्षेप किया है, तो वह सदन के समक्ष किया है, प्रोसीडिंग्स देखने के बाद कल मैं फैसला करूंगा। कि उनको क्या दन्ड दिया जायगा अन्यथा उनको क्षमा मांगना होगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय सदस्य सुखपाल पांडेय जी न अपनी बात कही, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर कार्यवाही को देखा जाय तो काफी देर तक ४–५ मिनट तक अपने जिले की बात कही, सदन शान्ति पूर्वक चलता रहा, यह माना जाय कि आपकी अनुमति से वह भाषण दिये थे, बाद में जाकर व्यवधान हुआ, तो उनकी पूरी कार्यवाही प्रोसीडिंग्स से क्यों निकाल दी गयी ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह जहां तक आक्षेप का सवाल है, मैंने, चूंकि इस कदर शोर हो रहा था, सुना नहीं। यदि कोई अध्यक्ष पर आक्षेप है, तो वह स्पष्ट सदन का अवमान है। जब तक मैं स्वयं प्रोसीडिंग्स को न देख लूं, इस पर निर्णय नहीं दे सकता। चूंकि वह बिना इजाजत के बोल रहे थे, इसलिए मैंने उनको प्रोसीडिंग्स से निकालने के लिए कहा है। अध्यक्ष की आज्ञा से उसको प्रोसीडिंग से निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई आक्षेप है, तो मैं उसको देखूंगा और देखने के बाद फिर जो विशेषाधिकार की अवहेलना होती है, तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था। शुरू में माननीय सदस्य को आपने अनुमति दिया और माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुरू कर दिया और विषय की गम्भीरता को देख कर पूरा सदन खामोश रहा। माननीय सदस्य जब काफी भाषण दे चुके, अपनी बात कह चुके, तो दूसरे सदस्य व्यवधान पैदा कर दिये, तो आपने यह निर्देश दिया कि माननीय सदस्य सुखपाल पांडेय ने जो कुछ कहा है, वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय, जब आपकी अनुमति से या सहमति से ही सही, माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, शान्ति पूर्वक सुन रहे थे। आपने भी कोई दूसरा आदेश नहीं दिया, तो दूसरे सदस्य ने इसमें कुछ व्यवधान पैदा किया। उसके बाद आपने यह निर्देश दिया कि माननीय सदस्य सुखपाल पांडेय ने जो कुछ कहा है कार्यवाही से निकाल दिया जाय। जितनी बात उन्होंने कही, आपकी अनुमति से न सही, सहमति से कही और माननीय सदन ध्यान पूर्वक सुनता रहा। इस बात को सदन की कार्यवाही से निकालने के लिए आपने जो निर्णय दिया, उसमें हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ भी पांडेय जी ने कहा वह मेरी अवहमति से कहा इसलिए मैंने यह निर्देश दिया कि यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि उन्होंने अध्यक्ष पर आक्षेप किया, चाहे वह आक्षेप भी नहीं, उन्होंने कहा, तो इसको मैं प्रोसीडिंग में देखूंगा और अगर आक्षेप है, तो वह स्पष्ट सदन क अपमान है, उसको मैं देखूंगा ।

सदन में लगे यंत्रों से आवाज साफ न सुनायी देने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, हम लोगों का इस सम्बन्ध में निवेदन है । व्यवधान तो होते रहेंगे । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । इस सम्बन्ध में हम आपकी एक व्यवस्था चाहते हैं । हम लोगों ने इस सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था । वह यह है कि माननीय सदन में सदस्य किसी तरीके से बोलते हैं तो उनकी बात सुनाई नहीं देती है । क्योंकि हाल गूंज जाता है । बार-बार हम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, उधर से भी कहा जा रहा है और माननीय मंत्रि गण भी कह रहे हैं । श्रीमन्, इसकी व्यवस्था में कितना ही समय लगे, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिये । बार-बार यह बात आ रही है कि समय लगेगा । मैं नहीं जानता कि कितना समय लगेगा । लखनऊ में इंजीनियर्स हैं उनको बुलाकर व्यवस्था की जांच कराई जाय । लेकिन यह निश्चित है कि यहां आवाज गूंजती है । मैं आपसे श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि आपने सुन लिया । लेकिन माननीय पांडे जी ने जितनी बातें कहीं थीं, रुपये में दो आने मैंने सुनी हैं, १४ आने नहीं सुनी हैं । मेरी सहानुभूति है इन लिपिकों के साथ पता नहीं कैसे लिख लेते हैं, क्या जादू है । यहां की आवाज श्रीमन्, लाबी में ज्यादा साफ है । बाहर ज्यादा साफ है । आपके कमरे में ज्यादा साफ है लेकिन यहां साफ नहीं है । श्रीमन्, इसको व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारे लिये, सदन के लिये और मंत्रि गण को सुविधा हो । यह व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिये ।

*श्री सत्य प्रकाश (स्वायत्त शासन मंत्री)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था । लोक सभा में यह व्यवस्था है कि वहां हेड फोन्स रखे गये हैं । आपको कोई चीज सुननी है तो हेड फोन्स पहन के सुन लें । लेकिन यहां पर प्रश्न होते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं । मान्यवर, इस बजट सेशन में ही अगर यह व्यवस्था कर दी जाय तो अच्छा रहेगा । आवाज आपको साफ सुनाई देगी, सदन के सभी माननीय सदस्यों को साफ सुनाई देगी । और मैं समझता हूं कि आधे झगड़े स्वयं ही साफ हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आदेश दे दिया गया है और टेक्निकल आदमी इसको देख रहे हैं । लेकिन जब तक सदन बन्द नहीं होगा पूरी व्यवस्था करना मुश्किल है । जो आपकी कठिनाई है वह वास्तविक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबौलिया, बस्ती में सरकारी अनुदान के गोलमाल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं, बस्ती जिले के अन्तर्गत दुबौलिया बाजार में एक सहायता प्राप्त श्री विवेकानन्द माध्यमिक विद्यालय हैं । जहां पर कक्षा ६ लगायत १० तक कुल १५० छात्र होंगे । किसी-किसी कक्षा में केवल १५ छात्र हैं और १५ की जगह ८६ जिसमें भी ५० हरिजन छात्र दिखाकर अनुदान प्राप्त किया जा रहा है । भवन व फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं है । विद्यालय में जितने कमरे व फर्नीचर हैं, आठवीं कक्षा को भी मान्यता नहीं प्राप्त होनी चाहिये ।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की सांठगांठ से १५० छात्रों पर बीसों अध्यापक तथा दर्जनों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन प्रधानाचार्य बैंक से हड़प रहे हैं । ऐसे कागजी व फर्जी विद्यालय को मान्यता समिति माध्यमिक परिषद् की अपनी २० सितम्बर की बैठक में इन्टर की कक्षा खोलने की संस्तुति भी कर दी है ।

मान्यता समिति द्वारा इन्टर की कक्षा खोलने की मान्यता की संस्तुति सुनकर पूरे जिले में घोर क्षोभ, रोष एवं असंतोष फैल गया है, क्योंकि जिले के बहुत से विद्यालय व कालेज ऐसे हैं, जहां भवन एवं छात्रों की पर्याप्त संख्या तथा अन्य शर्तों के पूर्ण होने पर भी समिति ने मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया है । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय व प्राधानाचार्य की सांठ-गांठ से विद्यालय में लाखों रुपये के घोटाले तथा उस विद्यालय को मिल रहे प्रोत्साहन से जिले के शिक्षा क्षेत्र में कभी भी अशांति पैदा हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

जरा आप शोर कम करें तो सुन पायेंगे ।

श्री ओम प्रकाश--

शासन की जानकारी के लिये मैं विशेष सूचना दे रहा हूं ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहमीना रोड, लखनऊ में हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लखनऊ के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहमीना रोड, लखनऊ में २७-९-७७ से चल रही हड़ताल के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं । जो छात्रायें और अध्यापिकायें हड़ताल पर नहीं की गई हैं, उनको हड़ताल पर गये अध्यापकों द्वारा विद्यालय के प्रांगण में जाने से रोका जा रहा है । इससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और छात्राओं और उनके अभिभावकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस व्यवस्था में अपनी ओर से एक कठोरता लायें, ताकि वहां उपद्रव समाप्त हो और पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके ।

फैजाबाद में सिंचाई तथा विद्युत् विभाग में लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन का ध्यान फैजाबाद में सिंचाई तथा विद्युत् विभाग के अधिकारियों के लापरवाही, किसानों के प्रति उनके उपेक्षापूर्ण रवैया तथा इन विभागों में व्याप्त भष्टाचार की चरम पराकाष्ठा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसके परिणामस्वरूप इस सूखे की विषय स्थिति में वहां का किसान अपनी फसलों को सूखते और बरबाद होते हुए देखने के लिये एक असहाय, निरीह और मात्र मूकदर्शक व्यक्ति बनकर रह गया है।

एक तो जिले में सिंचाई की सुविधा का अभाव है। इस जिले में भीटी जैसे ब्लाक हैं जहां आज भी पूरी कृषि योग्य भूमि का केवल ४६ प्रतिशत भाग सिंचित है। दूसरी तरफ जो सरकारी नलकूप हैं उनमें से बहुत से खराब हैं और बन्द पड़े हैं। जो नलकूप चालू भी हैं उनमें से ५० से अधिक की नालियां इतनी खराब और टूटी हालत में हैं कि आधे से अधिक पानी खेत में पहुंचने से पहिले ही बह जाता है। बिजली की आपूर्ति भी सुचारु रूप से नहीं हो रही है। बिजली के बिलों में धांधली की बात करना तो बेकार ही होगा; क्योंकि मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि इस विभाग ने भष्टाचार के सारे कीर्तिमानों को तोड़ दिया है।

मैं समझता हूं मान्यवर, कि यही स्थिति प्रदेश भर के सूखाग्रस्त इलाकों की है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सूखे से उत्पन्न विषम परिस्थिति का पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर मुकाबला किया जाय, सिंचाई के सभी साधनों का पूरी क्षमता के साथ २४ घंटे उपयोग किया जाय, सिंचाई हेतु २४ घंटे बिजली प्रदान की जाय, सभी बन्द नलकूपों को ठीक करा कर अविलम्ब चालू करवाया जाय। नलकूपों की सभी टूटी-फूटी नालियों की अविलम्ब मरम्मत कराई जाय और जिन लोगों के भष्टाचार के कारण ये नालियां ठीक नहीं बनी थीं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में सिंचाई के साधन के विकास और वृद्धि करने में सिंचाई के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाय; ताकि आगे के लिये भी इस समस्या का स्थायी हल निकल सके।

हरिद्वार में धर्मशालाओं के लाइसेन्सों के नवीनीकरण की अस्वीकृति से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है और इस धार्मिक स्थान में देश तथा विदेश के लाखों यात्री प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। इन यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध यहां के धर्मशालाओं में रहता है। दिनांक १३-५-७७ को नगर पालिका हरिद्वार के अधिकारियों ने इन धर्मशालाओं के लायसेन्सों का नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया और अब तक यह धर्मशालाएं बिना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल दास]

नवीनीकरण के चल रही हैं। इसके विरोध में दिनांक २५-९-७७ की सुबह से हरिद्वार की समस्त धर्मशालाओं में उनके संचालकों द्वारा ताला लगा दिया गया है। जिससे हरिद्वार में आने वाले लाखों यात्रियों को असुविधा हो गयी और वह बाहर खुले मैदान में ठहरते हैं। इस घटानो से उत्पन्न समस्य पर मैं माननीय मंत्री जो को सूचित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त नगरपालिका अधिकारियों और धर्मशाला संचालकों के प्रति सामंजस्य स्थापित कर।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने ध्यान आपका आकृष्ट किया है यह बड़ा आवश्यक है। हरिद्वार तीर्थ स्थान है। धर्मशालाओं के बन्द हो जाने से यात्रियों को कठिनाई है। तो उधर कृपया आप तुरन्त ध्यान दें।

भीखमपुर पौन्ड, जिला खीरी में हरिजनों की गायों के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, स्थान भीखमपुर, थाना मितौली, जिला खीरी के पौन्ड में मड़रिया ग्राम के हरिजनों की डेढ़ सौ से ऊपर गायें दिनांक २८ सितम्बर से बन्द हैं तथा भूख प्यास से तड़प कर मर रही हैं। उसमें से एक बछड़ा मर गया। उन गायों को भीखमपुर पौन्ड में भीखमपुर के डाक्टर छोटे लाल जो एक प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं ने बन्द करवाया है। भीखमपुर का पौन्ड डाक्टर छोटे लाल के रिश्तेदारों का है जिसे उन्होंने ठेके पर लिया है और उसी प्रकार गरीबों को सता कर रुपया कमाना उनका धन्धा है। २८ सितम्बर को मड़रिया ग्राम के हरिजन जब अपनी गायें चरा कर वापस लौट रहे थे डाक्टर छोटे लाल ने अपने कुछ साथियों के साथ आकर हरिजनों को बुरी तरह मारा पीटा तथा उनकी डेढ़ सौ से ऊपर गायें ले जा कर पौन्ड में भरती कर दिया। मड़रिया ग्राम के हरिजनों ने जिनमें बीपत, द्वारिका, भरोसे, गंगा, फकीरा आदि प्रमुख हैं, थाना मितौली तथा जिलाधीश से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने स्वयं जिलाधीश से इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने को कहा, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपके माध्यम से उन हरिजनों की पुकार को सरकार को सुनाना चाहते हैं जिससे उन निर्दोष लोगों की गायों की रक्षा हो सके, क्योंकि वे इतने निर्धन हैं कि अपनी गायों को छुड़ा नहीं सकते। अतः निवेदन है कि डेढ़ सौ से ऊपर मरती हुई गायों की जान की रक्षा की जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय। डाक्टर छोटे लाल के रिश्तेदारों का पौन्ड का ठेका निरस्त किया जाय :

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको पढ़ रहा हूं। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जनपद एटा के पत्र दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा (नैनीताल) तथा विधान सभा के नेता विरोधी दल को दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ को अपरान्ह में पुलिस ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भा० दं० वि० की धारा १८८ के अपराध में बन्दी बनाकर उनके समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया, साथ ही विवेचना हेतु ७ दिन रिमान्ड के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि आरोप के समुचित आधार हैं और विवेचना २४ घंटे के अन्दर समाप्त नहीं की जा सकती है। अतः रिमान्ड की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने श्री नारायण दत्त तिवारी को ७ दिन के लिए न्यायिक रिमान्ड पर जिला कारागार, एटा में भेज दिया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ को सदन में दी जा चुकी है और इसे बुलेटिन १ द्वारा प्रसारित भी किया गया है।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा, बरेली ५ अक्तूबर, १९७७ को २ बजकर ३० मिनट अपरान्ह को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन करने के अपराध में भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। वे पुलिस थाना किला में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध म प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किये गये।

वाराणसी जनपद, तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सुधवे में गरीबों के साथ अन्याय से सम्बन्धित याचिका

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं, गंगा प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (गोंडा) उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद, तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम सुधवे (वहदानगर) में गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल आदि ग्राम वहदानगर सुधवे, गोरीगंज, वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जिला पिथौरागढ़ में भू-स्खलन से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माह अगस्त में निरन्तर वर्षा होने तथा विशेषकर द्वितीय सप्ताह में भारी वर्षा के कारण जिला पिथौरागढ़ की तहसील धारचुला के ग्राम तवाघाट, खेला, स्यांकुरी पलपला जुम्मा तथा गर्गुआ आदि ग्रामों के तोकों (क्षेत्र) में भीषण भू-स्खलन हुआ है। सबसे भयंकर भू-स्खलन ग्राम सभा, खेला में क्षेत्र में तवाघाट नामक स्थान पर हुआ तथा दूसरा पलपला में ग्राम सभा जुम्मा, खेला तथा स्यांकुरी के सम्मिलित तोक (क्षेत्र) में हुआ। इस दुर्घटना में ४४ व्यक्तियों की जीवन-हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है। मृतकों की संख्या में ११ असैनिक व्यक्ति, १० सेना के जवान, १८ स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान तथा ५ इन्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस फोर्स के जवान हैं। इन व्यक्तियों के मलवे में दब कर मरने, बह जाने अथवा लापता होने (जिन्हें मृतक समझा जा रहा है) की सूचना प्राप्त हुई है। अब तक सेना व अन्य फोर्स के १२ जवानों तथा ५ असैनिक व्यक्तियों की लाशें बरामद हुई हैं। इस दुर्घटना में १० मकानों के ध्वस्त होने और ७० मकानों के क्षतिग्रत होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस भू-स्खलन के कारण १०७.२१ एकड़ नाप भूमि तथा ३५ एकड़ बेनाप भूमि की क्षति हुई है। कुल १६१ परिवार के १,१८६ व्यक्ति इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति में तवाघाट-धारचुला मोटर मार्ग, तवाघाट-खेला पैदल मार्ग, तवाघाट-नारायन आश्रम मोटर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

मार्ग, तवाघाट–सार्वजनिक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन को क्षति पहुंची है । दो परिवार जिनकी सदस्य संख्या ९ है, पूर्ण रूप से भूमिहीन हो गये हैं । ५८ परिवारों की कुल भूमि की आधी भूमि भू–स्खलन से नष्ट हुई है तथा इन परिवारों में से ३८ परिवार ऐसे हैं जिनके पास १० नाली (आधा एकड़) से भी कम भूमि रह गई है । क्षति का विवरण संलग्न है ।

(विवरण के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९२ पर)

२––इस दुर्घटना की सूचना सर्वप्रथम दिनांक १५–८–७७ को रात्रि के समय परगना अधिकारी, धारचुला को मिली । धारचुला–तवाघाट मोटर मार्ग दोबाट नामक स्थान से आगे कई स्थानों पर क्षति ग्रस्त था तथा बड़े–बड़े पत्थरों के मलवे से अवरुद्ध हो गया था । इसलिए उसी रात में बचाव राहत दल का भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका था । किन्तु दूसरे ही दिन दिनांक १८–८–७७ के प्रातः से ही राहत/बचाव दल रवाना किये गये । राहत कार्य हेतु तीन निम्नलिखित राहत बचाव दल भेजे गये––

(१) पहला बचाव/राहत दल तहसीलदार, धारचुला के नेतृव में दिनांक १६–८–७७ को प्रातःकाल ५ बजे रवाना हुआ । बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचुला के द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, डाक्टर राबत उसी दिन कुछ समय बाद अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए । यह लोग घटना–स्थल पलपला उसी दिन सायंकाल ५ बजे पहुंच गये ।

(२) दूसरा बचाव/राहत दल परगनाधिकारी, धारचुला के नेतृत्व में दिनांक १६–८–७७ को भेजा गया । इस राहत/बचाव दल में मेडिकल इंचार्ज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचुला, ए०सी० एस० एम० बी० के मेडिकल अटेन्डेन्ट, डी० जी० बी० आर० के नर्सिंग असिस्टैन्ट, एस० आई० ओ० धारचुला ए० सी० आई० ओ० प्रथम स्टेशन आफिसर, पुलिस स्टेशन धारचुला तथा सेकेन्ड आफिसर, पुलिस स्टेशन धारचुला थे ।

(३) तीसरा बचाव/राहत दल जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपधीक्षक पुलिस, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग थे, धारचुला के लिये दिनांक १७–८–७७ को रवाना हुआ । धारचुला पहुंचने के बाद इस दल के साथ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा श्री जवाहर सिंह नौटियाल, ब्लाक प्रमुख धारचुला भी सम्मिलित हो गये और घटनास्थल के लिए रवाना हुए । यह दल दोबाट नामक स्थान तक पहुंच सका । इसके बाद मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं अवरुद्ध होने के कारण एलागाड़ तक पैदल गया ।

पहले बचाव/राहत दल ने दुर्घटना स्थल पर पहुंच कर तीन मृतकों की लाशें खोद कर निकालीं, तीन घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता दी; जिनमें से दो को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचुला में भर्ती किया गया और फिर उन्हें विशेष चिकित्सा के लिये पिथौरागढ़ भेजा गया जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया । दूसरे बचाव/राहत दल ने ग्राम जुम्मा के तोकइकला में जहां श्री हरि राम का मकान गिर जाने से उसकी पत्नी और पुत्र घायल हो गये थे, पहुंच कर घायल व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा की ।

दुर्घटना स्थल पर बोल्डर तथा मलवा इतना अधिक है कि उसे हटाकर लाशें ढूंढना एक दुष्कर कार्य है । फिर भी सैकड़ों जवानों के अथक परिश्रम तथा उपलब्ध ब्लास्टिंग की सामग्री के प्रयोग के बाद अभी तक केवल १२ जवानों की लाशें तथा ५ असैनिक व्यक्तियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं । इस जिले के दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये अब तक जिलाधिकारी को ६० हजार रुपये अहेतुक सहायता के

मद में तथा ५० हज़ार रुपये लोगों को रोजगार दिलाने के लिये टेस्ट वर्क की मद में आवंटित किया जा चुका है। अब तक ४,९०५ रुपये की अहेतुक सहायता, ६,५५३ रुपये का भवन निर्माण अनुदान तथा १,०६८ रुपये के मूल्य का चावल, चना, गुड़, चीनी, मिट्टी का तेल, दूध, चाय, माचिस और अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें जो जिलाधिकारी दिनांक १७-८-७७ को अपने साथ ले गये थे, वितरित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त दान स्वरूप प्राप्त ६० किलो ग्राम चना तथा २० भेली गुड़ भी वितरित किया गया है। जिला रेड क्रास सोसायटी से प्राप्त बहुत-सी दवाओं के अतिरिक्त २४ कम्बल, १५ मीटर कपड़ा, एक दरी, २२ फ्राक, ६ सूती साड़ियां, ९ लड़कों की कमीजें, तीन हज़ार हाफ पैंट, दो पुराने कोट, २० पुरानी पतलूनें, ६ टुकड़े बेबी क्लाथ, तीन अल्यूमूनियम के गिलास, ४ अल्यूमूनियम के भगोने और तीन अल्यूमूनियम की कटोरियां प्रधान गांव सभा, जुम्मा तथा स्यांकुरी के समक्ष पीड़ितों को वितरित किये गये। भू-स्खलन की दुर्घटना में प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार की सहायता के लिए २,५०० रु० प्रति परिवार के आधार पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से १,१०,००० रुपये जिलाधिकारी को भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री सहायता कोष से प्राप्त धनराशि से भी ८,००० रुपये की अतिरिक्त धनराशि जिलाधिकारी को पीड़ितो की सहायता हेतु भेजी जा रही है।

चिकित्सा काय

प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दल भेजे गये जिन्होंने बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को टीके लगाये और घटनास्थल के गांवों में विःसक्रमण सामान के अन्तर्गत चूना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया तथा पानी के श्रोतों में विसंक्रमण हेतु दवा डाली गई। ६ नेत्र रोगियों को चिकित्सा दी गई। जिला रेड क्रास सोसायटी द्वारा भी बहुत सी दवाओं के अतिरिक्त पहनने के कपड़े एवं बर्तन भी प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध कराये।

खान्न एवं सामग्री

जहां तक प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की उपलब्धता का सम्बन्ध है एलगाड़ नामक स्थान पर भू-स्खलन की दुर्घटना के तीन दिन पूर्व ही १२-८-७७ को ११ कुन्तल चावल रखवाया गया था उसके बाद १-९-७७ तक ८० कुन्तल चावल, ४१ कुन्तल गेहूं व ६ कुन्तल चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध रही। तवाघाट में गल्ले का सरकारी गोदाम है और वहां की सस्ते गल्ले की दुकानों में भी पर्याप्त खान्नान्न उपलब्ध है। इस प्रकार आपदा ग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं पाई गई और न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है। इस बात का भी बराबर प्रयास किया जा रहा है कि इन सभी दुकानों में हर समय खाद्यान्न उपलब्ध रहे।

पुनर्वासन

प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए तराई भावर (जिला नैनीताल) में वन विभाग की अथवा अन्य उपलब्ध भूमि पर अथवा पुरानी सितारगंज जेल की भूमि जिसे पन्त नगर विश्वविदयालय को दिया जा चुका है, में दुर्घटना से विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए जिलाधिकारी ने प्रस्ताव दिया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

जहां तक दिनांक १६-९-७७ से हो रही भूख-हड़ताल का प्रश्न है उसके बारे में शासन स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त की जा रही है।

नेता विरोधीदल की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री श्याम धर मिश्र से एक कार्य स्थगन की सूचना मुझ को प्राप्त हुई है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं बताऊं कि क्यों हमने कार्य-स्थगन की प्रस्तावना की है और क्या कारण है, मान्यवर, मैंने धारा ५६ में—

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी, आप इसकी ग्राह्यता के बारे में कुछ कहना चाहें । केवल ग्राह्यता के बारे में नियमों के अनुसार किस प्रकार से आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव को श्री समझते हैं। इसकी मेरीट्स के ऊपर तो अवसर जब ही हो सकता है जब मैं इसकी ग्राह्यता ....।

श्री श्याम धर मिश्री—

वह तो आप को ही निर्णय करना है बोलना तो मुझ को है । इसलिए आप कृपा कर के सुन लें । श्रीमन्, आप देखें कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । अभी २ अक्तूबर को गांधी जयन्ती के दिवस से ही बल्कि उसके कुछ दिन पहले से ही पूरे प्रान्त में १४४दफा लगी है और इस समय तक करीब-करीब दस हजार कांग्रेसी जन दो-तीन दिन में पकड़ लिये गये हैं और अखबारों में भी यह बात आयी है....।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

इस सदन को गलत सूचना दी जा रही है । कांग्रेस जन स्वयं गिरफ्तार करा रहे हैं....(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री श्याम धर मिश्र—

साथ ही साथ आप देखें आज हमारे सदन के विरोधी दल के नेता नारायण दत्त जी तिवारी झंडा फहराने के लिए, कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए गय । झंडा सन २१ से ही फहराते रहें हैं । मेरे पास पूरी फाइल है...

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी....

श्री श्याम धर मिश्र—

यह हाई कोर्ट तक गया । हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टेटस को मेन्टेन किया जाय । झंडा फहराया....

श्री अध्यक्ष––

श्याम धर जी, सामान्य प्रशासन और पुलिस पर दो दिन का विवाद होगा और इस पर आप को सारी बातें पर्याप्त रूप से रखने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए इसकी ग्राह्यता को मैंने स्वीकार नहीं किया....

श्री श्यामधर मिश्र––

श्रीमन्, बहुत धन्यवाद। लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात कह रहा हूं। अभी एक ही मिनट तो अपनी बात कहते हुआ है....

श्री अध्यक्ष––

कार्य–स्थगन की स्वीकृति में नहीं दे रहा हूं....

श्री श्याम धर मिश्र––

यह क्यों तात्कालिक अविलम्बनीय है यह देख लिया जाय कि बावजूद हाईकोर्ट की आज्ञा के यह झंडा नहीं फहराया जा रहा है। हमारे विरोधी दल के नेता तथा अन्य माननीय सदस्य जेलों में डाले जा रहें हैं। (व्यवधान)।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

आगरा में परसों कांग्रेस के लोगों ने लूटपाट की है।

[१०] अध्यक्ष––

आप बैठ जाइये, शतारुद्र जी।

श्री श्यमाधर मिश्र––

इस लिये यह जरूरी है कि काम रोक करके इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दें। अनावश्यक ढंग से १४४ लागू कर हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। यह सरकार अनुशासनहीनता बरत रही है और अशान्ति फैला रही है और इसके विरोध में मैं और मेरा दल प्रतीक रूप में वाक आउट कर रहा है।

(श्री श्यामधर मिश्र अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)––

गांधी जयन्ती के दिन बजाय रचतनात्मक कार्य करने के जनता पार्टी की सरकार ने धारा १४४ लगा कर जो पकड़ धकड़–की इसका हम लोग भी विरोध करते हैं।

(श्री जगन्नाथ प्रासांद ने निर्दलीय सदस्यों सहित सदन का त्याग किय ।।)

श्री अध्यक्ष––

यह कार्य–स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या ३-मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एंव कल्याण संबंधी कार्य-क्रम अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१-पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २८, ५७, २६, ४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद् के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४, १२, ६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-५ निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५१, ६३, ६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८-सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३, ११, ९६, ७०० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४, २०, ३५, ७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०८,८२,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या-३ मन्त्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं अनुदान संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

संख्या ३६-सूचना तथा प्रचार के अतर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७२,४१,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,११,३२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अंतर्गत होने वाले रिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त ४,२०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८६,२२,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज यह सामान्य प्रशासन और पुलिस के बजट पर बहस होनी है इसे मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत करना चाहिये था । वैसे मंत्रियों का संयुक्त दायित्व है और कोई भी मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इस बजट के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी रहते और अपनी नीति के बारे में बताते । चारों तरफ प्रदेश में दफा १४४ लागू है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहते है और तब हम आगे बहस चलाते । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को बुलवाये और वह सरकारी नीति के बारे में हमें जानकारी दें । हम जानना चाहते है कि आज प्रशासन के बारे में, पुलिस के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं । इसलिए निवेदन करूंगा कि उन्हें आप बुलाये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक बात मेरी भी सुन ले । मान्यवर, आप रिकार्ड देख लें २५ वर्ष से हर साल बजट प्रस्तुत होता आ रहा है और इसे मुख्य मंत्री या संबंधित मंत्री सदैव प्रस्तुत करते रहे हैं (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

नियम की बात केवल नहीं है । नियम में तो कोई उप-मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं । एक परिपाटी और मर्यादा की भी बात है । इसे सदैव ही मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है अगर एक बार भी आप बता दें तो हम मान लेंगे । खासकर पुलिस और सामान्य प्रशासन मुख्य मंत्री ने ही प्रस्तुत किया है ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि सामान्य प्रशासन और पुलिस अनुदानों को जिन्हें आज प्रस्तुत किया जा रहा है, मुख्या मंत्री जी नहीं हैं । आज के लिए यह तिथि पहले से ही तय थी कि आज यह अनुदान पेश होगा । यह सदन का अपमान है कि मुख्य मंत्री जी सदन में न हों और उस ग्रांट को कोई दूसरा मंत्री प्रस्तुत करे । यों, जहां तक रिस्पोंसिबिलिटी का सवाल है वह ज्वाइंट है लेकिन मुख्य मंत्री का पद जो है वह ट्रांसफरेबल नहीं है । यह बड़े खेद की बात है । आज तक हमेशा ही इस ग्रांट को मुख्य मंत्री ने ही प्रस्तुत किया है (व्यवधान) और मुख्य मंत्री ने ही जबाव दिया है । आज यदि मुख्य मंत्री जी किसी जरूरी काम से बाहर गये थे तो जैसे और मंत्री आप से समय मांग लेते हैं और कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं हमारी ग्रांट आज हटा दी जाय । वह भी कह सकते थे । वह ज्यादा अच्छा होता । वह कोई आपको इस तरीके की सूचना देते कि सदन में हम उस दिन नहीं होंगे और हमारी ग्रान्ट के लिए कोई दूसरी तिथि निर्धारित कर दी जाए, तो उचित रहता । किन्तु यह कि मुख्य मंत्री की गैर हाजिरी में सामान्य प्रशासन और पुलिस अनुदान पर विवाद हो, यह माननीय सदन का आपका और हमारा सबका अपमान है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपको भी इस सदन की २० वर्ष तक काफी जानकारी रही है और मुझे भी सन् ५७ से लेकर आज तक बराबर यह देखने का मौका मिला है कि मुख्य मंत्री से सम्बन्धित जो भी ग्रान्ट रही है, उसे हमेशा मुख्य मंत्री जी ने ही प्रस्तुत किया है कि यह बात सही है, जैसा श्यामधर मिश्र और रियासत हुसैन जी ने कहा, कि यह बहुत ही दुख का विषय है कि आज वित्त मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित ग्रान्ट्स को जो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित हैं, सदन में पेश करें । इसमें नीतिगत बहुत से मामले हैं । यह मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं हुआ और संसदीय इतिहास में सन् ४६ से लेकर आज का दिन बड़ा ही दुखद दिन है, जो कि इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । यह मैं समझता हूं कि सदन का अपमान है । उनको आपसे समय मांगना चाहिए था कि हम फलां दिन नहीं रहेंगे । (व्यवधान) इस ग्रान्ट्स को पेश करने के लिए मुख्य मंत्री जी बाहर हैं या बीमार हैं, मैं नहीं जानता हूं, तो आपसे वह दूसरे दिन के लिए समय मांग सकते हैं । इस तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से कई बार पहले कई ग्रान्टों पर समझौता भी हुआ, आपने इजाजत भी दिया और विरोधी दल की तरफ से भी मान लिया गया कि इन ग्रान्टों को दूसरे किसी दिन पेश किया जाए। इसके बावजूद आज जो हो रहा है, वह संसदीय इतिहास की बड़ी दुखद घटना है और इसको मैं सदन का अपमान समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर) जगन्नाथ प्रसाद जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया श्री सुन्दर लाल जी के लिए अपना स्थान खाली कर दें, उनको अपना नेता बना दें, तो ज्यादा अच्छा होगा.... (व्यवधान) ।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के पुनः खड़े होने पर)

एक सदस्य—

देखिए नेता बनने से खुश हो गये, अब बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जब आपको नेता निर्वाचित कर दिया जाएगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा । तब तक आप कृपया बैठिए ।

मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी ने लिखित सूचना दी कि माननीय मुख्य मंत्री जी अचानक ही अस्वस्थ हो गये हैं और यह बात सही है कि आप लोग....

एक सदस्य—

× × ×

एक अन्य सदस्य—

अब अस्वस्थ तो होंगे ही । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री सत्यदेव त्रिपाठी के खड़े होने पर) आप बैठिए, अभी मैं बोल रहा हूं । यह बात अपनी जगह पर सही है कि यह मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित अनुदान है । अब मुख्य मंत्री जी अस्वस्थ हैं । यह ठीक है कि अब तक ऐसा अवसर शायद ही कोई आया हो । जिसमें मुख्य मंत्री ने अपने अनुदान स्वयं न पेश किए हों । लेकिन जैसा स्वयं माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मंत्रि परिषद् का उत्तरदायित्व संयुक्त होता है और ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कोई भी कार्यभारित मंत्री उपस्थित न हो, तो कार्य तो रुक नहीं सकता है, ऐसा करना ही पड़ेगा । ऐसे प्रश्न पर जब मुख्य मंत्री जी अस्वस्थ हैं, तो विरोधी दल के नेताओं को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष]

इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इन अनुदानों को प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने स्वयं यह आशा व्यक्त की है कि वे सम्भवतः आज शाम तक ठीक हो जायं, तो कल उत्तर दे सकेंगे । इसलिए सामान्य प्रशासन और पुलिस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । इसमें विरोधी पक्ष के लोग अपना कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं और वादविवाद का कल उत्तर जो भी प्रश्न होंगे, उनका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

केवल एक बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जरा रुक जायं । आप बैठ जाइये ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, विरोधी पक्ष के लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी अस्वस्थ हैं । हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम चाहते हैं, वह अस्वस्थ हो गये, कल इस पर बहस हो जाती । मुख्य बात यह तो है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इनोशिएट करते इस बजट को, और बतलाते कि हमारी नीति क्या है तब चर्चा होती ।

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर, जी, देखिए परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, चूंकि बजट का टाइम टेबिल ज्यादा टाइट है, मुझे आपत्ति नहीं है अगर एक दिन बहस चाहते हैं, तो मैं आज सदन का स्थगित कर दूंगा, एक ही दिन विवाद होगा, और माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वयं पेश करेंगे । लेकिन यकायक यह मेरे सामने आया अगर आप पसन्द करते हैं तो मैं आज स्थगित करूं और कल एक ही दिन इन अनुदानों के ऊपर विवाद होगा । माननीय श्यामधर जी, आप बतलाइये क्या चाहते हैं ? (श्री श्यामधर के न उठने पर व्यवधान) माननीय वर्क जी मैं बोल रहा हूं, आपको शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए। मैंने यह कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आज का कार्य मैं स्थगित कर दूं, लेकिन दो दिन का समय नहीं दिया जायगा । माननीय श्यामधर जी, तो क्या आज इसको ले लिया जाय ?

श्री मधुकर दिघे--

मैं जब बोलने खड़ा हो गया, तो विरोधी दल के लोग तो मुझ से इतना मिले हुए हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मैं बोलता, तो स्वीकार कर लेंगे । यह मुझे विश्वास है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिए ।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय मुख्य मंत्री जी इस ग्रांड को स्वयं पेश करना चाहते थे । अचानक उनकी दस बजे तबियत खराब हो गयी । सोचा था गया कि साढ़े बारह बजे

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद् अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९ -अन्य समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य-क्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

तक भी उनकी अस्वस्थता ठीक हो जाय और वह आपके बीच में आ सकें, चूंकि कार्यक्रम बन चुका था इसको बदलना सम्भव नहीं था, इस लिए आज इसको प्रस्तुत करने का काम मुझे करना पड़ा । वैसे वित्त मंत्री जब पूरा बजट प्रस्तुत करता है तो उसमें यह सम्मिलित रहता है । इस लिए मेरा प्रस्तुतीकरण गैरवाजिब नहीं है। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप अपना कटमौशन प्रस्तुत करें, अपना सुझाव दे दें, जो आलोचनाएं हैं उनको वह सुन लेगें, उसका उत्तर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे । माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा सुझाव दिया, यदि उनकी अस्वस्थता के कारण पुनः कार्यक्रम को बदलना पड़ा तो शाम तक देख लिया जायगा, कल इस ग्रांट को न रख कर, दूसरी ग्रान्ट ले ली जायगी, ताकि आपकी आलोचना का माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दे सकें । मैंने यह बात यह जान कर कही क्योंकि आप कोआपरेशन करना चाहते हैं । विरोधी दल के नेताओं ने हमको बार-बार यह शिक्षा दी है कि कैसे लोगों के साथ सहयोग किया जा सकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कोई निजी विरोध नहीं है :

श्री मधुकर दिघे--

माननीय ऊदल जी, माननीय रियासत जी, ये सब पुराने सदस्य हैं । सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर विरोधीदल की तरफ से कट मोशन आएं, आलोचनाएं और सुझाव आ जाय उनको बैठ कर नोट कर लेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आप सुझाव दें तो कई बातों को ध्यान में रख लें । एक तो यह कि एक बहुत ही विकट और कठिन परिस्थिति में हमने शासन का भार सम्भाला है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप लोग तो बिल्कुल अनाड़ी हैं ....

श्री मधुकर दिघे--

३० वर्षों से सड़ी और जड़ ऐसी चीजों का नई परिस्थिति में, नये परिप्रेक्ष्य में सुधार करना है । अब जो चीज हमारे सामने है, हम चाहते भी हैं कि विरोधी दल जिसका शासन का काफी लम्बा अनुभव रहा है, वह सुझाव दे और देश और प्रदेश के हित में जो भी सम्भव होगा, दस करोड़ की जन संख्या वाले प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से, उन लोगों को सुख-सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से जो भी सुधार करने की आवश्यकता है, वह करने के लिए शासन तत्पर रहेगा । इसको घोषणा सदन में मैंने पहले भी की है और पुनः मैं निवेदन करना

[श्री मधुकर दिघे]

चाहूंगा कि नया शासन जो जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है, उसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनता के हाथों में ताकत पहुंचाने के लिए, सत्ता को उनके नजदीक ले जाने के लिए जो काम पिछले तीस वर्षों से रुका हुआ था, जिस संघर्ष की शुरुआत सन् १९४२ में हुई थी और सन् १९४७ में जिस क्रांति की शुरुआत को मोड़ करके शासन की सत्ता सम्भाल करके देश को बदलने के लिए इस्तेमाल करने का काम हो रहा था फिर से वह क्रांति जो कैद हो गई थीं, उस क्रांति को कैद से छुटकारा दिला कर पुनः जनता के हाथ में सत्ता सौंप देने के लिए जनता पार्टी ने शासन अपने हाथ में लिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को इस देश की जनता के हित में, करोड़ों गरीबों के हित में इस प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से जो भी न्याय पूर्ण, उचित और आपके सहयोग और सुझावों के द्वारा सम्भव होगा, वह किया जायेगा।

इस आश्वासन के साथ में आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह जो अनुदान आपके सामने प्रस्तुत किये गये हैं, आप अपने सुझाव देंगे और इनको स्वीकार करने का शानदार काम करेंगे ताकि दस करोड़ लोगों की जिन्दगी को सुधारने का जो काम जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है उसको लोक नायक जय प्रकाश की इच्छा के अनुरूप, महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप, डाक्टर राम मनोहर लोहिया की इच्छाओं के अनुरूप तथा हमारे प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई की इच्छा के अनुरूप इस देश के लोगों की जिन्दगी को सुधारने के काम को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह तो कुछ पता नहीं अपने बजट पर....

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर जी आप बैठिये। मैं पूर्णतया आप लोगों की भावनाओं के अनुसार समय देना चाहता हूं। वक्त दो दिन का है। यदि आप यह चाहते हैं कि पहले मुख्य मंत्री अपनी नीति को प्रकट करें तो मैं आज सदन को स्थगित कर दूंगा और एक दिन का समय कल के लिए सुरक्षित होगा। (व्यवधान) आप लोग सुन तो लें। जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठें।

यदि आप यह चाहते हैं जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आप अपने कटौती का प्रस्ताव पेश करते, तो उस पर माननीय सदस्य अपने सुझाव पेश करें और कल मुख्य मंत्री जी आप सब लोगों के विचार सुनने के बाद उसका समुचित उत्तर देंगे और यदि वह स्वस्थ हो गये तो आज शाम को आपस में विचार विमर्श करके हम तय कर लेंगे कि कल कोई दूसरा अनुदान ले लिया जाय और इसे बाद में ले लिया जाये। तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि यह जो अनुदान पहले सामान्य प्रशासन के लिए एक दिन था, पुलिस का दो दिन का था, इसको एक साथ ले लिया जाये या पृथक-पृथक इस पर आप कोई कटमोशन पेश करना चाहते हैं। या एक ही माननीय सदस्य दो कटमोशन पेश करें या आप चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन पर अलग से और पुलिस प्रशासन पर अलग से कटमोशन पेश हो?

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अनुदान तो प्रस्तुत कर दिये, लेकिन उसके बाद अपनी नीतियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हम उस पर आधारित होकर अपनी-अपनी बात कहते, चर्चा करते, आलोचना करते और अपने-अपने सुझाव सदन के समक्ष रखते। जब उधर से कोई बात आई ही नहीं तो किस बात पर हम आलोचना करें ? आज तक इस प्रकार से जब किसी ने भी बजट प्रस्तुत किया है, उसने चर्चा न की हो, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

ऐसा ही कई बार इस सदन में हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं सदन को स्थगित कर दूं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पर विवाद हो। माननीय वित्त मंत्री जी और देव बहादुर सिंह जी आप लोग काफी समझदार हैं। बजट आपके सामने है, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन का। माननीय मुख्य मंत्री के न होने पर भी आप स्वयं अपनी-अपनी बात कह सकते हैं। अब आप बता दें कि आप एक ही प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं या अलग-अलग ?

श्री श्याम धर मिश्र--

माननीय, मेरा निवेदन यह है कि जरूर यह परिपाटी नई सी लगती है, पहले भी ऐसा हुआ होगा लेकिन यह बात सुन्दर होती यदि माननीय मंत्री जी पूरे सदन को अपनी नीतियों के बारे मे, जैसा कि देव बहादुर सिंह जी ने कहा, कुछ बताते लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया है कि स्थिति यह है तो हमें इस पर एतराज नहीं है। यह सदन चलना चाहिए। चूंकि इन ग्रान्ट्स के लिए २ दिन का समय निर्धारित है अतः मेरा निवेदन है। पुलिस प्रशासन पर अलग से कटौती का प्रस्ताव पेश हो और सामान्य प्रशासन पर कटौती का प्रस्ताव अलग से हो। विवाद इकट्ठा हो जाय जिससे पूरा विवाद २ दिन में समाप्त हो जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर दे सकें।

श्री अध्यक्ष--

यह सुझाव मुझे स्वीकृत है। सामान्य प्रशासन के लिए अलग दिन था और पुलिस प्रशासन के लिए २ दिन अलग थे। लेकिन इसको प्रेसीडेन्ट नहीं माना जायगा। तो पुलिस के लिए अलग और सामान्य प्रशासन के लिए अलग से मोशन पेश किए जायं। अब बतायें कि कौन पेश करना चाहता है ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह परम्परा नहीं होनी चाहिए कि यदि आज मुख्य मंत्री नहीं आते हैं तो भविष्य में कभी आया ही न करें। सदन में कोई भी बजट प्रस्तुत हो, तो सम्बन्धित मंत्री द्वारा कुछ न कुछ चर्चा या वक्तव्य अवश्य दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आज इसको स्थगित कर दूं लेकिन आपने कह दिया कि इस पर बहस हो।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इस माननीय सदन में यह पहला ही अवसर है कि जो इस पुलिस अनुदान को या सामान्य प्रशासन की अनुदान को माननीय मुख्य मंत्री प्रस्तुत न करके उनके दूसरे सहयोगी मंत्री इसको प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक सदस्य--

यह कोई नई बात नहीं है।

श्री यशपाल सिंह--

आज ही की बात है, पुरानी नहीं। मान्यवर, बहरहाल इस माननीय सदन ने स्वीकार किया मैं यह कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं। एक पुस्तिका जो हमें सरकार की ओर से मिली है सांख्यिकी डायरी आप देखेंगे इसके पेज नम्बर ५७-५८ को इसमें इतने बड़े विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश की जिसकी जन संख्या लगभग १० करोड़ के है और जिसकी पर कैपिटा इनकम करेंट रेट्स के आधार पर, प्रचलित भावों के आधार पर बहुत से प्रदेशों से आगे है लेकिन इसका जो सामान्य प्रशासन का बजट है, देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कितना है, यह जरा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

पर कैपिटा इनकम के लिहाज से देखेंगे कि आंध्र प्रदेश ८७७ रुपया, आसाम ७७६, बिहार ७१८, हिमांचल प्रदेश १०३७, जम्मू एंड काशमीर ८३६, कर्नाटक ७८४, मध्य प्रदेश ७६४, मनीपुर ६८४, तमिलनाडु ९४२, उत्तर प्रदेश ८१२, पश्चिमी बंगाल १०६५ रुपया और इस प्रकार से ऐवरेज इंडिया का १०२२ रुपया। तो इसको देखने से मालूम होगा कि बहुत से प्रदेशों से हमारी पर कैपिटा इनकम कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके साथ-साथ ही सामान्य प्रशासन पर जो हमारे सामने बजट प्रस्तुत है अगर उसके आंकड़े पेज ७५ पर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का प्रतिशत जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कुल बजट का १३·२०, आसाम १६·७६, बिहार ६·५८, गुजरात १४·५५, हरियाणा २०·३०, हिमांचल प्रदेश ३३·७६, जम्मू कश्मीर २६·६६, केरल १२·५२, मध्य प्रदेश ११.७८, महाराष्ट्र, २३·५५, मनीपुर ८८·१६, मेघालय ५६·०६, नागालैंड २६·२०, उड़ीसा २९·६१, पंजाब १८·२९, राजस्थान १२.३१, तमिल नाडु १४·६५, त्रिपुरा ४१·२६, उत्तर प्रदेश ८·५१, पश्चिमी बंगाल १७.६०। तो इस प्रकार से भारत वर्ष के जितने भी प्रदेश हैं सबसे कम परसेंटेज हमारे इतने बड़े विशाल प्रदेश के बजट में प्रस्तुत है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

उसको भी आप कम करना चाहते हैं--१ रुपया।

श्री यशपाल सिंह--

कमी करने का उद्देश्य ज्यादा बढ़ाना है ।

मान्यवर, मैं पहले तो यह निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि कृपया इसके बारे में सोचें कि जब हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच के लिए हमारे संसाधन हमारी शक्ति इतनी कमजोर होगी तो फिर कैसे इतने बड़े विशाल प्रदेश कां प्रशासन हम सुचारुरूप से कर सकेंगे यह जरा देखने ओर सोचने की बात है । इसके लिए मेरा सुझाव है मुख्य मन्त्री जी से कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें और अगर वह स्वयं कोई फैसला न ले सकें तो विरोध पक्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनको बुलायें और तरीका निकालें कि इतने बड़े इस प्रदेश का प्रशासन कैसे सुचारूरूप से और स्वस्थ परम्परायें डाल कर चलायें । पुलिस प्रशासन के ऊपर भी अगर आप देखें तो ४-६ प्रान्तों के आंकड़े मुझे उपलब्ध हुये हैं उनको देखने से यह जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन पर भी हमारा इतना ही मामूली खर्च है । आन्ध्र प्रदेश--आबादी ४ करोड़ ३३ लाख ३ हजार, कुल बजट ६१६.४१ करोड़ रुपये, पुलिस प्रशासन पर ३५ करोड़ ३५ लाख ९९ हजार रुपये, उड़ीसा--जनसंख्या केवल २ करोड़ १९ लाख ४७ हजार, कुल बजट ७६०.३६ करोड़ रुपये, पुलिस प्रशासन पर व्यय १४ करोड़ ४४ लाख, ७० हजार रुपये, गुजरात--आबादी २ करोड़, ६६ लाख, ९७ हजार, टोटल बजट ४३९.२५ करोड़, पुलिस प्रशासन पर व्यय १९ लाख ९१ हजार रुपये महाराष्ट्र--आबादी ५ करोड़ ४ लाख १२ हजार, कुल बजट १५५९.०३ करोड़, पुलिस प्रशासन पर व्यय ५७ करोड़ ९९ लाख १ हजार रुपये, उत्तर प्रदेश--आबादी लगभग १० करोड़ । इसकी फीगर्स पुरानी हैं ७३-७४ की । तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आबादी के अनुपात से पुलिस प्रशासन पर जो हमारे यहां खर्च है वह बहुत मामूली है । तो फिर कैसे यह विश्वास किया जा सकता है कि इस प्रदेश की सरकार यहां के रहने वालों को एक अच्छा प्रशासन दे सकती है । केवल इतना ही उसमें सुधार किया जा सकता है कि एफिशियेन्सी बढ़ायी जाय । जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनके जरिये से, जो हमारे मंत्रिपरिषद् के सदस्य हैं, जो हमारे सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष के लोग हैं, सब मिलकर प्रशासन में अपना सहयोग दें और उसकी एफिशियेन्सी को बढ़ायें । लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार जब से आयी, जो ३० साल के पुराने प्रशासन की दुहाई देकर हर चीज को कन्डेम करना चाहती है, मैं उसी वक्त से देख रहा हूं कि पुलिस का प्रशासन प्रायः समाप्त हो चुका है पूरे प्रदेश में ।

मान्यवर, मुझे एक पुस्तिका मिली है, यह पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण है, इसमें आप पिछले वर्ष में जो इस सरकार ने एक विशेष अभियान चला कर, जो समाज में पुलिस जरायम थे, चाहे आर्थिक हों या दूसरे प्रकार के, किसी प्रकार के, उनमें कमी की इस पुस्तिका से जो हमें मिली

श्री यशपाल सिंह—

है, इसमें आप देखेंगे कि खासतौर से निर्बल वर्ग के लोगों के लिए जो पिछली सरकार ने कुछ कानून बनाये थे, उनको सुविधा दी थी । तमाम प्रदेश में उन लोगों को बेचारे उन पिछड़े लोगों को, हरिजन वर्ग को एक संतुष्टि थी, लेकिन जबसे यह सरकार आई है, हर जगह से यही खबरें आ रही हैं, जिलों-जिलों से यही खबरें आ रही हैं कि उनको किस तरह से दबाया जा रहा है, उनके हक-हकूक को किस तरह से खत्म किया जा रहा है । पिछले वर्षों में जो विशेष अभियान चला पुलिस की ओर से, जिसके लिए हमारे अधिकारीगण और वह सरकार बधाई की पात्र है । लगभग ५१२ डकैत खत्म किये और ६७६१ को बन्दी बनाया गया । ४२६६ हत्यारे उनके हाथ से पकड़े गये । उसके अलावा १४७ इस प्रकार की फैक्टरियां जिसमें आर्म्स बनते थे, वह सब पकड़ी गयीं ।

इसके साथ-साथ यह भी यहां निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशेष अभियान के जरिये से भी मेरे ख्याल में सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जघन्य अपराध करने वाले डकैतों ने आत्मसमर्पण किये थे तत्कालीन मुख्य मन्त्री और आज के नेता विरोधी दल के सामने । २६ और जघन्य अपराध करने वाले डकैतों ने हमारी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया । रौंड होल्ड अप के जितने भी केसेज थे प्रायः समाप्त हुए । ट्रान्सफारमर की चोरियों के बारे में किसान चिल्लाते थे, ट्रांसफारमर की चोरियां बढ़ी थीं, लेकिन पिछले वर्षों के अभियान से वह तमाम चोरियां प्रायः समाप्त हो गयीं जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश में जितने अपराध बढ़ रहे थे उनको समाप्त करने में मैं तो कहूंगा एक विशेष कीर्तमान हमारे अधिकारियों ने उस समय स्थापित किया था । डकैतियों के कुछ आंकड़े इस पुस्तिका में है, इसको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सन् ७६ में डकैतियों में जो कमी हुई २८·२ प्रतिशत, राहजनी में ३३·३ प्रतिशत, हत्या में ८·८ प्रतिशत दंगा में २५·१ प्रतिशत तथा नकबजनी में २१·६ प्रतिशत की कमी हुई । लेकिन आज जब से यह ३० साल की बुराइयों को दूर करने वाली सरकार जो हमारे सामने बैठी है, आई है, उस वक्त से न केवल डकैती, न केवल राहजनी, न केवल मर्डर्स (कत्ल) बल्कि जितने भी जघन्य अपराध हो सकते हैं, वह बढ़ते जा रहे हैं और मैं तो यह महसूस करने लगा हूं कि प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है सरकार किसी भी पक्ष की हो चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आये या कम्युनिस्ट सरकार आये, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आये, नीतियों के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है । लेकिन प्रशासन का जनता से सम्बन्ध है । वह तमाम देश की जनता के लिये होता है । उसके द्वारा जनता को सहूलियतें मिलनी चाहिये । लेकिन जबसे हमारी यह सरकार आई है मैं तो समझने लगा हूं कि खास तौर से शायद पुलिस प्रशासन जनता पार्टी का हो ही गया है । अधिकारियों ने समझ लिया है कि उनको केवल जनता पार्टी की सुरक्षा करने के लिये ही यहां पर रखा जा रहा है । वरना न मालूम उनको खतरा है कि कहीं बाहर न भेज दिया जाय ।

मान्यवर, इस किस्म के ट्रांसफरों का सिलसिला अगर आपके सामने में रखूं तो बहुत से ट्रांसफर केवल इसलिये हुये हैं कि वे अफसर कांग्रेसी शासन में एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । मान्यवर, कल ही हमको एक रायबरेली के वाकयात पर बयान माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से प्रस्तुत हुआ था । जिसमें यह दिखाया गया था कि वहां पर माननीय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा

गांधी के आगमन पर लगभग ५० हजार की भीड़ में केवल ५० जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने वहां एक तरह से व्यवधान डालने का प्रयत्न किया था। लेकिन इनका विवरण जो हमें मिला है उससे यह साफ जाहिर होता है कि केवल वहां जनता पार्टी के लोगों को सुरक्षा के लिये अधिकारीगण थे। मान्यवर, यह बयान मेरे सामने है इसमें लिखा है कि 'बताया जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्री बच्चू लाल शुक्ला, ने श्रीमती गांधी से प्रश्न किया कि वह विदेशों में जमा अपने ३५० करोड़ रुपये के बारे में स्पष्टोकरण दें। लगभग उसी समय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संख्या में ५० के लगभग थे' इन्दिरा गांधी वापस जाओ' और 'इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद' के नारे लगाये।

मान्यवर, यह हमको पढ़ने को मिला है। इसमें मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों का और सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुये जानना चाहता हूं कि मैंने यह तो माना कि बच्चू लाल शुक्ला जी को यह अधिकार था कि वह इस डेमोक्रेटिक युग में, जमहूरियत के युग में, उनको अधिकार प्रश्न करने का था। जो उनके मन में शंका थी वह दूर कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में यह भी हमारा एक तरह से हक है कि जो प्रश्न हमसे किया जाय तो हमको मौका दिया जाय कि हम जवाब दें। लेकिन मान्यवर इस बयान से यह स्पष्ट है कि माननीय इंदिरा गांधी को जवाब देने का अवसर उन लोगों ने हरगिज नहीं दिया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि वह वहां पर प्रश्न करने के लिये या अपनी शंका का समाधान करने के लिये नहीं आये थे बल्कि केवल व्यवधान पैदा करने के लिये और गड़बड़ करने के लिये वहां आये थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कार्यवाही की यह भी जरा देखने की बात है। इस बयान में आगे साफ तौर पर लिखा है कि जनता पार्टी के श्री बच्चू लाल शुक्ला ने एफ० आई० आर० लाज कराई और जितने आदमियों को नामजद किया उनको सेक्शन १४७, ३०७ में गिरफ्तार किया गया है, इसमें साफतौर से लिखा है कि डाक्टरी मुआइने में उनको मामूली खरोंचें थीं। तो मैं नहीं समझता कि डाक्टरी मुआइने के पश्चात् ३०७ उन लोगों पर कैसे लगाया गया ?

मान्यवर, अव्वल तो मैं इस सरकार से पूंछना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि कल वह अपने बयान में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस वाकये से क्या उनको यह जानकारी नहीं कि बच्चू लाल और उनके ५० साथियों ने वहां व्यवधान डाला और वहां की पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया। मान्यवर, जुर्म किसी का और सजा किसी को। क्या इससे जाहिर नहीं है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने केवल यह अपने को समझ लिया कि केवल वह जनता पार्टी की सुरक्षा के लिये हैं और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिये नहीं है। मान्यवर, इसमें यह

[श्री यशपाल सिंह---]

दिखलाया गया है कि हमारे इस सदन के माननीय सदस्य, श्री मन्नू राम ने अपनी एक एफ० आई० आर० लाज कराई और लिखाया कि मेरा गला दबाया और चोटें पहुंचाईं । लेकिन मान्यवर, कोई एक्शन, जिन्होंने यह किया था, उनके खिलाफ नहीं किया । इसके साथ ही कल का वाकया है कि इसी सदन में श्री रियासत हुसैन के एक प्रश्न का जवाब दिया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि जो वाकया मुरादाबाद में हुआ वह पुलिस के अधिकारियों ने बीकर सेक्शन के लोगों को दबाने के लिये उन पर विशेष ज्यादतियां कीं । इसके साथ ही मैं जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आम लोगों का तो कहना ही क्या ? आपके पुलिस अधिकारियों का, आपके समय में, वह स्वयं ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते । ईद के पहले जिला सहारनपुर का इसी संदर्भ में मैं एक वाकया बतलाना चाहता हूं जिसको मन्त्री जी अवश्य नोट कर लें । मान्यवर, वहां करनवाल नाम का एक ए० ओ० जो अपने साथी के साथ था उसको गोली से शूट कर दिया गया । वह मौके पर खत्म हो गया । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह भरोसा नहीं कि जिन लोगों ने उनको मारा है उनका कुछ बन पायेगा । मुझे बतलाया गया है कि ३५ हजार रुपये शहर कोतवाल ने इस मामले को समाप्त करने के लिये घूस लिये हैं । वह कत्ल का केस हो सकता है या अपने हाथ से सुसाईड हो या दूसरे व्यक्ति ने कत्ल किया हो, यह हो सकता है । लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि ३५ हजार रुपये घूस लिये गये हैं ।

मान्यवर, यही नहीं, अपने क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि अपने गांव का एक वाकया मैं मुख्य मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारे वहां एक ए० आई०, श्री राठौर हैं जिन्होंने बीकर सेक्शन को दबाने के लिये जनता पार्टी की तरफ से ठेका ले रखा है । एक वाकया और बतला दूं कि दो लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ । उनके नाम श्री बाल कृष्ण कहार और दूसरा लड़का बंजारे का था जो कि दुकान करते थे । आपस में झगड़ा हुआ । उस कहार के लड़के के बड़े भाई नेहरू को भी इसमें शामिल कर लिया और इन तीनों को थाने में बुला लिया गया । मान्यवर उनको बन्द कर दिया गया । नेहरू ने कुछ एजीटेट किया और कहा कि कोई एफ० आई० आर० नहीं है तो क्यों थाने पर ले जा रहे हैं तो उसको बुरी तरह पीटा गया । डाक्टरी मुआयना भी मौजूद था । सी० ओ० के यहां शिकायत की गयी । पब्लिक के सामने सिद्ध हुआ कि उसके हाथ ज्यादती हुई लेकिन घूंस लेकर छोड़ दिया । एक दूसरा वाक्या है । बीकर सेक्शन के दो आदमियों में हुआ । एक गड़रिया का लड़का था और दूसरा हरिजन का । आपस में भूमि आबंटन की जमीन पर झगड़ा था । हरिजन ने कहा मेरी जमीन है और गड़रिये ने कहा मेरी जमीन है । आपस में बैठकर पंचायत में फैसला हो गया कि लेखपाल को बुला लें और जिसकी जमीन हो वह जोत ले । केकिन पुलिस के अधिकारी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ । एफ० आई० आर० लाज करायी गयी और गड़रिये को बुलाकर हवालात में बंद कर दिया और घूंस लेकर छोड़ा । इसी तरह का एक वाकया भड़भूजे के साथ हुआ । इस तरह से बीकर सेक्शन के लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है । बहुत से लोग यहां पर उठकर कह देते हैं कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं । लेकिन ऐसा नहीं है बीकर सेक्शन के लोगों को दबाने के लिए वाकयात हो रहे हैं और बहुत से तो उनमें से सामने भी नहीं आ पाते ।

२१––पुलिस अनुदान संख्या ३––मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५––निर्वाचन अनुदान संख्या १८–सचिवालय अनुदान संख्या १९––जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५––अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६––सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९––अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यालय अनुदान संख्या ४१––अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनदान संख्या ४४––अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मैं एक सुझाव मुख्य मन्त्री जी को देना चाहता हूं और अगर पसन्द आये तो उस पर विचार कर लें। कर्यपालिका को पालिटिकल इंटरफीरियेन्स यानी राजनैतिक दबाव से मुक्त करें। प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने भी एम० एल० एज के बीच खड़े होकर यह बात कही थी कि अगर इस राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रशासन को बचा सकें तो यह बहुत बड़ी देन होगी। इस सम्बन्ध में अगर वह अपने को अकेले मजबूर पाते हैं तो इसमें हम विपक्षी भी उनका सहयोग करने को तैयार हैं। इस प्रकार का कोई कोड आफ कंडक्ट बनावें। इतना कहने के पश्चात् मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे इसके ऊपर विचार करें और इसका समर्थन करें।

श्री श्याम धर मिश्र––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३––मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५––निर्वाचन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(इस समय १ बजकर ४१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भू नाथ पीठासीन हुए।)

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८––सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९––जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५ अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६––सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९––अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री श्यामधर मिश्र—]

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, इन तमाम अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन् आज इस देश और इस प्रदेश में नया मन्त्रिमंडल आया है । नयी आशायें लेकर आया है, इसमें शक नहीं । जनता सचमुच आशा करती है कि यह नयी क्रान्ति देगा और श्रीमन्, इसको मिलना चाहिये क्योंकि जनता ने भी अवसर दिया है । मान्यवर, सामान्य प्रशासन एक बहुत बड़ा व्यापक विभाग है जिसके जरिये जनता को बड़ी सेवा हो सकती है या कुसेवा भी हो सकती है । इस विभाग को अगर सरकार पूरी तरह से सम्भाल ले और समझ ले तो मैं समझता हूं सरकार कम से कम इस क्रान्ति में चारचांद लगा देगी । इस सामान्य प्रशासन की कुछ कसौटियां हैं । मैं केवल रुपये में आंका जाना प्रशासन को नहीं मानता कि यह अच्छा है या बुरा । मैं इसको केवल इससे नहीं आंकता कि इतनी पुलिस है, या इतनी घटनायें हुयीं । मैं इसको उससे आंकना चाहता हूं कि गरीब जनता को इस प्रशासन के द्वारा कितनी सेवा हुयी ।

इस प्रशासन के कई स्तर हैं । एक तो मन्त्रि-परिषद् है, जो उच्चस्तरीय है । फिर यहां का प्रशासन सचिवालय है । फिर जिला और फिर तहसील और ग्राम्य स्तर में और फिर उसके अंग-अंग में उसका फैलाव है । मन्त्रि-परिषद् को लीजिए तो पायेंगे कि इसको संयुक्त जिम्मेदारी है । मान्यवर, आजका मन्त्रि-परिषद् इतने बड़े वैभव के साथ है, इतने बड़े बहुमत के साथ है, कि शायद सन् ५२ में कांग्रेस को भी इतना बहुमत नहीं मिला जितना कि जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिला है। अब यह नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुमत नहीं है । चाहे स्याह करें चाहे सफेद करें । मैं तो चाहता हूं कि स्याह न करें ।

एक सदस्य—

स्याह तो आप लोगों ने किया था ।

श्री श्याम धर मिश्र—

स्याह न किये होते तो जिनका कोई स्थान नहीं था, वे यह कहते । ३० वर्षों में हम गये । लेकिन अब आप ठीक नहीं किये तो जनता इतनी जागरूक हो गयी है कि ३० महीने भी नहीं रहने देगी और मैं जो चाहता हूं कि अगर आप यह क्रान्ति कर दें, तो ३० महीने नहीं ३० वर्ष भी नहीं, ६० वर्ष रहें—चाहें हम रहें या न रहें । लेकिन आप उसको करें ।

एक सदस्य—

ऐसा ही होगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो, लेकिन क्रान्ति भी हो। अगर केवल कुर्सी पर बैठे रहे, तो फिर कुर्सी उलट दी जायगी।

श्रीमन्, आज के मन्त्रि-परिषद् की क्या हालत है ? इसकी संयुक्त जिम्मेदारी है। अभी इनको ३ महीने हुये हैं, लेकिन केन्द्र को ६ महीने हो गये हैं। बहुत बड़ी बातें तो मैं मन्त्रि-परिषद् के बारे में नहीं जाहिर कर सकता। लेकिन तीन-चार महीनों के जो कार्य-कलाप सामने हैं, श्रीमन्, उन्हें देखा जाय। मंत्री जगह-जगह अपने यहां तख्तियां टांगे हुये हैं कि कोई स्थानान्तरण के लिए न आयें और काम इनका केवल स्थानान्तरण का है, भीतर ही भीतर।

एक बात मैं और कहे देता हूं। मैं मंत्री नहीं, मैं सरकारी दल का आदमी नहीं। लोक आयुक्त कानून जो आपने बनाया है अगर आपने इसी तरह ट्रान्सफर किये बिना कोड आफ कन्डक्ट के, एक ही आदमी का पांच बार ट्रान्सफर होता है। दारोगा हो, सिपाही हो, कोई हो, किसी नीति के आधार पर न हो तो यही लोक आयुक्त आपको ले जायेगा जेल में। याद रखिये। आपको हथकड़ी पहनायेगा। याद रखिये.... (व्यवधान) हम पहन लेंगे, हम तैयार हैं। हमारे नेता विरोधी दल को आपने पहना दी। श्रीमन्, अब मैं सचिवालय की ओर आता हूं। श्रीमन्, सचिवालय को देखें....।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें। रूलिंग कमेन्ट्री न करें। बहुत बोलने से बात नहीं बनती....।

एक सदस्य--

धमकी दे रहे हैं....।

श्री श्याम धर मिश्र--

धमकी नहीं दे रहा हूं। सचिवालय को जब देखें आप श्रीमन् तो वहां शिकायतों की बड़ोत्तरी है। तीन-चार लाख पत्र आते होंगे मैं समझता हूं। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा। मंत्रियों के पास, मुख्य मंत्री के प्रशासन के विभाग में आते हैं। आप देखें श्रीमन् तीन-चार लाख पत्रों से जनता को कितना संतोष होता है। जरूरत इस बात की है कि इस प्रशासन की पूरी जांच हो और जनता को पूरा संतोष हो। जो पत्र आयें उनका पोस्ट आफिस की तरह डिस्पोजल कर दिया। जांच होगी, उसकी पूर्ति होगी। बड़े सेक्रेटरी ने छोटे सेक्रेटरी के पास, छोटे सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरियट के क्लर्क के पास भेज दिये और फिर नीचे चले गये, फिर विभाग में चले गये दफ्तर में चले गये, तहसील में चले गये और लौटे नहीं। यह प्रशासन किस तरह से चुस्त किया जाय इसको श्रीमन् आप देखें। फिर सचिवालय के अन्डर सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी

[श्री श्यामधर मिश्री]

सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज हैं, एडीशनल सेक्रेटरीज हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज हैं। मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, आप देखें अपने बजट को। पांच वर्ष पहले पूंजीगत, योजनागत बजट इस प्रान्त का ४० फीसदी, ६० फीसदी था और आज १९७७ में करीब ३९ फीसदी, ४० फीसदी केवल रह गया और ६० फीसदी केवल तनख्वाह रह गयी। पांच वर्ष में यह हो गया और यही दशा रही तो ६० फीसदी,, ८० फीसदी हो जायगी और केवल २० फीसदी योजनागत-पूंजीगत का रहेगा। इसको उत्तर प्रदेश की इस क्रान्तिकारी सरकार को बदलना होगा और परिवर्तन लाना होगा यदि आप चाहते हैं कि सचमुच में इस प्रदेश में प्रगति हो।

श्रीमन्, एक बहुत बड़ी दिक्कत हमको महसूस होती है सचिवालय के बारे में और वह दिक्कत यह होती है, पता नहीं कुछ माननीय सदस्य लोग बहुत पुराने हैं उनको दिक्कत न होती हो, कि एक-एक विभाग एक-एक जगह नहीं है, कोई किसी बिल्डिंग में कोई किसी बिल्डिंग में, दूर-दूर बसे हुए हैं। इससे ज्यादा करप्शन होता है। कोई बेचारा रिक्शा लेकर चलता है, दस जगह जाता है। १० जगह दौड़ कर जाता है और उसे पता नहीं लग पाता कि कौन सा आफिस किस जगह है। अब पुलिस विभाग को ही लीजिये। ७ डी० आई० जी० हैं। विजिलेंस, सी० आई० डी० के आफिस सब अलग-अलग जगह पर हैं। अगर ७ के ७ एक जगह होते तो हम पता लगा लेते कौन-कौन हैं लेकिन अलग-अलग होने से हम पता नहीं लगा पाते कि कौन कहां पर है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जगह-जगह इमारतें न लेकर एक विभाग को इमारत एक ही जगह हो तो काम करने में सबको सुविधा होगी। केन्द्र में यही व्यवस्था है कि एक विभाग एक ही जगह पर है। यहां पैसा कम नहीं लग रहा है। आप किराये पर लिए हुए हैं। आप एक विभाग को एक जगह लाइये उससे आपको भी लाभ होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

ठेका ले लीजिये।

श्री श्याम धर मिश्र--

इसके लिये सबसे अधिक उपयुक्त शतरुद्र प्रकाश जी हैं। वह ठेका ले लेंगे। उनके मित्र मालवीय जी हैं ही उनसे वह ठेका ले लेंगे।

एक चीज है स्क्रीनिंग आफ सर्विसेज। पिछली सरकार ने नहीं किया इसके लिये खेद है। यह सरकार भी नहीं कर सकी, उसी में लिपटी पड़ी है। सर्विसेज में जो साम्प्रदायिक लोग हैं, घुसते जा रहे हैं। उनको यह निकाल नहीं पा रही है। आर० एस० एस० के लोग घुस रहे हैं। आज आर० एस० एस० के लोग खुल्लमखुल्ला बाजारों में परेड करते हैं और नौकरियों में घुस रहे हैं। आप इसकी स्क्रीनिंग कराइये जो साम्प्रदायिक है उसे नौकरी में नहीं लिया जायगा इसकी आप व्यवस्था करें।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि लालफीताशाही को बन्द करना होगा। जंपिंग करनी होगी। हो सकता है कि अंडर सेक्रेटरी से फाइल सीधे सेक्रेटरी के पास चली जाय, डिप्टी सेक्रेटरी को बीच में जरूरत न पड़े। या सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पर चली जाय। न जाने बीच में वैसे कितने सेक्रेटरीज हैं जैसे स्पेशल सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आदि। इतने सेक्रेटरीज अनावश्यक हैं। टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन है जो आवश्यक है। जो चरित्र पंजिका लिखी जाती है सेक्रेटेरियट और जिले में उस सम्बन्ध में मैं यह मानते हुए भी कि इसकी उपयोगिता

है यह कार्य भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जो चापलूस लोग हैं वे अच्छी से अच्छी इन्ट्री पा जाते हैं और जो लोग अच्छे हैं, वे मारे जाते हैं। अब जिले के प्रशासन की ओर देखा जाय तो जहां पहले १० वर्ष या ५ वर्ष पहले एक कलेक्टर, एक ए० डी० एम० सिविल सप्लाईज और एक आध और आफिसर होते थे आज वहां दफ्तरों का जाल बिछा हुआ है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)––

आपके के जमाने की बात है।

श्री श्याम धर मिश्र––

इससे काम चलने वाला नहीं है। अब आप उसके लायक या नालायक उत्तराधिकारी हैं। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह हमारे जमान में हुआ। यह जनता तय करेगी कि आप कैसे हैं। अब तो एक कलेक्टर है, उसके बाद ए० डी० एम० जे०, ए० डी० एम० ई०, ए० डी० एम० (पी), ए० डी० एम० (जुडिशियल) कितने ही ए० डी० एम० हो गये हैं। ७–८ तो हमारे जिले में ही हैं (व्यवधान)। नाम लेने की जरूरत नहीं है कई लोग हैं। अब एक ए० डी० एम० (वित्त) और बना दिये हैं जिनका काम केवल रजिस्ट्रेशन को देखना है।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बैठे हैं इतनी इम्पार्टेंट बहस चल रही है लेकिन कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

मैं सहमत हूं आपकी बात से। कोई कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिये।

श्री श्याम धर मिश्र––

आप देखेंगे कि कोआर्डिनेशन नाम की कोई चीज आज नहीं है इतने ज्यादा अधिकारी हो गये हैं उनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। आज तहसील में कोई रहना नहीं चाहता है। बड़े–बड़े अधिकारी जिलों में ही रहना चाहते हैं तहसील में जो दफ्तर होना चाहिये उसे भी जिले में उठा ले जाते हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत और भी जितने छोटे–छोटे अधिकारी हैं वह तहसील में रहने चाहिये वह भी जिले मे रहते हैं जिनके लिए आज्ञा है कि वह वहां रहें। श्रीमन्, हमारे यहां अकबन्दी का दफ्तर ज्ञानपुर में था उसे उठाकर जिले में ले गये हैं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सत्य प्रकाश जी, आप किसी सीनियर मिनिस्टर को बुलायें।

स्वायत्त शासन उप–मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)––

ठीक है, साहब मैं बुला लाता हूं। (व्यवधान)।

श्री ऊदल—

श्री शतरुद्र प्रकाश जी को मिनिस्टर बना दें वह ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं जिला प्रशासन की बात कह रहा था । वहां से ही योजना का कार्यान्वयन होता है । उसे हमें ठीक करना चाहिये चाहे पुलिस हो या कोई विभाग हो वहां अगर व्यवधान हुआ तो प्रगति नहीं हो सकती है । मैं तहसीलों की भी बात कहता हूं वहां पर किसानों का लगान ठीक से नहीं लिखी जाती है । मेरे जिले में आप देखें वहां पर दुबारा लगान वसूल हो रही है । आप भी जानते होंगे यह मेरे जिले में ही नहीं और तहसीलों में भी ऐसा होता है क्योंकि तहसीलों को कोई देखने वाला नहीं है । बड़े साहब जो हैं वह जिले में रहते हैं और उनसे बड़े साहब मिनिस्टरों के पास रहते हैं । आज सबसे ज्यादा जरूरत वहां तहसीलों में देखने की है । लेखपाल, सेक्रेटरी, बी० एल० डब्ल्यू०, ग्राम चौकीदार, ग्राम रक्षक आदि जितने कर्मचारी हैं वह ग्राम रक्षक न होकर भक्षक हो रहे हैं । मैं तो कहता हूं इतने लोगों को रखने के बजाय आप दो–तीन आदमियों को वहां रखें उनको सारे कामों में ट्रेंड करें वही सारा काम कर सकते हैं और इन्हीं को आप ठीक करिये ।

इसमें एक मद सूचना विभाग की भी है उस सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता हूं कि विज्ञापन का कोई माप दंड आपका नहीं है । जिसको मन में आया दे दिया । जो खुश कर सके उसे विज्ञापन मिल जाय यह उचित नहीं है । सूचना विभाग तो केवल मंत्रियों के वक्तव्य देता है मंत्रियों के वक्तव्य तो अपने आप आ जाते हैं । इसके लिए एक–एक पब्लिक रिलेशन आफिसर हो गये, तो अच्छा है, लेकिन सूचना विभाग का कर्म होना चाहिये कि जनता की क्या–क्या शिकायतें आईं और क्या–क्या दूर हुईं, उनका प्रचार करें । यह जिले–जिले में हो, तो मैं बधाई दूंगा सूचना विभाग को ।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि करीब १ लाख कुल मिलाकर ये यहां हैं १० करोड़ जनता पर । १० वर्षों में ये ४० हजार से बढ़कर १ लाख हुए हैं । मैं उन सबको खराब नहीं कहता, लेकिन थाने इतने कम हैं कि अपराध नियन्त्रित नहीं हो पा रहे हैं । आबादी जब ५० हजार थी तब भी थाने इतने ही थे और अब जब आबादी डेढ़ लाख हो गयी है, तो भी थाने उतने ही थाने हैं । तो इसे आपको देखना चाहिये और करीब ५० हजार की आबादी पर एक थाना कम से कम होना चाहिये । एक थाने में अधिक आबादी होने से इफीशिएंट अफसर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं । इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ऊपर से है, ऊपर से भ्रष्टाचार बंधा हुआ है । जिस जिले में एस० पी० अच्छा होता है, अपराध कम होते हैं और दारोगा भी अच्छे रहते हैं । एस० पी० का अपने थानों से महीना बंधा हुआ है, यह होगा तो कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा । इसकी जांच होनी चाहिए । क्रान्तिकारी सरकार इसको ठीक नहीं कर सकेगी तो कौन इसे ठीक करेगा ? ३२५ बेलेबुल अफेंस होगा, हमारी कोई हड्डी तोड़ दे आप बेल कर देंगे, लेकिन २७९, १६७ और १०९ के अन्तर्गत होने वाले साधारण अपराध अनबेलेबेल हैं । आप इसे देखें, इससे पुलिस लोगों का कितना हेरेसमेंट करती है, ज्यादातर पुलिस यह करती है । बम्बई में पुलिस की हड़ताल हो गयी और इसी दो तारीख को कुछ जगह पी० ए० सी० वालों ने खाना नहीं खाया, यह इस बात का सबूत है कि ....

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्री मतबढ प्रकाश--

उनका पेट खराब था ।

श्री श्याम बर मिश्र--

ऐसी ही बातों से तो वह इधर आ गए और आप भी वैसे ही आ जाइयेगा । (व्यवधान) जब मैंने एक दिन मालवीय जी से पूछा क्या एक दिन बनारस के सिपाहियों ने भूख हड़ताल किया था, तो उन्होंने कहा उनका रोजा रहा होगा और कहा कि जन्माष्टमी रही होगी । तो मैंने उन पर पूछा श्रीमन् जन्माष्टमी तो ६ तारीख को थी और यह बात तीन की है । तो यह नये उनके चेले लोग हैं, जो इस तरह का जवाब दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मिश्र जी आपका समय करीब-करीब समाप्त हो रहा है ।

श्री श्याम बर मिश्र--

रायबरेली का किस्सा अभी यशपाल सिंह जी द्वारा उठाया गया, उस पर कल एक वक्तव्य आया था । मैं मानता हूं कि किसी को किसी की पब्लिक मीटिंग में जाने से इन्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे की पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो उसे शान्ति से सुनना चाहिए, भले ही आप उसे पसन्द नहीं करते हैं और आपके अप्रिय नेता हैं । और हो तो आप वहां उससे लिखित रूप से सवाल पूंछ लीजिए, मगर यह नहीं कि आप जाते ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगें और बीच-बीच में सवाल कर, जिससे व्यवधान पैदा हो । यह जो जवाब आया है कि सवाल किया, तो सवाल किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि व्यवधान किया गया । जिस तरह का उत्तर आया वहां कुछ नहीं हुआ, उसी दिन हमारे प्रधान मन्त्री, हमारे लिए वह भी नेता हैं, इंदिरा गांधी भी नेता हैं, मोरार जी भाई आये थे लखनऊ में, केवल १२ लड़कों ने नारे लगाये उनको पकड़ कर जेल में फेंक दिया गया यह शर्म की बात है। विधि का राज्य होना चाहिए, कसि का राज्य नहीं होना चाहिये । क्रान्तिकारी लोगों ने कहा कि विधि का राज्य होगा व्यक्ति का राज्य नहीं होगा । जमाननीय गृह मन्त्री का राज्य है। आज नारायण दत्त जी क्यों जेल में हैं। वह झंडा फहराने गये । पचास वर्ष से वहां इसका अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व स्थिति कायम रहे। १९२२ से झंडा फहराया गया। १९६५ में माननीया सुचेता कृपलानी का वक्तव्य है। सरकारी दफ्तर पर सरकारी झंडा होगा। लेकिन सरकारी दफ्तर के अगल-बगल ८० फीट पर कांग्रेस का झंडा होगा तथा और भी झंडा होगा । केवल वहां कांग्रेस का झंडा नहीं है, फारवर्ड ब्लाक का झंडा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सरकारी झंडा लगे और कांग्रेस का झंडा जैसे लगता था वैसे वह भी लगे, जनता पार्टी झंडा लगाना चाहे, वह भी रहे । जनता पार्टी चाहती है कि वह जिन्दा रहे, कांग्रेस मर जाय । यह नहीं होगा ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--

कौन सा नियम है, बताइये ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

किस नियम में ? बैठिए आप।

श्री श्याम धर मिश्र--

यह नियम जानते होते तो इस तरह से इनकी हालत होती।

श्री अधिष्ठाता--

मिश्र जी, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं रेडियो स्टेशन लखनऊ की बात कह रहा था। दो-तीन दिन पहले कुछ लड़के पकड़े गये। किस लिए ? उन्होंने जाकर कुछ नारे लगाये, और क्या नारे लगाये रेडियो ठीक से अपना वक्तव्य दे। उस पर क्या हुआ ? उन लड़कों को न केवल पकड़ा गया उन पर डकैती का मुकदमा चलाया गया। उनके पिता और माता कपड़े ले गये उन कपड़ों को नहीं दिया गया। चारों लड़के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको कपड़ा नहीं दिया जा रहा है। और इनफीरियर क्लास दिया जा रहा है। आज के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये। वे ३० वर्ष की खराबियों का गुणगान करते हैं। आज छः मुख्य मंत्री जिन्दा हैं, चन्द्रभानु जी गुप्त, चरण सिंह जी, टी० एन० सिंह जी, कमलापति जी, बहुगुणा जी और नारायण दत्त जी। इनमें चार मुख्य मंत्री जनता पार्टी के हैं। आप उनको नेता समझते हैं या नहीं ? मैं तो उनको नेता मानता हूं। आप कहते हैं कि कुकृत्य हुए, तो क्या वह कुकर्मी हैं। मैं तो उनको नेता मानता हूं। आप कहें कि चन्द्रभानु गुप्त, टी० एन० सिंह यह सब लोग बेकार लोग हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मान्यवर। अभी वाराणसी में ४-५ दिन से वहां के विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं और लड़के चुनाव करा रहे हैं। छात्र संगठन, विद्यार्थी परिषद् के चुनाव हो रहे हैं। मान्यवर, वहां पर हुआ क्या कि लड़कों को पकड़ कर जेल में डलवा दिया जिससे वे चुनाव न करवा सकें। इस तरह के कार्य सरकार कर रही है। मैं कहता हूं कि अगर इस तरह के काम आप करेंगे तो आपकी सरकार जल्द ही मरेगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री श्यामधर मिश्र--

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जब तक प्रशासन कुशल और स्वच्छ नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जनता ने जनता पार्टी को विजयी बनाकर जनतांत्रिक परम्परा को कायम किया है। अगर यह सरकार अपने वादों पर नहीं चलती है तो हमें हक है कि हम इसकी आलोचना करें। जहां तक जनता पार्टी का सवाल है तो हम वोट उसी को करेंगे। हमारी जनता पार्टी ने जो विश्वास दिया था जनता को आज जनता निराश होती जा रही है। डाक्टर लोहिया के वसूलों को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मंत्री जो उन्हें सुख सुविधायें मिली हैं उनका त्याग कर दें तो जनता में एक नई जान आ जावेगी। मैंने तबादला के सम्बन्ध में ७ जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस सरकार इसी मामले पर बदनाम हुई थी। आप इस सम्बन्ध में कोई नीति का निर्धारण कीजिए और उस नीति को विभाग को दे दीजिए। विभाग उसी नीति पर काम करे अगर विभाग उस पर काम नहीं करता है तो आप एक्शन लीजिए। मैं बलिया का एक उदाहरण देना चाहता हूं। ६ विधायकों ने एक लेडी डाक्टर के विरुद्ध लिखा था, पहले तो सुनाई पड़ा कि ट्रान्सफर हो गया है लेकिन जब सी० एम० ओ० से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न मेरे पास तबादला होने की सूचना है और न उसके कैंसिल होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तबादला रुक गया है। .... बलिया जिले में भी ऐसा ही हुआ। एक तबादले के लिए १० हजार रुपये।

लोग अब हमारे ऊपर नाइन्साफी का लांछन लगा रहे हैं, आज अगर हमारी नीति इस प्रकार की बनाई गई होती तो शायद जनता पार्टी पर लोग ये लांछन न लगाते।

मिसाल के तौर पर आज नौकरियों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। वही हालत आज भी है जो कांग्रेस के शासनकाल में थी। आप कोई नियम बना दें, कानून बना दें कि इस तरह से नौकरी मिलेगी। हर एक व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी। बस योग्यता के आधार पर ही मिलेगी तभी हिन्दुस्तान का नौजवान योग्यता की तरफ उन्मुख होगा। तब वे हमारे-आपके पीछे कतारें नहीं लगायेंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि इस काम को हमने नहीं किया। अगर यह काम जनता पार्टी ने आते ही कर दिया होता तो जनता का विश्वास जनता पर जम जाता और यह हालत नहीं होती।

भ्रष्टाचार की ही बात लीजिए। आज हमारे सरकारी विभागों में ५० फीसदी ऐसे कर्मचारी हैं, जो मंत्रियों की इच्छानुसार बन जाते हैं। ४० फीसदी ऐसे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

कि अगर मंत्री जी चाहें भी कि भ्रष्टाचार न हो, तो भी वे भ्रष्टाचार में निहित रहेंगे । अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें । शेष दस फीसदी ऐसे होते हैं जो बेचारे ईमानदारी से ही काम करेंगे और रूखी-सूखी रोटी खायेंगे । मुझे यह बात कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि भ्रष्टाचार पहले से और ज्यादा बढ़ा है घटा नहीं है । अगर हमारा प्रयास सही दिशा में होता तो भ्रष्टाचारी हमसे आतंकित होते । आज वे डरते भी नहीं हैं । जन-प्रतिनिधियों के सामने एक अधिकारी ने यहां तक कह डाला कि जाने दो, ये क्या कर लेंगे ? आज शासन के अधिकारियों को डर है ही नहीं ।

भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की बात हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कही है । निजी सम्पत्ति का जो अधिकार है, वह आप समाप्त करिये । जब तक निजी सम्पत्ति बढ़ाने का अधिकार व्यक्ति को रहेगा, लोगों में पैसा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । हमने जनता से वायदा किया है कि निजी संपत्ति की मिल्कियत को समाप्त किया जायेगा । जब तक ऐसा नहीं किया जाता, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । अतः इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

आमदनी की विषमता के बारे में बड़ी चर्चा की जाती है । अभी मैं गोरखपुर की एक आम सभा में बोल रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि चौधरी साहब आपने कहा कि आमदनी तो सौ और हजार रुपये के बीच होगी । मगर आपलोग तो आपके मंत्री लोग तो खुद ही पांच हजार रुपया ले रहे हैं । ऐसा किस आधार पर आप कर रहे हैं । यह सवाल हमारी जनता पार्टी के सामने आता है । हमने भय को सम बनाने की जो कसमें खाई हैं, उनका हमें पालन करना है । कहीं आप भी फिर से कांग्रेसी सरकार वाली नीति प्रारम्भ कर दें क्योंकि उस समय तो आप विरोध में थे और आप उनकी नीतियों की खिलाफत करते थे तो आज जनता हमसे पूछती है कि अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ।

अगर हम इन बातों की ओर ध्यान देते तो जनता पार्टी का चित्र उभरता और जनता हमारी सम्मान करती ।

एक सवाल बाकी रह जाता है वह है हरिजनों और अनुसूचित जातियों का । ऊंचे जाति के लोग बड़े-बड़े पदों पर बैठे रहते हैं । अब अगर एक विभाग है और उसमें ३७ जगहें हैं तो काफी संख्या में ब्राह्मण आदि जातियों के लोग हैं, तो इनको एक सीमा तय करनी होगी और गरीबों और पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के लिए जगहें बढ़ानी होंगी । इसके लिए ऊंची जाति वालों को नीचे उतरना होगा । आप कहते हैं कि हरिजनों के लिए रिक्त पदों पर उपयुक्त योग्यता के लोग नहीं मिलते तो मैं कहता हूं कि पहले उन्हें कुर्सी पर बिठाओ, योग्यता उनमें अपने आप आ जायेगी । इसी प्रकार से २० अगस्त से पिछड़ी जातियों का भी नौकरियों में १५ प्रतिशत का आरक्षण हुआ है किन्तु इसका पालन नहीं हो रहा है । नियम सामान्य है कि ५० प्रतिशत स्थान सामान्य योग्यता से भरे जाते हैं । इसलिए योग्यता में जो भी किसी वर्ग या जाति का व्यक्ति आ जाय तो उसका चयन कर लेना चाहिए । शेष जो अभ्यर्थी बच जाते हैं, उन्हीं में से आरक्षण के हिसाब से योग्यता के अनुसार चयन होना चाहिए किन्तु इस नियम का उल्लंघन करके चयन नहीं हो रहा है । नतीजा यह है कि इतने वर्षों बाद भी हरिजनों का कोटा १८ प्रतिशत की पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है । चाहे हरिजनों

संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

और पिछड़ी जातियों के लोग योग्य हों या अयोग्य हों, अगर निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो उनके कोटे के स्थान की पूर्ति उनमें से ही योग्यता के अनुसार कर लेनी चाहिए। तब जाकर समाज का बदलाव होगा, लेकिन ऊपर जो अग्रणी काफी संख्या में बैठे हुए हैं, वे इसके पालन में रोड़े हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या ७ प्रतिशत है लेकिन नौकरियों में किसी भी जगह ३७ प्रतिशत से कम नहीं है।

इन शब्दों के साथ में अपने सुझाव रखते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राधव राम मिश्र (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, आज विरोध पक्ष से माननीय मिश्र जी ने कासगंज की एक बात रखी थी। वहां पर एक घंटा घर है। १५ अगस्त को वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि २५-३० साल से वहां पर कांग्रेस का झंडा फहराया जाता था। इस पर वहां के जिलाधीश ने निर्णय लिया कि जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिस सार्वजनिक स्थान पर ऐसा होता है, वहां पर कोई और झंडा न फहराया जाय केवल राष्ट्रीय झंडा ही फहराया जाय। जनता पार्टी के लोगों ने इसे मान लिया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वहां पर आन्दोलन करने की चेष्टा की और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नारायण दत्त जी जैसे संसदीय व्यक्ति के लिए, कि उन्होंने वहां पर पूरे प्रदेश के लोगों को आह्वान किया। पूरे प्रदेश के लोगों से कहा कि कासगंज चलो और आन्दोलन करो। जनता पार्टी की सरकार ने और वहां के जिलाधीश ने बहुत उचित कदम उठाया और कहा कि जहां पर राष्ट्रीय झंडा फहरता हो वहां पर किसी भी पार्टी का झंडा न फहराया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ३० साल से जो बेईमानी, भ्रष्टाचार या अत्याचार होता आया है, उसका मतलब यह तो नहीं है कि उसको बदला न जाय? हमारे कांग्रेस के भाइयों ने कहा है कि यह तो ३० वर्षों से होता चला आया है। अगर ३० साल से गन्दगी चलती रही है तो जनता पार्टी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज माननीय श्यामधर जी ने कहा कि आल इंडिया रेडियो के सामने कुछ लड़कों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने किस बात पर प्रदर्शन किया है? वे लड़के क्या करने गए थे, मैं समझता हूं कि आल इंडिया रेडियो आजकल निष्पक्ष रूप से व्यवहार कर रहा है। पहले श्रीमती इंदिरा गांधी का ही गुणगान किया करता था, या संजय गांधी का ही गुणगान रेडियो पर होता था और किसी और की बात रेडियो पर नहीं सुनाई देती थी लेकिन आज रेडियो पर सबको समान अवसर मिल रहा है इंदिरा गांधी गिरफ्तार होती हैं वह भी रेडियो पर आता है, छूटती हैं वह भी आता है। विरोधी पक्ष की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघव राम मिश्र--]

हर बात आती है। तो वे लोग जिन्होंने २ साल तक रेडियो को बिलकुल अपना चमत्ता बना रखा था, "इंदिरा रेडियो" बना रखा था, वह लोग प्रदर्शन करें रेडियो के सामने यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। उनको लज्जित होना चाहिए।

एक बात पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पुलिस ने दो साल तक कांग्रेस के शासन में जो अत्याचार किया है, जो झूठे मुकदमे उन्होंने बनाये हैं अब जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनपर रोक लगा दी गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि किसी प्रकार का कोई झूठा मुकदमा इस प्रकार से न हो और कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब, निर्बल से निर्बल व्यक्ति जो भी थाने पर जाय उसकी रिपोर्ट लिखी जाय, उसकी जांच की जाय और जो दोषी व्यक्ति है उसके साथ उचित न्याय और कार्यवाही की जाय। लेकिन इसमें मैं पुलिस प्रशासन के लिए इतनी बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के पीरियड में जो अत्याचार उन्होंने किए हैं, जनता पार्टी की सरकार ने जो बदल किया है उसके अनुकूल अभी वह नहीं बन पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसा कदम उठावे कि प्रजातांत्रिक तरीके से भी ला एंड अर्डर मेनटेन किया जा सकता है, केवल तानाशाही स्थापित करके ही नहीं, झूठे फंसा करके, सता करके, लोगों पर अत्याचार करके ही ला एंड आर्डर नहीं स्थापित किया जा सकता है। तो प्रजातांत्रिक आधार पर लोगों की बातों को सुनते हुए, गरीब से गरीब आदमी की पुकार पर ध्यान देते हुए ला एंड आर्डर स्थापित किया जा सकता है। मेरा जनता पार्टी सरकार से निवेदन है कि पुलिस की ट्रेनिंग की प्रजातांत्रिक तरीके से किस प्रकार से व्यवस्था की जाय, इसकी ट्रेनिंग की उचित प्रकार से व्यवस्था की जाय।

अब पुलिस प्रशासन के अन्दर कुछ जो उन लोगों की कठिनाइयां हैं उन पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से सेना के लोगों को अच्छा वेतन मिलता है, उनको रहने को अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनको वर्दी धुलाई के लिए उचित अलाउंस मिलता है इसी प्रकार से पुलिस के कर्मचारियों को अधिकारियों को भी वे सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। मेरा निवेदन खास तौर से अपने जिले लखीमपुर के संबंध में है। मैंने अपने जिले में दरियाफ्त किया तो वहां जो सी० ओ० हैं उनको जीपें उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि उनको जीपें उपलब्ध होनी चाहिए। उनके सामने दिक्कत है कि वह जब क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं और कोई वारदात होती है तो तुरन्त उनको सूचना नहीं उपलब्ध हो पाती या तुरन्त उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। उनके पास जीपों की व्यवस्था होनी चाहिए और वायरलेस उसमें फिट होना चाहिए ताकि किसी स्थान पर हों तो उनको खबर लगे और जाकर के उसका समुचित निदान कर सकें।

महोदय, एक बात मुझे पुलिस के ही संबंध में कहनी है। अपने ही क्षेत्र की बात है। हमारे हैदर बाद थाने के थानेदार शायद जनता पार्टी का जो नया वातावरण है उसके अनुकूल अपने को नहीं ढाल पा रहे हैं। मैं जब क्षेत्र का दौरा कर रहा था उस समय भी मैंने उनके संबंध में बहुत सी शिकायतें की थीं। जब मैं जीत कर आया तो मैंने आई० जी० महोदय से उनके संबंध में बात-चीत की थी। आज पुनः मेरा निवेदन है कि उस व्यक्ति को लखीमपुर जिले के बाहर स्थानान्तरित किया जाय। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई और बड़ा दंड दिया जाय। उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वह नये वातावरण के अनुसार अपने को ढालें।

लेकिन जहां पर वह मौजूद हैं, जिस हैदराबाद थाने में रह कर उन्होंने जनता पर अत्याचार किये हैं वहां से उनको हटाया जाय और दूसरे जिले में नियुक्त किया जाय । एक जनरल बात मैं अपसे कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

मिश्र जी, अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राघव राम मिश्र––

वह जनरल बात यह है कि पूरे प्रदेश में जनता सरकार का जिस तरह से कंट्रोल होना चाहिये वह यदि नहीं स्थापित हो पा रहा है तो उसका एक मात्र कारण यह है कि ऐसे लोग जो इमरजेन्सी पीरियड में जिन स्थानों पर थे और जनता पर अत्याचार कर रहे थे वे आज भी उन्हीं स्थानों पर हैं । ऐसे लोग चाहे वह डी० एम० हों, एस० पी० हो या कोई और अधिकारी हों उनका स्थानान्तरण दूसरे स्थानों पर कर दिया जाय क्योंकि जिन्होंने उसी क्षेत्र में जनता पर अत्याचार किये हैं उनके रहते हुये वहां पर अच्छा वातावरण या स्वच्छ प्रशासन नहीं स्थापित हो सकता । इसलिये यह स्थानान्तरण करना अवश्यक है ।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें ।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो अनुदान प्रस्तुत किये गये उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो नीतियों की घोषणा की और एक बात मुख्य रूप से कही कि यह सरकार बिल्कुल क्रान्ति कर के देश में आयी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन सी क्रान्तिकारी नीतियां हैं जिन पर चल कर वह देश और प्रदेश की सेवा कर पाते और गरीबों का उद्धार कर पाते । आप ही लोगों में एक निराशा की भावना पैदा हो रही है । मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा आप लोग निराश हैं । फिर भी एक आवाज निरन्तर निकलती रहती है कि ३० साल कांग्रेस ने बरबाद कर दिये । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा दिल्ली की ओर नजर डालिये कि कौन लोग वहां बैठे हैं । क्या वे लोग लगातार ३० साल तक गद्दी पर नहीं बैठे रहे और अगर बैठे रहे तो यह रोना बन्द कीजिये और नयी नीतियां बनाइये । आपने स्वच्छ प्रशासन का नारा दिया कि आप स्वच्छ प्रशासन लायेंगे । तो स्वच्छ प्रशासन के नाम पर इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सजीवन--]

पुलिस में बड़ा है और अभी तक तो मजिस्ट्रेट घूस नहीं लेते थे, अब जिलों-जिलों के अन्दर मजिस्ट्रेट घूस लेते हैं। इस तरह से इसको रोकने के लिए कोई क्रांतिकारी नीतियां बनायें और आगे बढ़ें। जिससे जो निराशा का वातावरण पैदा हो रहा है और देश के अन्दर जो भावना अब बदल रही है, उसमें आप सुधार लायें, वरना जिस तरह से कांग्रेस को उलट दिया है आपको उलटने में देर नहीं लगेगी। पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, चाहे किसी थाने में चले जाइये दरोगा बिना घूस के बात नहीं करता। आप उसको ठीक करिये। आप उनके भ्रष्टाचार को बढ़ाइये नहीं। उसको खत्म कीजिये। हमारी पार्टी उसमें आपको सहयोग देगी। ये पी० ए० सी० के जो जवान निकाले गये हैं, इसमें सरकार को विचार करना चाहिए ठंडे दिल से और उसमें जो उनकी कुछ न्यायोचित मांगें हैं, उनको मान कर उनकी समस्याओं को हल करना चाहिये। उसका असंतोष पूरे प्रदेश में फैल रहा है, उसको रोकने का प्रयास करिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप इधर देखिये।

श्री राम सजीवन---

डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, मान्यवर। इस स्थिति को ठीक करने के लिए दुरन्त कदम उठाइये। शांति व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, प्रदेश के अन्दर कत्ल, डकैतियां, चोरी, राहजनी आदि की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है और जन जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं बताऊं हमारे बांदा जिले में अभी 20-25 रोज के अन्दर 5 हरिजन गोली से भून दिये गये, जिसमें दो तो एक जगह के थ, और तीन दूसरी जगह के थे।

एक सदस्य---

डकैती करने गये होंगे ?

श्री राम सजीवन--

हर जगह आपको डकैत दिखाई पड़ते हैं। मेरे पास सबूत है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह बात कही, इससे पहले नारायण दत्त तिवारी जी से और इससे पहले बहुगुणा जी को बताया गया था। इन हरिजनों से दो हजार रुपये वसूल करने के लिए, उनको मजदूरी के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे नहीं दिये, तब उनको तंग किया जा रहा है। उन मजदूरों की जान खतरे में है। वे फर्जी मुकदमे में फंसाये गये हैं। उनके मुकदमे वापस लिये जायं। उनको सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। शासन को जानकारी में आने के बाद भी शासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तीन हरिजनों की हत्या कर दी गई। यह जो शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है, उसका प्रभाव निर्बल वर्ग पर पड़ रहा है। जो निर्बल वर्ग है, गरीब लोग हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। बड़े आदमी, सामन्त वह उन पर हमला करते हैं।

दूसरी जगह एक पवई गांव बांदा जिले में है, कोतवाली के अन्दर दो हरिजनों को मार दिया गया, 3 घायल हुए, घायल लोगों ने रिपोर्ट लिखाई, उनकी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने मांग की कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच

कराई जाय । अराजकता बढ़ रही है । शान्ति व्यवस्था की स्थिति खतरे में पड़ रही है सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है जिससे देश में बहुत गड़बड़ी पदा होने वाली है । तो हमारे यहां राजापुर थाने के भदेदू गांव में हरिजनों के नाम फतेहपुर जिले से फर्जी वारन्ट गिरफ्तारी का निकलवाया गया । अदालत ने फर्जी वारन्ट निकाल दिया । वह पकड़ कर बन्द करके ले जाये गये तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है । मैजिस्ट्रेट ने मुकदमें में स्टेट वर्सेज अज्ञात धारा ४२० आई० पी० सी० लिख दिया । इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मेरा कहना है कि इसमें मैजिस्ट्रेट, एस० पी० और अन्य सम्बन्धित पुलिस अधिकारो जब तक सजा नहीं पायेंगे तब तक इस तरह की वारदातें बढ़ती रहेंगी और शान्ति व्यवस्था को खतरा पदा होगा, अराजकता बढ़गी और लोगों की जान खतरे में पड़ेगी ।

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर है । यह नियमों में बहुत पहले से चला आ रहा है कि आप देखें, जिलाधिकारी, एस० पी० को लिखता है और एस० पी० दरोगा को लिखता है । तो इस तरह से जिलाधिकारी का सीधा कन्ट्रोल दरोगा या पुलिस पर नहीं है । लेकिन शासन जिलाधिकारी को शान्त और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराता है । लेकिन पुलिस उसके काबू में नहीं है तो वह कैसे दरोगाओं से काम लेगा । तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिये, जिससे एक आदमी जिले के अन्दर जिम्मेदार होना चाहिए । जो जिम्मेदार हो, उसको इस सम्बन्ध में अधिकार होना चाहिये कि वह स्थिति को सुधार सके । इसका सम्बन्ध सामान्य प्रशासन से भी है । तो मैं कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट जो बनी हैं, उनमें गरीबों और हरिजनों का नाम शामिल नहीं किया गया है । इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटरलिस्टें ठीक से बनाई जायं और किसी का नाम जानबूझ कर लिस्ट से न काटा जाय । इसी सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है । बहुत दिनों से यह प्रथा चल रही है और गरीब लोग इसके शिकार होते हैं । यह लोकतन्त्र के लिये कलंक है और लोकतन्त्र की हत्या है कि गरीब आदमी वोट न डाल सके ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा । मान्यवर, सूचना तथा प्रसार विभाग इसी से सम्बन्धित है । सूचना और प्रसार निदेशालय में जो निदेशक महोदय हैं, वह इतना गलत काम कर रहे हैं कि हरिजन और कमजोर वर्ग के छोटे कर्मचारियों को वहां पर सताया जा रहा है । वह सरकार को देखना चाहिए कि वह स्थिति जो पैदा हो रही है, उसको रोका जाय । धन्यवाद ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

श्रीमन्,

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

क्यों, मान्यवर, मेरे साथ यह अन्याय क्यों ?

श्री अधिष्ठाता--

आपने स्पेशल तरीके से अनुरोध किया है, इसलिए 5 मिनट दे रहा हूं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद । (हंसी)

श्रीमन्, हम जिन मदों पर आज चर्चा कर रहे हैं वह ऐसी मदें हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सरकार की नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर जिन मदों पर, जिस विभाग पर बहस चल रही है उस विभाग का काम ठीक से नहीं चलता तो सरकार की नीति और मंशा पूरे तरीके से उसमें सही नहीं उतरेगी । इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 30 सालों का जो शासन रहा है उस शासन के चलते जो आज इन विभागों की हालत है वह बहुत खराब हो गयी है । जब तक इनमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार की अपेक्षायें, जो अपेक्षा में जनता पार्टी से की गयी हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में हम अपने को सक्षम नहीं पायेंगे ।

मान्यवर, हमारे बहुत से लोगों में इस हद तक निराशा का वातावरण इन विभागों को लेकर हो गया कि हम लोग यहां तक कहने लगे कि जब तक उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस राय के पक्षधर हैं कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो । इसलिए उत्तर प्रदेश के बंटवारे के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुनियादी चीज को हमको बदलना चाहिये और वह यह है कि आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले नागरिक को यदि कोई फाइल उत्तर प्रदेश के शासन तक आती है तो उसको वे तमाम पड़ाव पार करने पड़ते हैं जितने कि देहरादून और नैनीताल से आने वाली फाइल को पार करने पड़ते हैं और फिर भी कोई गारेन्टी नहीं कि काम हो जायगा । इसलिये हमारे शासन को चुस्त होने की जरूरत है, जिसके लिये बुनियादी परिवर्तन करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा । हमारे जो आज अधिकार हैं, प्रदेश के जो अधिकार हैं, जब तक उनको विकेन्द्रित नहीं करते तब तक हमारा प्रशासन ठीक नहीं रह सकता है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि बड़ी बुनियादी विचार की जरूरत है और वह यह है कि हमको जिला परिषद, जो स्वायत्त सेवी संस्थायें हैं उनको अधिक से अधिक अधिकार देना होगा और तब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रशासन ठीक से होगा ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बटवारे को लेकर बहुत से लोगों के मन में सोच होता है । पश्चिमी जिले से मैं आता हूं और वहां कहा जाता है कि उनकी कमाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खा जाते हैं । यह सत्य नहीं है । हम जानते हैं

कि पूर्वी उत्तर प्रदेश किसी खास वजह से पिछड़ा है और उन बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी है कि हमारी आजादी की लड़ाई, लड़ाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लोगों का ज्यादा हिस्सा लेना । इसलिए उनको उसका दण्ड भुगतना पड़ा है ।

श्री हरी सिंह--

ऐसा नहीं है...(शोरगुल) .. (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जायं । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रमा शंकर कौशिक---

मैंने मान्यवर, कोई आक्षेप नहीं लगाया है । इसलिये मान्यवर, बंटवारे से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा । हम साठ के दशक में देख चुके हैं कि जो बुनियादी सवाल थे उनसे जनता का ध्यान हटाने के लिये कांग्रेस शासन की नीति रही है सूबों का पुनः गठन करो । उस समय भी देश के सामने सूबों के बटवारे को लेकर ऐसा उछाल दिया कि जो प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या रही, जो गरीबी की समस्या रही, जो महंगाई की समस्या रही उससे हम दूर हो जायं । लेकिन जनता पार्टी की यह नीति नहीं है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी की सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिये और प्रशासन सुधारने का अच्छा तरीका जो हो सकता है वह यह है कि जितनी हमारी शक्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के शासन को चलाती है उनका विकेन्द्रीकरण हमें चाहिये । जब मैं विकेन्द्रीकरण की बात करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि जगह-जगह डिवीजन बनाकर खड़ा किया जाय इससे विकेन्द्रीकरण नहीं होगा । शक्ति तो यहीं रहेगी, डी० आई० जी० यहीं के अन्डर में रहेंगे, कमिश्नर यहीं के अन्डर में रहेंगे और सारी फाइलों को ऐसे ही गुजरना पड़ेगा जैसे कि अभी तक है । इसलिए हमारी जो जिला परिषदें हैं या जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे दें । पिछले शासन ने बड़ी-बड़ी अजीब चीजें की हैं । चपरासियों के ट्रान्सफर यहां से मंत्रियों ने किये । शिक्षा विभाग के मास्टरों जो 'क' 'ख' पढ़ाते हैं के तबादले यहां से हुए । जो काम जिला स्तर पर होना चाहिए था वह उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठकर किया जाने लगा था, पिछले शासन के दौरान ।

श्री श्यामधर मिश्र---

अब भी हो रहा है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

हैं, लेकिन अब उतना नहीं है। पिछले शासन ने जो एक साजिश की थी सारी शक्ति केन्द्रित करने की उस साजिश को जनता पार्टी की सरकार को तोड़ना है। पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। जनता पार्टी की जो नीति है कि थर्ड डिग्री मेथड्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह जनतंत्र के नाम पर एक कलंक है तो उसको कार्यान्वित करना चाहिये। लेकिन इसी के साथ यह आवश्यक है कि जब तक पुलिस को आधुनिकीकरण नहीं करेंगे कि किसी अपराधी को कैसे पकड़ा जाय, उस पर अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पायेंगे। इसलिए इस दिशा में जनता पार्टी को निश्चित रूप से कुछ सक्रिय कदम उठाने चाहिये।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे सामने के लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिये हैं, जब से हउस चला है, जिस कारण आज इस लखनऊ में साम्प्रदायिक झगड़ा बढ़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

मान सिंह जी, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि ऐसी बात न करें जिससे किसी के जजबात को ठेस लगे।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं आपके सामने एक नमूना पेश करना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जिस दिन हम लोग अपने-अपने घर जा रहे थे, उस दिन बयान दिया, जो नहीं देना चाहिये था। हमारे ऊदल जी ने भी कहा कि काम रोको प्रस्ताव मान लिया जाय। देश प्रदेश में कारपोरेशन्स और टाउन एरियाज का इलेक्शन होने जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि लखनऊ में जो शान्ति भंग हो रही है उसके कारण नेता विरोधी दल हैं। मैं यह दावा करता हूं कि जब मैं अपने क्षेत्र मलिहाबाद में गया तो हमारे क्षेत्र के कलेक्टर साहब ने जो व्यवस्था बतायी, उसके बारे में बताना चाहता हूं। लखनऊ नगरी के कलेक्टर टकरू साहब ने अथवा एस० पी० साहब अगर ऐसी व्यवस्था घटनास्थल पर नहीं की तो उनको सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की जाय। मैं उधर के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि ये लोग जनतंत्र के मानने वाले गांधी जी का चित्र लगाये हुये हैं और गांधी जी के नाम पर देश और प्रदेश में शान्ति भंग करते हैं यह अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मिश्रा जी, जो उधर से अभी बोल रहे थे, उनको लज्जा नहीं आती कि उनकी सरकार ने ऐसे लोगों को जेलों में भेज दिया जो बिलकुल निर्दोष थे। यही नहीं, राम सागर मिश्रा के हत्यारे लोग बैठे हुये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो घटनायें घट रही हैं, उनके बारे में मैंने आई० जी० साहब को पत्र दिया। थाना मलिहाबाद

और थाना माल दोनों थानों के बारे में कहा कि यहां के इन्चार्जों को हटाया जाय । उसके बावजूद भी चार कत्ल हुये और भानुप्रताप मलिहाबाद में बैठे हैं । इन घटनाओं के बारे में इसी हाउस में बोरा ने बयान दिया था और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र दिया । लेकिन अभी उसको उस थाने से हटाया नहीं गया । हमारे एस० एस० पी०, रूरल एरिया, का उस थाने पर बिल्कुल कन्ट्रोल नहीं है । उसको वैसी वर्दी नहीं दी जानी चाहिये, जो कंचन की हो । उत्तर प्रदेश की पुलिस और ऐसी स्वच्छ पुलिस जिसके बारे में हिन्दुस्तान में बखान किया जाता है ऐसी एस० पी० को ऐसी सोने की वर्दी नहीं दी जानी चाहिये । इसकी वर्दी भी उतार कर कोने में रख दी जाय, जैसे कि लखनऊ के एस० पी० बेदी की वर्दी को रखा गया और स्वच्छ वर्दी का एस० पी० लखनऊ में पोस्ट किया गया ।

इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी भी जान की रक्षा की जाय। मैं आई० जी० से खुद मिला । हमारे रहीमाबाद के चौराहे पर एक पुलिस चौकी थी । वहीं पर जंगल भी है । जोशी साहब के जमाने में उस चौकी को वहां रखवाया गया था । जब से उस चौकी को हटाया गया, वहां पर हरदोई, उन्नाव और सीतापुर के बदमाश लोग आकर जंगल में ठहरते हैं । वहां पर चौकी की सख्त आवश्यकता है । इसीलिए मैंने आई० जी० से प्रार्थना की थी । मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिये हैं। लेकिन आई० जी० सिंह साहब ने एक विधायक के पत्र का उत्तर नहीं दिया और न ही कोई आश्वासन दिया । एक बात मैं और लाल सिंह वर्मा, आई० जी० के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

जरा धीरे-धीरे बोलें--इतने जोर से न बोलें ।

श्री मान सिंह आजाद--

माननीय, एक फौजी रघुराज सिंह हैं, जिसके भाई का लोगों ने कत्ल कर दिया । यह हरदोई का रहने वाला है । मैंने इसके सम्बन्ध में आई० जी० साहब से बात की । उन्होंने कहा कि इसको सी० आई० डी० को जांच के लिए दूंगा । इसके बावजूद भी उन्होंने इसमें कोई जांच की कार्यवाही नहीं करवाई । तो मैंने एक गोपनीय पत्र फौजी भाई को लिखकर दिया । लेकिन सारे लोगों के सामने आई० जी० के असिस्टेन्ट आई० जी० ने वह गोपनीय पत्र खोल डाला और बड़े बाबू को दे दिया हमारे फौजी भाई बोडर में अच्छा काम करते हैं लेकिन उनसे आई० जी० आफिस के बाबू लोग पैसे लेने की बात करते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पी० एन० शुक्ल जैसे लोगों को सरकार ने वापस लिया है तो पी० ए० सी० पुलिस के लोगों को भी इस सरकार को वापस लेना चाहिए । यही नहीं, पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, उसकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अधिक न कह कर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

शांति बनाये रखें । सब को समय मिलेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर.... ।

श्री अधिष्ठाता--

धीरे-धीरे बोलिये.....।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

सदन में जिस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है दुर्भाग्य है यह हमारा कि आज हमारे बीच में और इस सदन के बीच में जिन की हम लोग आलोचना करने के लिए समर्थ हैं वह नेता सदन और प्रदेश के मुख्य मंत्री और जिनके पास गृह विभाग है वह सदन में मौजूद नहीं हैं । मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार शब्दों में डाक्टर राम मनोहर लोहिया की जयजयकार की । मेरी समझ में नहीं आया कि मधुकर दिघे जैसे व्यक्ति, सत्य प्रकाश मालवीय जैसे व्यक्ति, शतरुद्र प्रकाश जैसे व्यक्ति, मोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति, डाक्टर राम मनोहर लोहिया को बात करते हैं । पुलिस बजट पर बात करते, नीति बनाते, वक्तव्य बनाते । डाक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बोलने का अधिकार तो उसी दिन आप का समाप्त हो गया जिस दिन हिन्दुस्तान में सामप्रदायिक दल से आप ने सरकार बनायी । इसलिए आप का नैतिक दृष्टिकोण कुछ नहीं है । मेरा जैसा व्यक्ति पहले भी कांग्रेस सरकार से डाक्टर राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नरायन की नीतियों पर लड़ा और आज भी आप से लड़ने के लिए तैयार हूं जनता ने आप को इतना बड़ा दायित्व सौंपा है । मैं देख रहा हूं कि चाहे विधायक को मारने दिया जाय, चाहे गोरखपुर विद्यालय के पवित्र विद्या मंदिर ....(शोर) ।

श्री अधिष्ठाता--

दीक्षित जी जरा धीरे-धीरे बोलिये ताकि दूसरे सुन सकें । आप लोग जरा शांत रहें । आपके भाषण में आनन्द आ रहा है....।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आप लोग शांति धारण करें । तो आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के तहत जो जिम्मेदारी आप पर सौंपी गयी है, जो दायित्व आप का है उससे आप मुकर नहीं सकते, बच नहीं सकते। आज मुख्य मंत्री के इस सदन में न आने से एक बहुत बड़ा सदन का ही अपमान नहीं है इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, करोड़ों नौजवान जिन्होंने उनको अपना बहुमत और विश्वास दे कर उन के बल को सरकार बनाने दिया है, उनका अपमान है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २४१ २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रसार, अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

श्री अधिष्ठाता--

दीक्षित जी आप इधर देखिये....।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आपका यह राज्य है कि लखनऊ जैसे ऐतिहासिक नगर में और कानपुर में जो साम्प्रदायिक दंगे जैसी घटनायें हो रही हैं इसका दोषी कौन है ? इसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी की सरकार पर है, पुलिस महानिरीक्षक पर है और खास कर जनता पार्टी के बदनाम समाजवाद विरोधी साम्प्रदायिक घटकों पर है, जो जिन्दगी भर साम्प्रदायिक दंगे फैलाते रहे, जो जिन्दगी भर पूंजीपतियों को संरक्षण देते रहें। इतनी बड़ी घटनाएं हो गयीं, बहुत से लोग मारे गये लखनऊ तथा कानपुर में और हजारों घायल हुए, लेकिन आज भी यह सरकार अपनी जगह बैठी है, इसको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये था। सरकार की ओर से कहा जाता है कि कर्मचारी बड़ा घपला कर रहे हैं लेकिन इसके लिये जिम्मेदार कौन है, आज भी पुलिस विभाग में बड़े-बड़े ओहदों पर वही व्यक्ति भेजा जाता है जिसने अनैतिक धन अर्जित किया हो। पैसा दे कर वह आई० जी०, डी० आई० जी० बन जाता है या सिफारिश के बल पर बन जाता है अथवा दिल्ली के एक मंत्री के इशारे पर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में आई० जी० मेरठ का है जब कि माननीय मुख्य मंत्री पूर्वांचल के हैं। कितनी बड़ी यह विडम्बना है। (व्यवधान तथा शोरगुल)।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

इस तरह से यह देश बरबाद हो जायेगा। ए० पी०, बाराबंकी एमरजेंसी के दौरान नियुक्त हुए थे। आज भी वहां बरकरार हैं और वही घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार वहां व्याप्त हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई जांच अथवा कार्यवाही नहीं होती। इसके अलावा आज हालत यह है कि नामजद अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। सचिवालय में आ कर पैरवी करते हैं। मंत्रियों तक उनकी पहुंच है। उनको न गिरफ्तार किया जाता है और न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है। पी० ए० सी० तथा पुलिस के जवान भूख हड़ताल पर हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठा ने उन पर अपना दमन चक्र चलाया था, उनको निकाल दिया था नौकरी से जो निर्दोष थे लेकिन आज उन पी०ए०सी० के जवानों को जय प्रकाश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी तरह से पंत नगर तथा मथुरा के पशु चिकित्सक तथा छात्रों को जय प्रकाश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उनकी जो समस्यायें हैं उनका आज तक समाधान नहीं किया गया, इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह सरकार ही तो है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सेवक संघ है उसके २००, ३०० सेवक आमरण अनशन कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आज उत्तर प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है । बाराबंकी जनपद में पुलिस अधीक्षक वही है जिसने आपात स्थिति में हजारों कत्ल करवाये और जिसने कानून को तोड़ा । आज वह वहां मौजूद है । थानेदार को पैसा लेकर नियुक्त किया जाता है । बाराबंकी जनपद में जनजीवन आज खतरे में है । जनता की कोई रक्षा करने वाला नहीं है । मैं इस बात को मंत्री जी को भी बता चुका हूं कि बाराबंकी में आज अराजकता है । प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता का दायित्व आप पर है मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह सरकार हरिजन विरोधी है, कालाधंधा करने वालों को संरक्षण देने वाली है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

भूतपूर्व प्रधान मंत्री को पकड़ कर फिर छोड़ दिया जाता है यह शर्म की बात है । दिल्ली की जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और पुलिस की मांगों पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री हरी सिंह के खड़े होने पर)

श्री हरी सिंह जी आप बैठें । इसके बाद आपको बुलाता हूं ।

श्री राजेश कुमार सिंह--

मान्यवर, आजादी के बाद सन् १९४७ में पुलिस रिआर्गनाईजेशन की रिपोर्ट आई और १९६२ में पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें जो सुझाव पुलिस के बारे में दिये गये थे मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन रिपोर्ट में यह कहा गया कि पुलिस की दो शाखायें बनाई जायं । एक शाखा इनवेस्टिगेशन करें और दूसरी शाखा ला एण्ड आर्डर की समस्याओं का समाधान करें और एक एरेस्टिंग अथारिटी अलग से कायम की जाय । मान्यवर, पिछली सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया और न उन सिफारिशों पर अमल किया । मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस में इन दो शाखाओं को बनाया जाय जिससे कि जो भ्रष्टाचार है उसे खतम किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त इनवेस्टिगेशन के जो तरीके हैं उनमें भी तब्दीली लाई जाय । मेरा सुझाव है कि इंगलैंड और स्काटलैंड में जो तरीके अपनाये जाते हैं अगर वहां कोई मरडर हो जाता है तो किस तरह से इनवेस्टिगेशन किया जाता है वह मैं बतलाना चाहता हूं। यहां की तरह ऐसा नहीं है कि एक दरोगा भेज दिया

जाय और वह ही सारी चीज को इनवेस्टिगेट करे ऐसा नहीं है। इंगलैण्ड में या हमारे यहां भी बड़े-बड़े शहरों में कलकत्ता और बम्बई में इनवेस्टिगेशन का जो तरीका है उसमें पुलिस के साथ फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट वाले भी साथ में जाते हैं और डिटेल में जांच करते हैं।

एफ० आई० आर० के बारे में भी कुछ सुझाव पुलिस कमीशन ने दिये थे। एफ० आई० आर० में बहुत सी गलतियां होती हैं खासकर थानेदार गलत लिख देते हैं। अभियुक्त कोई होता है और नाम किसी और का लिख दिया जाता है। इसके लिए पुलिस कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि जिला स्तर पर एक दफ्तर कायम किया जाय जिसमें पुलिस सुपरिन्टेडेंट की देख-रेख में ऐसे केसेज को रजिस्टर किया जाय और वहां पर एफ० आई० आर० लिखने का प्रबंध किया जाय। मान्यवर, हमारे यहां बड़े-बड़े शहरों में आगरा, कानपुर आदि में इस पुलिस प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जो प्रणाली बम्बई कलकत्ता आदि में है वही यहां पर भी अपनानी चाहिये।

इससे यह होगा कि जिलाधीश की जो चर्चा आती है कि वह पुलिस पर कन्ट्रोल नहीं कर पाता है या उनके सुझाव पर अमल नहीं किया जाता है, यह बात दूर होगी और पुलिस कमीशनर का प्रशासन पुलिस पर बड़ा चुस्ती के साथ होगा। इससे अपराधों और ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति से चुस्ती के साथ निपटने की पुलिस में बड़ी क्षमता आएगी। अब मैं काग्नीजेबेल और नान-काग्नीजिबेल आफेंस के बारे में कहना चाहता हूं। नान-काग्नीजिबेल आफेंस के बारे में पुलिस को स्वतन्त्रता होती है कि वह तफतीश करें या न करें, कोई ऐक्शन लें या न लें, तो यह एक बड़ी बुराई है। उसे इन मामलों में भी छानबीन करनी चाहिए, इसमें भी ३०२ और ३९६ दफा की तरह पुलिस को मुस्तैदी से जांच-पड़ताल करनी चाहिए। यह हटा देना चाहिए कि इसमें, इन आफेंस में पुलिस को स्वतन्त्रता है कि वह जांच करें या न करें।

जहां तक सत्याग्रह आदि की बात है, यह अच्छी चीज है और जनता पार्टी के लोग सत्याग्रह में विश्वास करते हैं और यह ठीक है कि उनके साथ पुलिस का रवैया अच्छा होना चाहिए, लेकिन जैसी लखनऊ में स्थिति पैदा हुई उसमें पुलिस को अवश्य सख्ती से निपटना चाहिए और उसी तरह की एक घटना ४ तारीख को हमारे आगरा में घटी है। आगरा के सदरगट्टी बाजार में, पुलिस के सामने, पुलिस की उपस्थित में कांग्रेस के लोगों ने लूटमार की, जोर-जबरिया दूकानें बन्द कराने का प्रयास किया और वहां का मोतीगंज बाजार जो एक प्रमुख बाजार है और पुराना बाजार है, उसको जो अपने को जनतन्त्र का हिमायती बतलाते हैं, उनको पार्टी के लोगों ने, उनके समर्थकों ने, उनके जो गुण्डा तत्व हैं, उन्होंने उक्त बाजार में उस दिन भारी लूटमार की और दूकानों में आग लगाई। इस घटना का जिक्र लखनऊ से प्रकाशित "स्वतन्त्र भारत" समाचार-पत्र में भी छपा है। इस घटना के फलस्वरूप ३ लोगों की हालत नाजुक है और १० लोग अस्पतालों में भरती हैं। तो इस तरह की ला ऐण्ड आर्डर की जो स्थिति है यह बड़ी खराब

[श्री राजेश कुमार सिंह]

और शोचनीय है। जो समाज विरोधी तत्व हैं, गुण्डा तत्व हैं, वे लोगों की दूकानों को लूटेंगे और जोर जबरदस्ती लोगों को मारेंगे, तो इसमें सरकार को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है और इनसे सख्ती से निपटना चाहिए। हम सत्याग्रह के समर्थक हैं, लेकिन गुण्डा तत्वों को किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, उन्हें सख्ती से कुचल देना चाहिए। इस हिंसक और दुखद घटना की सूचना मैंने और वहां के दूसरे सदस्यों ने मुख्य मंत्री महोदय को भेज दी थी।

अब मैं पुलिस के बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। पुलिस वालों को आप फिजिकली और एजुकेशनल फिट देखते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि मानसिक तौर पर भी उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। खास कर जो सरकारी अफसर हैं और पुलिस के अफसर हैं, उनके बारे में यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा उसको आप ऐसी ट्रेनिंग दें कि उसमें सेवा की भावना पैदा हो और वह अपने को समाज का सेवक समझते हुए प्राकृतिक प्रकोपों से लड़ सके। इस पुलिस व्यवस्था में आपको अधिकाधिक वैज्ञानिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। दिल्ली में जो नेशनल कम्पयूटर सेन्टर खोला है, वैसा ही सेन्टर यहां भी खुलना चाहिए, जिससे वैज्ञानिक तौर पर अपराधों की छानबीन करके अपराधों को तेजी से रोका जा सके।

इसके साथ ही अपराधियों का मानसिक टेस्ट भी लिया जाए, जिससे यह मालूम हो सके कि किसी अपराधी में अपराध की मनोवृत्ति क्यों पनप रही है और उसे किस तरह से कारगर ढंग से रोका जा सकता है। आपातकाल में पुलिस के रवैइया में जो कुछ हुआ, उससे जनता और पुलिस के बीच सम्बन्ध खराब हुए हैं, उनके प्रति जनता में एक बहुत ही खराब भावना बनी है। लेकिन फिर भी पुलिस की कठिनाइयों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो उनके सामने हैं और उसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। थाने ७–७ व ८–८ मील की दूरी पर बने हैं और बहुत से ऐसे हैं जो लिंक रोड पर नहीं है, इनकी दूरी कम होनी चाहिए और इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक नारकी थाना है, जिससे ७–८ मील में कोई लिंक रोड नहीं है, रास्ते में पानी भर जाएगा तो बेचारा पुलिस कर्मचारी कहां जायगा? वहां उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं हैं, उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है उनके वेतन भी कम हैं। इन सबका प्रबन्ध होना चाहिए और उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। उनमें आत्म–विश्वास पैदा करने की भी बड़ी आवश्यकता है। जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर मारे जाते हैं या अपंग हो जाते हैं, उनके लिए कम्पलसरी इंश्योरेंश पालिसी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जनता, जनप्रतिनिधियों और पुलिस की एक संयुक्त कमेटी हर क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहिए, जो पुलिस को समय–समय पर अपराधों के बारे में बताती रहे और अपने सुझाव देती रहे। ऐसी कमेटी का फार्मेशन किया जाना चाहिए।

मान्यवर, इन सारी चीजों के साथ पुलिस में एक भावना पैदा होगी एक बिश्वास पैदा होगा, हमारी पुलिस में ईमानदार और सही अफसर और सिपाही भी हैं। ऐसे लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री ने पुलिस के जो सिपाही दंगों में घायल हुए उनको जो कुछ देने की बात कही, वह बहुत प्रशंसा की बात है। ऐसी घटनाओं में अगर कोई सिपाही घायल हो या मारा जाता है या डाकुओं की गोली से मारा जाता है, उसको रिवार्ड देने की परम्परा को आगे बढ़ाना चाहिए।

*श्री हरी सिंह--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं इसका विरोध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, जो आज हमारी पुलिस है यह सबकी रक्षा करती है, सारे प्रदेश की जनता की रक्षा करती है। हमारे जो नेता हुए उन नेताओं ने जिनमें एक नेता हमारे सामने बैठे हुए हैं, पुराने नेताओं में से, सब ने सोच समझ कर पुलिस को एक रास्ते पर चलाया। लेकिन हुआ क्या? दुख की बात है, भाई, जो सही मामले को कर करा कर लाए कहां चले गये? जिन्होंने आई० जी० के बारे में कहा, आई० जी० ने उस भूमि में जन्म लिया है जिसमें भीष्म पितामह: और अर्जुन ने जन्म लिया था। जब १८५७ की क्रान्ति हुई तो मेरठ से शुरू हुई, कोई पूर्व के लोग नहीं लड़े। लड़े हों बताएं तो सही। (व्यवधान) पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस प्रदेश को बनाया। इस प्रदेश को सही रास्ते पर चलाया और चलाते रहे। पांच-सात महीनों में पिछली हुकूमत ने ढेर कर दिया नहीं तो सारे उत्तर प्रदेश में भाईचारा, मोहब्बत चलती रहो। जिस पुलिस के बारे में कहते हैं उनसे पूंछना चाहता हूं, सब हमारे भाई बन्द हैं, डी० आई० जी० हों, सेक्रेटरी हों, कोई भी हों, वह देश के उतने ही शुभचिंतक हैं जितने आप। एक पुलिस इंस्पेक्टर एक गिरोह का मुकाबला करते हुए मारा जाय, उनके बच्चों की आप लोग कौन सी रक्षा करते हैं? बताएं मंत्री, विधान सभा के सदस्य बताएं, वह पुराने लीडर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनसे भी बार-बार कहता रहा, उनके बच्चों की तालीम, रहन-सहन का कोई प्रबन्ध हो, जिससे उनको पूरी शक्ति मिले। मेरा निवेदन यह है कि जब इस तरह की मौतें हों, जो मुकाबले में मारे जायं, उनके बच्चों के लिए पूरा प्रबन्ध हो, सरकार की तरफ से। जो कमियां उनमें हम देखते हैं, यह हमारी शिक्षा का दोष है। यदि पुलिस इंस्पेक्टर, सिपाही या पुलिस अधिकारियों को यह शिक्षा दी जाय, कि ईमानदारी से काम करें तो जो जुल्म हुआ यह देखने को नहीं मिलेगा, चाहे सरकार इनकी हो या उनकी हो। एक ही बटनी के लोटे हैं। पुलिस एक ही है चाहे आपके अधिकार में हो या जनता पार्टी के अधिकार में हों। जनता पार्टी जनहित की बात सोचती है।

मान्यवर, जो गिरफ्तार किया जाता है उसके साथ इज्जत का व्यवहार किया जाता है। यह नहीं है कि आपकी तरह सोते में उठा ले गये। मिश्रा जी आपने बहुत जुल्म किए हैं, पी० पी० निवास से मुझे उठा लिया और जेल में डाल दिया। यह पुरबिया लोग कहां थे जब यह जुल्म हो रहे थे। किसको नहीं मालूम कि जेलों में जुल्म किए गये। अगर आप पुलिस से यह सब जुल्म न कराते तो पुलिस न करती यह सब आपका कराया हुआ है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग में हरिजनों का रिजरवेशन हो, लेकिन आपने नहीं दिया। अगर आपकी सरकार सही ढंग से कार्य करती तो, जो कारनामे आपने किए हैं उनकी खमियाजा जनता सरकार को न भुगतना पड़ता। आपने गलती की और अब रूप बदल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

दिया । आपको रूप बदलते देर नहीं लगती है । जिस पुलिस के द्वारा आपने इतने जुल्म किए और आप आज उसी पुलिस का विरोध कर रहे हैं । मैं तो कहूंगा कि आप सच्चे नागरिक बनिए । पुलिस वाले कहां से आये हैं, वह फ्रान्स और इंगलैंड से नहीं आये हैं सब आपके भी भाई बन्धु हैं । कहीं बाहर से नहीं आये हैं । उनको शिक्षा दो । मैं कहता हूं कि देश का बटवारा करो, यह पुरबिया लोगों ने देश को लूट लिया है । सारा प्रदेश पीड़ित है । हिन्दुस्तान के सारे प्रदेश उन्नति कर गये परन्तु हमारा प्रदेश गरीब होता गया । आप छोटे-छोटे उद्योग खोल नहीं सकते हैं और कहते है कि रुपया दो हम पिछड़े हुए हैं । मैं कहता हूं कि चन्दा लेना बन्द करो और ईमानदारी बरतो । आप इस प्रदेश का बटवारा करो नहीं तो इस प्रदेश की उन्नति नहीं होगी ।

श्री अधिठाता--

माननीय हरीसिंह जी अब समाप्त कीजिए । आपका समय समाप्त ।

*श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो विषय सदन में आज उपस्थित है वह बड़ महत्व का है और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं । हमने देखा कि लोग एक दूसरे पर टीका करते हैं । यह टीका करने का विषय नहीं है । ठोस सुझाव देना चाहिए जिससे कि पुलिस प्रशासन में सुधार लाया जा सके । इसी दृष्टिकोण से मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं यह देख रहा हूं कि आज हालत यह है कि जब मासूम बच्चे, युवक, विद्यार्थी अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी-चार्ज किया जाता है । उनको जेलों में भेज दिया जाता है । उनके मां, बाप से पूछिये उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी । प्रजातंत्र में बड़ा अन्याय है । मैं कहता हूं कि अधिकारों की मांग करना कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं है । उन पर लाठी चार्ज नहीं करना चाहिये । बच्चे हैं, उनके साथ धैर्य से काम लेना चाहिये । जनता को आप से बड़ी आशायें हैं । कितनी आशाओं के साथ कितने बड़े बहुमत से जनता ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है । आज आप देखें कौंसिल हाउस के सामने और कितनी ही जगहों पर कितने सौ लोग अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल पर हैं । मैं दारुलशफा के बी ब्लाक में रहता हूं । कुछ लोग वहां मेरे कमरे पर आ गये और दरवाजा पीटने लगे और नारे लगाने लगे कि हमारी मांगें पूरी हों । वे लोग जो आंदोलन करते हैं चाहे वे पशु चिकित्सक हो या होम्योपैथिक के छात्र हों आप उनको कोई अवधि दे दीजिए कि दो-चार माह बाद तुम्हारे वायदे पूरे किये जायेंगे, तुम्हारी मांगे मानी जायेंगी ।

इस तरह से आप देखें कि चारों तरफ बड़ी अशांति का वातावरण बन रहा है भविष्य में कोई भी सरकार आएगी, मैं नहीं समझता कि जिस वातावरण में आज यह सरकार काम कर रही है, कोई सरकार काम कर सकेगी । आज सामान्य प्रशासन पर बहस हो रही है । पुलिस प्रशासन पर बहस हो रही है लेकिन हमारी सरकार का कोई भी जिम्मेदार मंत्री यहां मौजूद नहीं है । यह अच्छी बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज हमारे प्रदेश की जनता भय और अराजकता के वातावरण में जी रही है। एक पुलिस के थानेदार से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि साहब, जब से जनता पार्टी की सरकार आई है पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि गाली मत दो। बल प्रयोग मत करो। तो मुझे शंका है कि एक चोर, उचक्के और गुंडे से आप करके बात की जाये, उसके साथ सख्ती से न पेश आकर नम्रतापूर्वक पेश आया जाये, उसे दंडित न किया जाये तो जब तक प्रशासन में सख्ती न की जायेगी, स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता।

मैं आंकड़े दे कर यह बात कहना चाहता हूं कि आपके आने से पहले जितने अपराध होते थे, जितनी अशांति थी, उससे कहीं ज्यादा अराजकता और अशांति इस समय है। आप तुलना करके देख लीजिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के मामले में ढीली नीति नहीं बरती जानी चाहिए। आज हर पुलिस के आदमी को इस प्रकार के ढीले आदेश दिये जाते हैं कि कोई किसी को नहीं सुनता है। सुबह कोतवाली में थाने के सिपाही साफ सुथरे कपड़े पहने इस प्रकार बैठ जाते हैं मानो कोई दुकान सजा रखी हो। यदि कोई हरिजन या निर्बल वर्ग का या कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो पहले तो मन में यह सोचेंगे कि इसे कुछ मिले-विलेगा या नहीं और फिर यह कह देते हैं इधर बैठो। तो अगर इस तरह का अराजकता से भरा यह वातावरण इस प्रजातंत्र में रहा तो जनता कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। आपका प्रजातंत्र प्रदेश में ढीला है। लाखों रुपया खर्च हो रहा है। मैं देखता हूं कि आज चाहे छात्र हों, या अन्य सरकारी कर्मचारी हों, उनकी बात न सुनकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आप उनकी मांग के लिए कोई निश्चित अवधि निश्चित कर दें कि उनकी मांग कब और कैसे पूरी होगी। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि प्रजातंत्र को ठीक ठाक रखने के लिए जो प्रजातंत्र की परिभाषा है, उसको न भूलें, उससे नीचे न जायं। आपको शासन की जो परिभाषा है, डेफिनिशन है, उसके अन्दर चलना चाहिए।

हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और कहा है कि प्रदेश में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जैसे ट्रान्सफर्स हुए वे विशेष जाति के आधार पर हो रहे हैं। मैं केवल इस बात की ओर संकेत कर रहा हूं। मेरे पास इन सबके आंकड़े मौजूद हैं। १६ कर्मचारियों को नीचे करके नये कर्मचारी को, जो उनके रिश्तेदार थे, डायरेक्टर बना दिया गया है। बड़े-बड़े अधिकारी बना दिए गए हैं। आप लोग इस रवैये को ठीक करके अपनी प्रणाली को ठीक करें क्योंकि यह प्रदेश में जनता के लिए संतोषजनक कार्य नहीं कर रही है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुलिस वालों की कार्यवाही पर सही ढंग से ध्यान दें और दफा १४४ तोड़ी जाय। इससे आप देखते हैं कि नेहरू और मोती लाल के परिवार के सदस्यों और देश के नेताओं को बन्द कर दिया जाता है। इंदिरा जी को छोड़ दिया गया है लेकिन फिर भी तैयारी हो रही है कि किस प्रकार से उसे फिर पकड़ा जाय। मंत्रिमंडल की बैठक बठ गई है कि कौन सी तरकीब लगाई जाय, वकीलों को

[श्री राम कृष्ण]

बुलाकर परामर्श हो रहा है। आज ७० प्रतिशत लोग उनको फंसाने में लगे हुए हैं केवल २५-३० प्रतिशत लोग ही प्रशासन का काम देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे हम प्रदेश का कितना विकास करेंगे, कितने हरिजनों और निर्बल लोगों को उठाया जायगा। आपको जनता ने इतना विशाल बहुमत दिया तो आप दफा १४४ को तोड़िये ? आप सब बातों को छोड़ कर कार्यों में लगें ताकि देश और प्रदेश विकसित हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री राम कृष्ण—

आप सबको फंसाने के झगड़े में न पड़ें ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं इस बजट को समर्थन दे रहा हूं तो मेरी यह ड्यूटी हो जाती है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ सुझाव भी दूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे प्रशासन की ओर देखें।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज अगर सड़क से कहीं निकल जायं तो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी प्रशासन नहीं है। जिस सड़क पर जायं देखने को मिलता है कि ४ आदमी एक झंडा लिए हुए कहते फिरते हैं "जो हमसे टकरायेगा, चूर-चूर हो जायगा।" माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से प्रशासन नहीं चलेगा आप प्रशासन में सख्ती लायें और इस प्रकार के प्रदर्शन को रोकें। आज लखनऊ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं और गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको आप सुधारने की कोशिश करें। मैं आपसे प्रशासन की बाबत में एक और चीज कहना चाहता हूं। आप अपनी कथनी और करनी में जरा भी अन्तर न रखें। आपने आदेश निकाला है कि ३० अगस्त के बाद प्रदेश में किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। हमारे माननीय मंत्रियों ने कमरों में बड़ी-बड़ी तख्तियां लटका दी है कि कोई भी हमारे आदरणीय सदस्य हमसे स्थानान्तरण की बात न करें। हो क्या रहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

केवल वही ?

श्री गनेशी लाल चौधरी—

केवल ट्रान्सफर ही, स्थानान्तरण ही एक सूत्री कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस तरफ माननीय मंत्रियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में ३० वर्ष के बाद भी अपने देश में छुआछूत विद्यमान है। वाकई क्या छुआछूत को आप दूर करना चाहते हैं ? तो आइये, हम आपको सुझाव दें। जरा उस पर बसिये।

आपने अन्तर्जातीय विवाह की बात कही है। बड़े जोरों से कहा है कि जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करेंगे उनको हम सहायता देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अन्तर्जातीय विवाह करने से छुआछूत दूर नहीं होगी। उसके कारण पर जाइये और कारण यह है कि हर आदमी का सबसे प्यारा अपना धन अपनी जायदाद होती है। तो जायदाद न बंटने पावे इसलिए कानून बनाया गया था कि उत्तराधिकार का अधिकार सजातीय शादियों से जो लड़का पैदा होगा उसी को जायदाद दी जायगी। मैं आपसे कहूंगा कि इस कानून को उलट दें कि अन्तर्जातीय विवाह से जो लड़का पैदा होगा, जो संतान होगी उसी को जायदाद का हक रहेगा, उत्तराधिकार का हक उसी को मिलेगा। इस तरह से आप समझ लें, छुआछूत दूर हो सकती है।

पुलिस प्रशासन की एक बात और कहना चाहता हूं। पुलिस के दो अंग हैं। एक तो यह रक्षा करता है कि जरायम, क्राइम न बढ़े और दूसरी तरफ वह जांच करने वाली बाडी होती है। मैं आपसे कहूंगा कि दोनों को अलग करें। अगर हो सके तो प्राइवेट एजेंसीज को एम्पलाय करें, इनवेस्टीगेशन कारपोरेशन बनावें जो केवल इनवेस्टीगेट करने का, जांच करने का ही काम करे जिससे जांच के काम में तेजी आयेगी। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं। आपने एक आदेश निकाला था कि छुआछूत को जो अधिकारी दूर करेंगे, सहयोग देंगे उनकी चरित्र पंजिका में अच्छा और बुरा रिमार्क लिखा जायगा। यह आदेश आज आपको किताब में बन्द पड़ा है, फाइल में देखा नहीं जाता है। इसको आप रिवाइज करें और जिन लोगों ने ऐसा किया है, छुआछूत के मामले में हटाया है उनकी चरित्र पंजिका में आप एंट्री करें, यह आपको और सुझाव दूंगा। जब अधिकारियों के छुआछूत की बात आती है, मुझे याद आ जाता है गोरखपुर का एक मामला।

अभी हाल ही में १५-६-७७ को गोरखपुर में एक यहीं रेलवे के जो हरिजन कर्मचारी हैं अनुसूचित जाति के वह अपना मेमोरेंडम लेकर, ज्ञापन लेकर कोई डी० सी० एम० ई०, सि० के० टी० सिंह हैं रेलवे के उनके पास गए। उनको यह कह करके कमरे से निकाल दिया गया कि तुम चमार हो, धोबी हो, पासी हो, तुम्हारे हाथ से हम यह ज्ञापन नहीं ले सकते। इसकी रिपोर्ट उस अनुसूचित संघ ने ५-९-७७ को गोरखपुर के किसी थाने में लिखाई। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो लिखाई गयी वह धारा ७, भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लिखाई गयी। जब वहां के अधिकारियों ने उनके ऊपर काननी कार्यवाही करनी चाही तो गोरखपुर के डी० आई० जी० महोदय ने कार्यवाही करने से रोक दिया। तो इस तरह से जो अधिकारी लोग छुआछूत को बढ़ावा देते हैं इनको रोका जाय और जो अधिकारी छुआछूत को बढ़ावा नहीं देते उनकी चरित्र पंजिका में अच्छी एन्ट्री की जाय। आज प्रशासन पर बहस नहीं हो रही है बल्कि आज प्रदेश के जितने भी कार्य हैं, शिक्षा का कार्य, पुलिस का कार्य, सिंचाई का कार्य, जितना भी प्रशासन है वह जिस तरह से रहा है माननीय मंत्री जी को मालूम है। हमारी अनुसूचित जाति का

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

जो रिजर्वेशन है यह जिम्मेदारी है होम डिपार्टमेंट की कि अनुसूचित जाति के लोगों को पूरा संरक्षण दे। आज ३० वर्ष हो गई, हमारे उस तरफ के भाई पूरा संरक्षण नहीं दे पाये। हमको एक पुस्तिका मिली है "उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या एवं प्रतिशत का विवरण।" यह सरकारी किताब है। इसमें हमारे दोस्त जो इधर बठ हैं उनके कार्यकलापों की सूची है।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय सदस्य भी इधर ही थे, उसी समय का है।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

१८ के बजाय ८ परसेंट का रिजर्वेशन है और वह भी क्लास ३ के लोगों में। चौथी क्लास के लोगों में जिसमें काम करने का अधिकार केवल अनुसूचित जाति का है, टट्टी उठाने का काम, कागज ढोने का काम, पीठ पर बोझा उठाने का काम, इसमें भी १२.७१ परसेंट अभी तक हो पाया है। हरिजनों के रिजर्वेशन की प्रगति जब अपने प्रदेश में हम देखते हैं तो निराशा महसूस होती है। किन्तु मुझे आशा है कि जनता पार्टी की सरकार मुख्य मंत्री के नेतृत्व में पूरे रिजर्वेशन को दे सकेगी। इन शब्दों के साथ में जो बजट पेश किया गया है उसकी ताईद करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुये मैं सदन के सामने आज का जो प्रशासन है उस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्रिगण ही केवल प्रशासन के जिम्मेदार नहीं हैं। सदन के सभी सम्मानित सदस्य तथा जनता का सहयोग, इन सब की जिम्मेदारी प्रशासन के प्रति है। ऐसा देखा गया है कि हमारे कुछ मंत्रिगण प्रशासन को अस्वच्छ बनाने के लिये सम्मानित सदस्यों की बातों की अवहेलना करते चले आ रहे हैं। इसका असर यह पड़ रहा है कि यदि कोई सम्मानित सदस्य किसी अधिकारी पर कोई आरोप सिद्ध करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। अधिकारी वर्ग शासन को खोखला बनाता चला जा रहा है और एक दिन ऐसा आयेगा कि प्रशासन असफल हो जायगा, उसमें दरार पड़ जायगी और जो उदारता के साथ मुख्य मंत्री जी प्रशासन चलाना चाहते हैं वह कभी नहीं चल पायेगा। प्रशासन चलाने के लिए शासन को सख्त होना पड़ेगा।

आज हर जगह असन्तोष व्याप्त है। चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे होम्यो पैथिक के छात्र हों, जो लोग हैं, अपनी मांगों को ले कर आते हैं और संबंधित मंत्रिगण उनकी मांगों के प्रति कोई अपनी सद्भावना नहीं व्यक्त करते हैं। मैं कहूंगा कि प्रशासन चलाने के लिए विशेष जाति को लेकर असमानता दूर करना उचित नहीं है। किसी विशेष वर्ग के नाम पर असमानता को दूर करने की बात करना प्रदेश के अन्दर गम्भीर परिस्थिति पैदा करना होगा। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उस वर्ग के लोगों की असमानता को आप दूर करिये। एक विशेष वर्ग को, चाहे उनको किसी कम्पटीशन में लेना हो, चाहे किसी स्थान पर लेना हो, उनकी कोई

फैसिलिटीज नहीं देना चाहिये । शासन को चाहिये कि हर आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को, चाहे आवास देकर, चाहे शिक्षा की सुविधा देकर, उनके रहन-सहन को ऊंचा किया जाय । ऐसा नहीं किया जायगा तो समाज में समानता नहीं आयेगा । मैं शासन से कहूंगा कि जो आज इस तरह असंतोष है, दलगत के आधार पर और एक जाति विशेष के नाम पर नियुक्तियां हो रही हैं इनको समाप्त किया जाय । शासन में समानता लाई जाय । प्रशासन को सख्त बनाया जाय । प्रशासन म उदारता से काम न लिया जाय । प्रशासन चलाने के लिए डंडे में ताकत रखी जाय । अगर ऐसा नहीं किया जायगा, तो सरकार चलने वाली नहीं है । आज चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाया गया, मुख्य मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया आज तीन-तीन धमकी के पत्र आये । सेक्रेटरी वर्ग यह सोचता है कि प्रशासन मेरे हाथ में है । उनको यह नहीं मालूम है कि जो सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, ये प्रशासन के अंग हैं । तो ये जो जनता सरकार के सेक्रेटरी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, उनको यह सदन बर्दास्त नहीं करेगा, उनका भंडाफोड़ कर देगा ।

हमारे गोरखपुर जिले में सुनवरवा, पिपरा, रसूलपुर आदि गांव ह, वहां पर श्री नाथू लाल, एस० एस० पी० और डिप्टी एस० पी० ने जाकर सीधे कहा कि जितने सवर्ण लोग हैं । उन पर मुकदमा चालू करो । माननीय गनेशी लाल जी न जो कहा है, ठीक है । लेकिन सारी सुविधायें एक ही वर्ग को नहीं मिलनी चाहिये । एक वर्ग को लेकर किसी कम्पटीशन में आगे बढ़ावें, यह ठीक नहीं है । जो भी मुकदमा चलावें, बिना जांच किये हुये न चलाये जायं, चाहें वह हरिजन वर्ग का हो या किसी वर्ग का हो । यह नहीं होना चाहिये कि बिना जांच किये हुये ही, कोई व्यक्ति किसी हरिजन के चपेट में आ जाय, तो मुकदमा चला दिया जाय । पहले इसके तथ्यों की जांच की जाय । अगर ऐसा नहीं किया जायगा, तो पूरे देश में भयानक स्थिति पैदा हो जायगी । मैं शासन से कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी केवल पुलिस कर्मचारियों पर ही न ठहराई जाय, तफतीश व दबिस करने का काम आपके एडिशनल एस० पी०, डिप्टी एस० पी०, एस० एस० पी० पर भी सौंपा जाय, केवल निरीक्षण करने की भावना से नहीं, उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाय । १० परसेंट मुकदमों में जांच करें और क्राइम को रोकने के लिए स्वतः पहरा दें । जनता सरकार यदि लोकतंत्र की रक्षा चाहती है तो जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाय ।

मैं शासन से यह भी कहूंगा कि जो नान-कागनिजिबिल आफेंस बनते हैं । अगर पुलिस के पास क्षमता नहीं है कि इसको देखे तो जो बी० डी० ओ० हैं और दूसरे ब्लाक स्तर के अधिकारी हैं उनको नान-कागनिजिबिल आफेंस दिया जाय और यह लोग इसकी जांच करें । बी० डी० ओ० वगैरह इस बात की जांच करें और जिसको जिम्मेदार समझें उसके विरुद्ध निर्णय दें । जो निर्णय को न माने उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय । क्योंकि पुलिस की वर्दी से गांव के बहुत से गरीब आदमी डर जाते हैं और डर की वजह से असलियत को नहीं बता पाते हैं ।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---]

प्रशासन को अगर सख्त नहीं किया गया तो आये दिन जैसे १३० पंडाल पड़े हुये हैं वैसे पूरे प्रदेश में पंडाल पड़ेंगे, पंडाल डाल कर हंगामा मचेगा। इसका कारण क्या है ? केवल मुख्य मंत्री जी का सीधापन है, सीधेपन का फायदा उठाया जा रहा है। प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये मैं कहूंगा कि अपने अधिकारों पर सख्ती की जाय। इसके पहले देखें, मंत्रिगण के सामने विधान सभा के सदस्यों का जो सम्मान था वह आज नहीं है। आज अधिकारियों का सम्मान है। चेम्बर में सदस्य नहीं सेक्रेटरी बैठता है। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। पूरे देश के लोग, चाहे व्यापारी हों, काश्तकार हों, अधिकारी हों उनके अंदर एक भावना आनी चाहिये कि भारत वर्ष एक आदर्श भारतवर्ष है। आदर्श भारतवर्ष की सरकार को चलाने के लिये अगर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। बड़े अधिकारी अपने को बचाने के लिए कानून में बचत कर लेते हैं। लेकिन छोटे अधिकारियों के लिए ट्रिब्यूनल दिखाते हैं। उनके लिये उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर मिलता है चाहे वह कितने ही भ्रष्ट हों। मान्यवर, बरेली के एक अधिकारी थे वह स्टे लेकर बैठ गये। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी प्रशासन को चुस्त बनायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।]

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, आज जो सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर अनुदान मांगा है उसके कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बड़ी साफ-सी बात है, सदन में बैठे हुये सम्मानित सदस्य इस मौजूदा व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की बात सोच रहे हैं। वह सच है। प्रदेश के जन जीवन की व्यवस्था के साथ अधिकारियों की व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं आयगा तब तक जिस समाजवाद की कल्पना आप कर रहे हैं वह केवल कोरी कल्पना ही रह जायगी।

मान्यवर, जो भी अधिकारी हैं, अपने उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके जरिये यह कल्पना पूरी होगी यह बड़ा अहम सवाल है। यहां खड़े होकर या जन सभाओं के माध्यम से मंच और माइक के जरिये हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिये प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी जहां से पैदा हो रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यह बात अलग है कि हम वहां पर बैठे थे उठकर यहां आये और आप यहां से उठकर वहां चले गये। लेकिन स्थिति वही है, स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। हो सकता है कि व्यक्तिगत नाराजगी से, किसी अधिकारी को दूसरे दल से संबंधित पाते हैं कि यह पिछले रिश्तों से ज्यादा जुड़ा हुआ पाते हैं। तो किसी आई० जी० के बदले दूसरा आई० जी० नियुक्त कर दें या किसी जिले से एक अधिकारी को दूसरे जिले में भेज दें, उससे ज्यादा आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिये आपको सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उनसे आप समाजवादी दर्शन की कल्पना क्यों करते हैं। ये उन पन्नों से बहुत दूर जा चुके हैं। ब्युरियोक्रेसी अपने आप में ही दूसरी ब्यूरोक्रेसी को जन्म दे रही है। अगर आप लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव के आदर्श की परिकल्पना करते हैं तो जहां से यह ब्यूरोक्रेसी जन्म ले रही है वहीं से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, समाजवादी पन्नों को जोड़ना पड़ेगा और उन पन्नों को हटाना पड़ेगा जिनको यह पढ़ते आये हैं। इस सरकार का नजरिया तो और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी साफ है। जब से यह सरकार आयी है जनता पार्टी में बैठे हुये सारे विधायक अपनी सुरक्षा की बात इस सदन में किया करते हैं। जब आप स्वयं ही अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करते तो फिर आपके पीछे जो एक लाख जनमत छुपा पड़ा है वह क्या उम्मीद करे। यहां बैठे सम्मानित सदस्य अध्यक्ष जी, व्यवधान करते हैं और नियमों से हटकर कहते हैं कि मेरी जानमाल की हिफाजत करें। आप अपनी सुरक्षा की दुहाई जरूर देते हैं लेकिन जो लाख डेढ़ लाख पब्लिक आपके पीछे खड़ी है उसके बारे में क्या सोचा। इससे शासन का स्वरूप अपने आप स्पष्ट हो जाता है जहां मैं ब्यूरोक्रेसी पर चोट कर रहा हूं वहीं हमें अपने आप के बारे में भी सोचना पड़ेगा।

आप कहीं चले जायं। किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछिये तो वह कहता है कि अगर किसी बड़े गुंडे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह किसी मंत्री का सीधा पता लिखवा देता है या कोई अटूट रिश्ता बतला देता है क्योंकि जेल में एक दूसरे से बहुत खेल चुके हैं। सरकार की खुली साजिश हो गयी है गुंडों के साथ और वे दोनों प्रदेश की व्यवस्था में एक साथ बैठ कर काम कर रहे हैं। आप देखें कि इस व्यवस्था के अंदर किस ढंग से सख्ती कर सकते हैं? हमारे सामने माननीय सदस्य शतरुद्ध प्रकाश जी बैठे हैं। बनारस की सड़कों पर जोर-जोर से चिल्लाया गया है कि मंत्री की गाड़ी में एक गुंडा टहल रहा था। हो सकता है ऐसा गलत आदमी मेरे साथ भी टहल ले। लेकिन अगर इस तरह से टहलेंगे तो वहां का कलेक्टर किस तरह से गुंडागर्दी को रोक सकता है? जहां मैं ब्यूरोक्रेसी पर चोट कर रहा हूं वहीं आपको भी अपने दिल दिमाग को साफ रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको वह कोई उपलब्धि करा दे लेकिन वह उपलब्धि बहुत क्षुद्र होगी आने वाली उपलब्धियों के मुकाबले में।

सन् ७४ में एक आदमी का नाम डाकू करके छपा करता था राजस्थान के पेपर्स में, हरियाणा के पेपर्स में, उत्तर प्रदेश के पेपर्स में। लेकिन जब इमरजेन्सी के अन्दर वह खूनी इंसान पुलिस की गिरफ्त से भागना चाहता था, जिसका नाम सुन्दर डाकू है, पुलिस ने मारा तो अब उस पुलिस अधिकारी के पीछे पूरा होम डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष पर चोट करने की साजिश से, संजय गांधी पर चोट करने से आपको कोई उपलब्धि हो जाय तो मैं आपको अदालत में खुले ढंग से बात करना चाहता हूं कि इमरजेन्सी सन् ७५ में लगी लेकिन उसके पहले सन् ७४ में, यदि आप चाहेंगे तो समाचार-पत्रों की रिपोर्ट दिखला दूंगा, फरीदाबाद की सड़कों पर जन जीवन कराहता था, राजस्थान का बार्डर कराहता था। पुरानी दिल्ली उससे कराहती थी। उत्तर प्रदेश का कोना-कोना उससे कांपता था। उस नाम को डाकू की संज्ञा दी गयी थी और आज वह व्यक्ति की संज्ञा में आ गया और उसके लिये एक पुलिस अधिकारी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिये आज अधिकारी भी डरता-डरता सा है। वह खुले दिल से काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसको शंका है कि कोई कितना बड़ा बदमाश क्यों न हो, कहीं किसी बड़े मंत्री का संबंधी न हो जाय। तो इन बीजों को समझने के चाहिये।

[श्री अरुण कुमार]

मान्यवर, अभी जो तमाम दस्यों ने कहा कि अपने नियत्रण रखने की प्रक्रिया को सक्रिय रखिये, उसमें मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द ब्यूरोक्रेसी पर कन्ट्रोल करने की प्रक्रिया को अपनाइये । आज ट्रान्सफर के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके बारे में निश्चित सिद्धान्त रखिये । लेकिन आज जो इस सरकार के मन्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है, उसको दोहराना चाहता हूं कि आज वे सोच रहे हैं कि जो कुछ करना है कर डालिये । आज एक अनिश्चितता की सी स्थिति प्रदेश में है । तो उसको जगह पर स्थायित्व ले आइये । अगर ऐसा नहीं होगा, तो प्रदेश का शासन चल नहीं पायेगा । आज प्रशासन में इतनी गड़बड़ियां हैं कि जिसकी वजह से सारा का सारा तंत्र चरमरा रहा है । मन्त्रियों महोदयों के दफ्तरों में पर्चियां लगाकर चले जाइये लेकिन उसके बावजूद कार्यालय में दूसरे दिन वह समाप्त हो जाती हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में १४४ लागू है । क्या जनता पार्टी का मनसूबा यही था कि पुलिस के जरिये प्रशासन चलायेंगे ?

आज सारे प्रदेश में शिक्षण संस्थायें अस्तव्यस्त हैं । पुलिस के जरिये से वाराणसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद करदें, पुलिस के जरिये इलाहाबाद की शिक्षण संस्थाओं को बंद करें, पुलिस के जरिये गोरखपुर की शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दें, पुलिस के जरिये से कानपुर की शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दें या पुलिस के जरिये से पूरे प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दें, तो क्या उससे शांति कायम हो सकती है । उसमें खुल कर बात करनी पड़ेगी, विद्यार्थियों के मनसूबों को स्वीकार करना पड़ेगा । उन तमाम वायदों को स्वीकार करना पड़ेगा, जिनको आपने अपने घोषणा पत्र में दोहराया है । ये जितने कर्मचारी आपके सामने बैठे हैं, आपके वायदों पर आपके सामने आये हैं । आज उनकी तमाम समस्याओं के हल करने के रास्ते आप तोड़ रहे हैं और इस समय सारे के सारे मंत्री महोध्यान उनको देखना भी नहीं चाहते । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि लखनऊ का प्रशासन यहां मुख्य मंत्री जी के इशारे पर चल रहा है और इन लोगों को हर रोज रात में उठा ले जाते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, यह जो सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संबंध में मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुदान पेश किया गया है, उसका मैं आमतौर से समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह जो नौकरशाही का तानाबाना है, यह ३० वर्ष के कांग्रेसी हुकूमत की देन है । उसमें परिवर्तन लाने में कुछ समय अवश्य लगेगा । जिस प्रकार से जब अंग्रेज यहां से गये तो उसके बाद नौकरशाही का तानाबाना यहां के लोगों को मिला, और कुछ दिनों तक उनको दिक्कतें होती रहीं प्रशासन को चलाने के लिये, उसी प्रकार से ३० साल के इस कांग्रेसी सरकार ने जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बनाया था, उसमें परिवर्तन लाने के लिये कुछ समय अवश्य लगेगा । जहां तक मैं जानता हूं कि आज इस ढांचे में बुराइयां हैं और जो मौजूदा समय में उस में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना आवश्यक है । अभी मेरे विपक्ष के साथी ने समाजवादी दर्शन की बात कही । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय अंग्रेज यहां से गये और कांग्रेसी शासन आया उस समय जिन समाजवादी लोगों ने इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा बनाया था वहां समाजवादी लोग आज भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा बनायेंगे और अगर उसमें बुराई आई है तो उसका मुकाबला किया जायगा ।

दोस्तो, मान्यवर

श्री श्यामधर मिश्र---

यह दोस्तो क्या है, मान्यवर ।

श्री देव बहादुर सिंह---

दोस्तो, साथियों सब चल रहा है ।

श्री विद्या शंकर---

आप के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान ब्यूरोक्रेसी की बुराई की तरफ ले जाना चाहता हूं । जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है ...विपक्ष में बैठ मेरे लायक दोस्त हल्ला न करें ...

श्री अध्यक्ष---

आप अपना भाषण जारी रखें ...

श्री विद्या शंकर---

उस में जो बुराइयां हैं उनके संबंध में एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं जो बहुत ही खेदजनक हैं और मंत्रियों के लिये चुनौती है । यहां के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश मंत्री स्तर पर पास किया जाता है लेकिन यह नौकरशाही जो है जिले में जा कर उनके आदेश की प्रतिष्ठा नहीं रखती है । उस को ताक पर रख कर इग्नोर करती है । इसलिय मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह बढ़ा हुआ विभाग जो है इसे ठीक करना पड़ेगा, इस बुराई को दूर करना पड़ेगा । मान्यवर, सामान्य प्रशासन में जो भ्रष्टाचार आ गया है उस के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह नौकर जो तीन सौ, चार सौ, माह वेतन पाने वाले, जैसे पी० डब्लू० डी० का ओवरसोयर, सहकारी विभाग का सुपरवाइजर ये तीन सौ, चार सौ रुपये महीने वेतन पाते हैं लेकिन इन का रहन-सहन इतना ऊंचा है कि एक हजार रुपये महीने पाने वाले कर्मचारी का रहन-सहन का स्तर इन से कम है । इसलिये छोटे कर्मचारी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको दूर करना बहुत ही लाजमी है ।

मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार का ध्यान, प्रार्थना-पत्र जो दिये जाते हैं, जनता की ओर से उनकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । उनमें तात्कालिक निर्णय नहीं हो पाते । मैं उदाहरण देना चाहता हूं । अप्रैल में एक दरखास्त दी

[श्री विद्या शंकर]

गयी थी लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ और न ही कोई सूचना मिली कि उसमें क्या हो रहा है । यह जो सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट दी गयी है उस में बहुत ही सारे सुझाव दिये गये हैं । यह कहा गया है कि प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय स्पीडी स्तर पर किया जायगा । मान्यवर, आंकड़े दे कर, महज जानकारी दे कर, प्रतिवेदन दे कर सामाजिक व्यवस्था नहीं बदला करती है । उसको व्यवहारिक रूप देना आप के लिये लाजमी है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रार्थना पत्रों पर तात्कालिक निर्णय किया जाना चाहिये जिससे आम जनता को, गरीब जनता को रिलीफ मिल सके, राहत जल्दी मिल सके ।

मान्यवर, मैं पुलिस प्रशासन की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप जानते हैं पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग कितना बदनामशुदा विभाग है जिसकी बदनामी आज तीस वर्षों से चली आ रही है । एक दरोगा है, एक ए० ओ० है पुलिस स्टेशन में रहता है उसका नैतिक स्तर इतना ऊंचा उठा हुआ है । जब दो पक्षों में झगड़ा होता है तो वह दोनों तरफ से रुपये लेता है । भ्रष्टाचार के संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अभी हाल में अभी-अभी दिसम्बर में जब असेम्बली चल रही थी प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों की बाढ़ सी आ गयी । प्रतापगढ़ जिले का कोई भी विधान सभा क्षेत्र नहीं बचा जहां डकैतियों का तांता न लग गया हो । २, ४ दिन के अन्दर डकैतियां पड़ चुकी हैं और एक रात में १३ घर एक साथ लूटे गये । सदन में यह कहा जाता है कि डकैतों का मुकाबला पुलिस ने किया । चार आदमियों को दूसरी जगह से झूठा केस बना कर पकड़ा गया और इस तरह से निर्दोष आदमियों को मारा गया । इस तरह से पुलिस प्रशासन मेरे जिले में इतना ढ़ीला हो गया है कि अगर इसको चुस्त नहीं बनाया गया तो आम जनता में जो आतंक फैला हुआ है वह दूर नहीं हो सकेगा । अभी मेरे एक विपक्ष के साथी ने एक उदाहरण दिया और कहा कि डकैत को प्रश्रय दिया जा रहा है । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एमरजेन्सी के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था आज भी मेरे जिले में जो डकैत हैं वे इसी यूथ कांग्रेस से सम्बन्धित हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

सब जनता पार्टी में चले गये । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री विद्या शंकर--

मैं उनके नाम तक गिना सकता हूं । आपकी पार्टी में डकैत और गुंडे पल रहे हैं और उनको आपने पनपाया है, जनता पार्टी ने नहीं पनपाया है । इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आज यह जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तथा पुलिस के सम्बन्ध में अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह अनुदान पुलिस विभाग तथा जनरल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध रखता है । आज यह पुलिस जिसकी चर्चा इस सदन में काफी देर से हो रही है समाज से तालमेल पैदा नहीं कर पाई । यह दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस देश की रक्षा करने में असमर्थ है और आम जनता में वह विश्वास पैदा नहीं कर सकी जो एक स्वतंत्र देश में उसे करना चाहिये था । मैं किसी व्यक्ति विशेष को अथवा किसी अधिकारी की आलोचना नहीं करता । १५ दिन की बात है । मैं उदाहरण स्वरूप यह बतलाना चाहता हूं कि कानपुर नगर के किदवईनगर मोहल्ले में रात के साढ़े तीन बजे मोहल्ले वालों ने एक चोर को पकड़ा । उसके पास बहुत बड़ा ड्रैगर था । उसके साथी भाग गये । साढ़े ३ बजे से साढ़े ६ बजे तक मुकामी पुलिस को आदमी भेजा गया, खबर दी गयी लेकिन कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा । लोगों को यह डर था कि जो साथी भाग गये हैं कहीं वे दुबरा आक्रमण न कर दें । साढ़े ७ बजे टेलीफोन पर मुझे इत्तिला दी जाती है । साढ़े ७ बजे मैं थाने टेलीफोन करता हूं जबाब मिलता है टेलीफून खराब है, सरकिल आफिसर को मिलाया उसने टेलीफून नहीं उठाया, एस० पी० को मिलाया तो खबर मिली कि वह सो रहे हैं एस० एस० पी० को मिलाया तो खबर मिली कि वह अस्वस्थ हैं, डी० आई० जी० कानपुर को मिलाया तो सूचना मिली कि वह मना कर रहे हैं । तो अन्त में मुझे कानपुर से लखनऊ आई० जी० को मिलाना पड़ा और इस तरह से साढ़े १७ रुपये मेरे व्यय हुए । यह एक विधायक के साथ होता है तो साधारण पब्लिक का क्या होगा यह विचारणीय प्रश्न है । यह अभी १५ दिन पहले की बात है । अध्यक्ष जी इस पुलिस विभाग में सबार्डिनेशन बहुत बड़ा रोग है । यहां के ऊंचे अधिकारी नीचे के कर्मचारियों को नौकर समझते हैं । यह अनुशासन नहीं डर है, भय है । आज कुछ ऐसे अधिकार दिये हुए हैं पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को कि उसके अधीस्थ कर्मचारियों को उसके विवेक पर छोड़ दिया जाता है वही उनका स्थानान्तरण करता है, वही उसको प्रताड़ित करता है और वही उसे प्रमोट करता है । इससे मान्यवर, स्टैंडर्ड कायम नहीं हो पाता है । एक ईमानदार आदमी को संरक्षण मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारन्टी नहीं है ।

पुलिस विभाग को अगर आप देखें तो प्रिवेंशन, इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन तीन काम हैं । लेकिन तीनों ही ब्रांच एक ही एस० पी० के अधीन है । वही अपराध पकड़ता है, वही इनवेस्टीगेशन करता है और वही प्रोसीक्यूशन करवाता है । उसके अधीन पी० ओ० होते है । मैं शासन को सुझाव देना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर के लिए पुलिस को अलग रखा जाय और इनवेस्टीगेशन का काम और प्रोसीक्यूशन का काम उससे अलग कर दिया जाय । जो ए० पी० ओज० है उनको डायरेक्ट जिलाधिकारी के अन्डर में रखा जाय । मैंने अपने १०, १५ साल के वकालत के तजर्बे में देखा है कि ए० पी० ओज० जो हैं वे मजबूर होते हैं वे जानते हैं कि एफ० आई० आर० करेक्ट है लेकिन इविडेंस ऐक्ट ऐसा बना हुआ है कि उन्हें उसे मानना पड़ता है और वह मन मार कर रह जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रोसीक्यूशन एजेंसी को स्वतंत्र किया जाय और एस० पी० के कब्जे से उसे निकाल दिया जाय ।

[श्री मोती राम]

अध्यक्ष जी, जहां तक इसकी एफिसेंसी का सवाल है, इस विभाग में एक पिवटल प्वाइंट होता है सब-इन्स्पेक्टर और उसके नीचे के जितने कर्मचारी हैं वह उसके सहयोगी हैं और जितने ऊपर के अधिकारी हैं वह सिर्फ सुपरवाइजर हैं। कई जगह तो ऐसा देखने को मिला है कि वह लेटर बोक्स की तरह होते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि थानेदार की रिपोर्ट जो है वही आई० जी० तक जाती है, अध्यक्ष जी, जिस वक्त कोई क्राइम होता है तो उसकी जो रिपोर्ट लिखाई जाती है वह हेड मुहर्रिर या हेड कानिस्टेबल लिखता है जिसको कि कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है और उस रिपोर्ट की विवेचना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक होती है। मैं कहना चाहता हूं कि एफ० आई० आर० लिखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिये, उसके लिए कानून की प्राइमरी नालेज जरूरी होनी चाहिये और उसे इविडेंस ऐक्ट की जानकारी भी होनी चाहिये ताकि एफ० आई० आर० में लिखते समय जो कमियां रह जाती है वह ध्यान में आ सके जिसके कारण कभी-कभी शासन को परेशानी आ जाती है और जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट विवेचना करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना कि वह विश्वास पैदा करावें इस डिपार्टमेन्ट के प्रति जनता में। जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे वह रुकवावें। किसी आदमी को वह राहत नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम प्यार के दो शब्द तो उनको बोलिए, जिससे वह वहां से उनके प्रति घृणा को लेकर न जाएं।

एक चीज मैं जनरल ऐडमिस्ट्रेशन पर कहना चाहता हूं, जिसकी बार-बार यहां चर्चा आती है सर्विसेज में शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने के बारे में। मैं यहां एक किताब रेफर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग ६ लाख कर्मचारी हैं काम करते हैं और इस किताब के अनुसार साढ़े तीन लाख कर्मचारियों के आंकड़े हैं, बाकी सिंचाई आदि डिपार्टमेंट के आंकड़े इसमें नहीं हैं। इस साढ़े तीन लाख में गजटेड क्लास वन में २७३२ कर्मचारी हैं, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के केवल ८५ हैं यानी ३·६ प्रतिशत, और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के निल हैं। गजटेट क्लास-टू में ११,२५५ कर्मचारी हैं, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के ४२५ यानी ३·६ प्रतिशत हैं, शड्यूल्ड ट्राइब्स के कुल ९ हैं यानी ०·७ प्रतिशत कर्मचारी हैं। इसी तरह से नान-गजेटेड रैंक में, क्लास-थिरी में २ लाख ५ हजार १७६ कर्मचारी हैं, जिनमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के १६,४१८ हैं, क्लास फोर में १,५६,३१८ कर्मचारी हैं, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के १९,९१२ यानी १२·७६ प्रतिशत हैं और उसमें शड्यूल्ड ट्राइब्स के ५०९ यानी ०४ प्रतिशत कर्मचारी हैं। पिछले ३० साल से कांग्रेस की तथाकथित सरकार हरिजन कल्याण का ढिंढोरा पीटती रही है, लेकिन उनके साथ स्थिति बड़ी खराब बनी हुई है। इस पर, इस शोचनीय स्थिति पर इस जनता सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि उनके द्वारा यह स्थिति नही सुधरेगी तो जनता पार्टी को सरकार का जस्टीफिकेशन भी नहीं रहेगा। उनके किये गये कुकर्मों और राजनीतिक हथकंडों की नीति त्याग कर जनता सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इनका १८ प्रतिशत आरक्षण पूरा करे। धन्यवाद, जो आपने समय दिया। मैं कहना तो अभी बहुत कुछ और चाहता था।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग पर प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध सामान्य

जनजीवन से सीधा होता है और जिन लोगों के हाथों में सामान्य प्रशासन का कार्य दिया जाता है, वे समाज के वे लोग हैं, जिन्हें शासकीय नौकरियों में उनकी योग्यता, निपुणता को देखते हुए रखा जाता है। उनके माध्यम से शासन का सारा कार्यभार चलता है। समाज के वे लोग जो सबसे अच्छे कहे जाते हैं, जो सबसे अधिक विद्वान् माने जाते हैं उन्हें हम इस प्रकार का दायित्व सौंपते हैं। जब से ये लोग शासन में आते हैं, तबसे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, समाज का गरीब से गरीब आदमी उनका भार अपने कंधों पर ढोता है। किन्तु अगर सामान्य जन उनके कार्यों से सन्तुष्ट नहीं है, उनमें अपनी आस्था नहीं रख पाता है, तो वह सामान्य प्रशासन लुंज-पुंज है और उसके माध्यम से देश या प्रदेश का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। इस परिस्थिति में सामान्य प्रशासन में छोटे से बड़े कर्मचारी में उनकी निपुणता, कार्यक्षमता, ईमानदारी ऐसे गुण हैं, जिनके माध्यम से शासन का कार्य उत्तम तरीके से चल सकता है और जनता का विश्वास उस पर जम सकता है।

मान्यवर, आज जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है पिछले तीन वर्षों में उच्च पदाधिकारी सामान्य रूप से जो सरकार की गतिविधि थी, उसके प्रभाव में आ कर उन्हीं लोगों के आचरण और जीवन-पद्धति को अपना कर आराम तलब हो गये थे और अपने कर्त्तव्यों के प्रति जो निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता होनी चाहिए उसका उनमें अभाव था। हम देखते हैं उनके और जनता के बीच में जो सीधा सम्बन्ध होना चाहिए वह नहीं रह गया। इस लिए आज नयी परिस्थिति में जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक विश्वास पदा करने की आवश्यकता है।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, हम मानते हैं कि पुलिस के अन्दर जो कार्य क्षमता होनी चाहिए वह पिछले वर्षों में नहीं रही और विशेषकर आपात-कालीन स्थिति में इस देश के लोगों को जनता को कुचलने के लिए उसका प्रयोग किया गया, उनके अन्दर ऐसी भावना उत्पन्न की गयी कि वे जनता के सेवक नहीं हैं, कानून के रक्षक नहीं हैं, प्रत्युत जनता पर अत्याचार करने का एक माध्यम है। नौजवानों के नाखून खींच लिये गये, जूतों से पीटा गया, पानी मांगने पर मुंह में पेशाब कर दी गयी। इस प्रकार की मनोवृत्ति कांग्रेसी हुकुमत के लोगों ने पैदा की। जो आज प्रशासन को सुधारने की बात करते हैं, जिन्होंने जबरदस्ती ऐसे अत्याचार ढहवाये। उस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी आज इस प्रशासन में हैं। उसी प्रकार की मनोवृत्ति से ग्रस्त हो कर अड़ंगेबाजी उत्पन्न कर रहे हैं। प्रशासन में ढील है, उसके पीछे जनता सरकार की कठोरता का प्रश्न नहीं है। आज देश के अन्दर बिड़ला टाटा के लोग प्रशासन में घुस कर, जन प्रतिनिधियों के रूप में, और बड़े-बड़े ब्युरोक्रेट्स अड़ंगेबाजी उत्पन्न कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों में बिड़ला के पक्ष धर पहुंचकर यह मांग करते हैं कि बिड़ला के कारखानों को बिजली दी जाय और हड़ताल कराने का प्रयास करने लगे हैं। जो बिड़ला के पैसे पर राजनीति में आ कर, इस प्रकार से आज हमारे प्रदेश के अन्दर गड़बड़ियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, वे लोग जो शासन में उत्तर प्रदेश

[श्री रामजी]

के अन्दर बने रहे हैं पंजीपति, ब्यूरोक्रेट्स और विरोधी दल के लोग जो हमेशा सत्ता में रहे हैं, जिनकी सत्ता की भूख और पिपासा शान्त नहीं हुई है, ये लोग त्रिगुट बनाकर शासन के अन्दर गड़बड़ियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल और दूसरे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

प्रदेश के अन्दर अनेक बड़े जिले हैं। उनको छोटा करने की आवश्यकता है। आजमगढ़ बहुत बड़ा जनपद है। मऊ नगर जो औद्योगिक केन्द्र है जहां पर बुनकर रहते हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको देखते हुए मऊ को जिला केन्द्र बनाना चाहिए जहां एक लाख से अधिक लोग रहते हैं, वहां पर एक कोतवाली से मऊ की समस्याओं को कंट्रोल करना अत्यधिक कठिन है। मऊ को जिला केन्द्र बनाने पर सरकार जब तक निर्णय नहीं ले पाती है तब तक के लिए मैं मांग करता हूं वहां पर एस० डी० एम० कोर्ट तथा मुंसिफ कोर्ट नियमित रूप से चलनी चाहिए, सब-ट्रेजरी का कार्यालय खुलना चाहिए। वहां पर व्यापरिक केन्द्र होने के कारण व्यापरियों को बराबर कठिनाई रहती है। उनको तहसील हेडक्वार्टर मोहम्मदाबाद या आजमगढ़ जाना पड़ता है। जहां तक पुलिस प्रशासन के अन्दर क्षमता बढ़ाने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि अनेकों थाने एसे हैं जहां पर तेज वाहन नहीं हैं, जिसके कारण पुलिस शीघ्र कार्य कर नहीं पाती है। हमारे जिले में एक कोपागंज थाना है। यहां पर पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिए भवन नहीं हैं जिससे उनको काम करने में परेशानी पड़ती है। मान्यवर, आप देखें कि आये दिन चोरियां हो रही हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, इसका एकमात्र कारण यह है कि उसके पास तेज गति की जीपें नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी-किसी थाने में तो लोगों के रहने की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो जुर्म हो रहे हैं उन पर कन्ट्रोल करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि पुलिस को सुसज्जित किया जाये। उनके पास तेज साधन होने चाहिए जिससे वे सुगमता पूर्वक कार्य कर सकें। मान्यवर, मेरे मऊ क्षेत्र के गांव कुर्थी जाफरपुर में एक पुलिस चौकी खोलने की नितान्त आवश्यकता है। यहां पर बहुत से जरायम बढ़ रहे हैं और पुलिस उन पर काबू नहीं पा रही है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कुर्थी जाफरपुर में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

सूचना राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार अनुदान संख्या ३९--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ४४--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या ३-मंत्री परिषद् अनुदान संख्या ५-निर्वाचन, अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ३६--सूचना तथा प्रचार, अनुदान संख्या ३९-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम, अनुदान संख्या ४१-अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं तथा अनुदान संख्या ४४-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (क्रमागत)

***श्री रियासत हुसैन--**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान उपस्थित है उसके सिलसिले में २ छोटी-छोटी पुस्तिकायें हमें मिली हैं। खेद की बात है कि दोनों पुस्तिकाओं में वर्ष १९७६ से पुलिस के कार्य कलाप दिखाये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इमरजेन्सी के कार्यकलाप इसमें क्यों सम्मिलित किए गये। अच्छा तो यह होता कि इसमें ३ महीने के कार्यकलापों को सम्मिलित किया जाता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सेक्रेटेरियट जहां पर सारे प्रदेश का रिकार्ड रहता है और यह केन्द्र है, यहां के ही कर्मचारी असन्तुष्ट नजर आते हैं। सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़कियां घूमते हुए मिलते हैं, उनकी बातों से पता चलता है कि वे वर्क चार्ज में काम करते हैं उनको अपने भविष्य का कुछ पता नहीं है। श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि जो बाहरी आदमी यहां पर आता है वह क्या भावना लेकर जायेगा। इसी तरह से जब कर्मचारी समझता है कि चीफ सेक्रेटरी के पी० ए० साहब को एक्सटेन्शन मिल सकता है और उनका मामला विचाराधीन है, लेकिन दो अन्य अधिकारियों के एक्सटेन्शन का मामला समाप्त कर दिया गया है।

अब श्रीमन्, पूरे सूबे की तसवीर पर गौर कीजिए। हरिजन गैर महफूज हैं, मजदूर गैर महफूज हैं और माननीय सदस्य भी गैर महफूज हैं। रोजाना खत पहुंच रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है। एम० पी० भी गैर महफूज महसूस करते हैं। श्री राम लाल राही ने २७ तारीख को खत लिखा कि मेरी जान खतरे में है और मंत्री भी अपने को महफूज नहीं समझते हैं। मंत्री जी के शैडो को गोली मार दी गयी तो वह भी कहते हैं कि उनकी जान खतरे में है। जिसके विरोध में यह सब हो रहा है। फिर पूरे सूबे में दफा १४४ लागू कर दी गई है। असंतोष की समस्या को लीजिये। सब में असंतोष व्याप्त है। छात्र असंतुष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हैं, मजदूर असंतुष्ट हैं। बीस-बीस महीने से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। बेनी प्रसाद माधव जी जानते हैं कि गन्ना किसान आज कितना असंतुष्ट है। उसे रात-रात नींद नहीं आती कि गन्ने की कीमत क्या होगी ? आज अखबार में छोटे से कालम में छपा है कि वही पुरानी कीमत रहेगी। इस तरह से किसान असंतुष्ट, अधिकारी असंतुष्ट, कि पता नहीं कि कौन सा मंत्री किस को आदेश दे दे और टेहरी-गढ़वाल, चमोली कहां भेज दे। सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त है। प्रदेश की दस करोड़ जनता असंतुष्ट, है। आखिर यह सब क्यों है ? इसका कारण

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]—

क्या है ? इन सारी चीजों के लिये जिम्मेदार कौन है ? जनता पार्टी की सरकार अपने तीन महीनों के कार्यक्रम को सामने रख कर देखे कि कौन जिम्मेदार है ।

तबादलों का मसला एक बड़ा अहम् मसला है । इस मामले पर मैं बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहता हूं । मैं कहता हूं कि आप ५–७ माननीय सदस्यों को कोई कमेटी बना दीजिये जो तबादलों के सम्बन्ध में कोई पालिसी बनाये जिससे यह तबादले की जो बीमारी है, वह दूर हो सके क्योंकि इससे तमाम माननीय सदस्य परेशान हैं । मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्रीगण भी परेशानी महसूस करते होंगे । यह बीमारी जितनी जल्द खत्म की जा सके, उतना ही अच्छा है ।

एक सबसे बड़ा मसला है वह है अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाहों का । आज जो तमाम कैम्पस लगे हैं एक–एक से मैंने बात की तो किसी ने कहा कि हमारी तनख्वाह कम है, तो किसी ने कहा कि हमारा डी० ए० और एलाउन्सेस कम हैं या पर्याप्त सुविधायें नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता है कि आज दो चार नहीं ४७ ग्रेड्स हैं । हर डिपार्टमेन्ट के ग्रेड्स अलग–अलग हैं । क्या तमाशा है ? जब आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जनता पार्टी की सरकार, जय प्रकाश जी के नाम पर, डाक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलना चाहती हैं तो क्यों नहीं आप सिर्फ चार ग्रेड कर देते । दो गजेटेड के, दो नान गजेटेड के और पांचवा सेलेक्शन ग्रेड रखते । उनकी जो न्यूनतम आवश्यकतायें हैं, उनको ध्यान में रखते । क्या आप नान गजेटेड को चार ग्रेड देना चाहते हैं ? बाबू क्लास को थर्ड ग्रेड देना चाहते हैं और क्लास वन और टू को अलग–अलग देना चाहते हैं । उसके बाद आप क्यों एलाऊ करते हैं फिर सेलेक्शन ग्रेड देते हैं । मैं पूछता हूं कि तीस वर्षों से चली आ रही इस कमी की, विषमता की जिम्मेदारी किस पर है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

यह सब आप ही के बच्चे को पाल रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

चौधरी साहब, आज हम सब जानते हैं कि दाल साढ़े चार रुपये किलो बिक रही है, कड़वा तेल चौदह रुपये बिक रहा है, आटा पौने दो रुपया किलो बिक रहा है । चावल ढाई–तीन रुपये किलो पर पहुंच गया है । ऐसे में आप कैसे यह उम्मीद करते हैं कि डेढ़–दो सौ रुपया पाने वाला सरकारी मुलाजिम अपना पेट पाल सकेगा ? क्या वह ईमानदारी से काम कर सकेगा ? क्या वह रिश्वत नहीं लेगा ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लास फोर और क्लास थ्री में जितने भी रिश्वत खोर होते हैं, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं, इन सबकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो। तो हमको सोचना होगा कि कैसे इस मसले को हल किया जाय जबकि हम उसको १५० रुपया वेतन के रूप में देंगे । जब हमने एक लाइसेन्स दे दिया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को हम २०० या २५० रुपया देंगे लेकिन कहेंगे कि तुम अपने बच्चों को मोटे से मोटा कपड़ा पहनाओ और कम से कम पढ़ाओ । तो हम इस बात की इजाजत देते हैं कि २५० रुपये ले लो और २५० रुपया रिश्वत में कमा कर लाओ काम चलाओ । तो वह रिश्वत में २५० या ३०० रुपया ही क्यों लेगा

वह ३,५०० रुपया लेगा क्योंकि वह सोचेगा कि जब हमें चोरी ही करनी है तो ३,५०० रुपया ही क्यों न लूं। तो इस प्रश्न को हमारी सरकार को सोचना होगा कि इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाय। आज समाज का कोई भी हिस्सा नहीं बचा हुआ है।

आपने अखबारों मे पढ़ा होगा कि चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, पौलिटिशियन हो, प्रोफेसर हो या वकील हो और या वह अधिकारी हो कोई बचा हुआ नहीं है इस समाज के ढांचे को चलाने के लिए। इसी प्रकार से हमारे जो पुलिस वाले हैं वे भी मुकदमों में कमजोरी छोड़ देते हैं। आज हमारा जो एवीडेन्स ऐक्ट है वह आउट आफ डेट हो गया है। यह उस समय का बना हुआ है जब कि देश में प्रजातंत्रीय राज्य नहीं था। आज ग्राम पंचायतों के इलेक्शन पर इम्पाशल एवीडेन्स अवेलेबिल नहीं होती है। जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं वे कोई न कोई कमी छोड़ देते हैं जिससे बेनिफिट आफ डाउट मिल जाता है। वे सोचते हैं कि जब मुकदमों में पब्लिक प्रासीक्यूटर पैसे बनायेगा, वकील पैसे बनायेगा, और पेशकार पैसे बनायेगा तो मैं ही क्यों ऐसे मौके को छोड़ूं। इस विभाग में तो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको बिना तनख्वाह दिए भी रखना चाहें तो वे काम करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि जो १ रु० देने की बात कही गई है वह मुनासिब है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लोक नायक जय प्रकाश जी ने अपनी समग्र क्रान्ति के आन्दोलन में इस बात की कल्पना की थी कि हम इस क्रान्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे समाज में परिवर्तन होगा और इन्सान भी बदलेंगे। इस धुरी को केन्द्र मानकर हमारी जनता पार्टी की सरकार ने और जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी हमने इस बात का संकल्प किया था कि हम शासनतंत्र के हाथ में आने पर अपने देश और प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देंगे।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष में बैठे हुए साथियों ने जो सवाल उठाये हैं, भाई रियासत साहब ने जिन सवालों की ओर सरकार का ध्यान खींचा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को हमारे प्रधान मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई ने भी कहा है कि हम इस देश के प्रशासन को जो सामान्य कानून हैं, उनके तहत, जनतंत्र को जो हमारे शासन की पद्धति है, उसके अनुरूप चलाना चाहते हैं।

हम उन रास्तों की ओर देश को नहीं ले जाना चाहते जिन पर चलते हुए हमारे पक्ष-विपक्ष में बैठ हुए लोगों को रहना पड़ रहा है। आज प्रशासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

के अन्दर भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, कार्यक्षमता में कमी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मैं बड़े ही अदब और लिहाज के साथ आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था जो हमारे देश की बिगड़ी है, प्रदेश की, इसके लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार के लोग जिम्मेदार रहे हैं। पिछले राज के चलते इस देश में हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार और दमन हुआ है उसकी बेमिसाल कहानी आपसे छिपी नहीं है। कानून और राज्य की व्यवस्था इतनी टूट गयी कि हमारे संविधान में जो परिभाषा दी गयी है जनतंत्र की कानूनों का राज्य, वह पूर्ववर्ती सरकार के चलते हमारे देश में खत्म हो गया। आज जनता सरकार के सामने सबसे बड़ा मौलिक सवाल है कि हम कानून और व्यवस्था का राज चलाना चाहते हैं विधि की, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम देश के प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाना चाहते हैं।

मान्यवर, पुलिस शासन के सिलसिले में कुछ बातें यहां उठायी गयीं। पुलिस के विभाग में भ्रष्टाचार है, पुलिस जनता की सुरक्षा में पूरी तरह कामियाबी नहीं हासिल कर पा रही है। इस सिलसिले में मुख्य मन्त्री महोदय और प्रदेश की जनता सरकार से हमारा निवेदन है कि पुलिस शासन को और सक्षम और चुस्त बनाने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में इस सदन का ध्यान में लखनऊ में पी० ए० सी० के जवान जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। १९७३ में पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में पी० ए० सी० के जवानों पर गोलियां चलायी गयीं। पी० ए० सी० के जवान अपनी नौकरियों से हटाये गये, बरखास्त किये गये। आज पी० ए० सी० के जवानों ने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर जिनके लिए हम कहा करते थे, जिन के संघर्ष की अगुवाई हमारे माननीय नेताओं ने की थी, आज हमारी जनता पार्टी की सरकार में अनशन पर बैठे हुए हैं। इस सदन के जरिये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा मुख्य मन्त्री महोदय से कि पी० ए० सी० की जो मांग है इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और न्यायिक मांगों को पूरा किया जाना चाहिये। जो नौकरियों से छांट दिये गये हैं पूर्ववर्ती सरकार में उन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

इस सदन के जरिये मैं एक अहम सवाल की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे राज-काज चलाने की भाषा, शासन चलाने की भाषा के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूं। पिछले ३० सालों में शासन के राज-काज चलाने की भाषा अंग्रेजी रही है। संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया था कि १५ वर्ष के अन्दर आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेजी को खत्म कर दिया जायेगा, सारे प्रशासन का काम काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में चलेगा। मगर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी प्रशासनिक ढांचे में, राज-काज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध म संविधान की दो तीन धाराओं का जिक्र करना चाहता हूं। अनुच्छेद ३४३, ३४४ और ३५१ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे संघ की भाषा हिन्दी होगी। हमारे देश में राज-काज में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ाया जायगा। इतना ही नहीं संविधान की धारा ३५१ में उल्लेख किया गया है कि हिन्दी को बढ़ाने का संघ का कर्तव्य होगा। मगर आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है, इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने पहले भी सवाल उठाया था, आज भी हमारे देश में अंग्रेजी का बोल-बाला है। इस सदन के जरिये आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तत्काल हमारे सूबे में अंग्रेजी का जो काम-काज राज-काज में चल रहा है, शासन

तंत्र में चल रहा है उस पर फौरन रोक लगायी जाय और सारे काम–काज को हिन्दी में करने की शुरुआत की जानी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम जिस इलाके से चुन कर आये हैं वह बहुत उपेक्षित और पिछड़ा है । कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है । दो थाने हैं––एक बीकापुर और दूसरा हैदरगंज । हैदरगंज थाने में इतना ज्यादा एरिया जोड़ दिया गया है कि एक जगह बैठ कर पुलिस पूरे इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाती है । इसके लिये पहले मैंने कई दफा शासन को चिट्ठियां लिखी हैं कि तारुन में एक थाना खोल देने से इलाके में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहूलियत होगी । उसी के पास ही एक छोटा सा बाजार है उसम और रामपुर में पुलिस चौकी कायम करने की जरूरत है । इस सदन में जो भी आलोचनायें चल रही हैं और जो भी सुझाव आ रहे हैं सबसे खास बात जो हमारी जनता पार्टी को सरकार को करना है वह यह कि इस देश में न्यायपालिका को मजबूत बनाना है, विधि के शासन को कायम करना है । ऐसा करने के लिये जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्प है । आज जो अराजकता की स्थिति पैदा है जिसके लिये विपक्ष में बैठे हुये लोग जिम्मेदार हैं जो इस प्रदेश में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं इसको आने वाले दिनों में ठीक करने के लिये जनता पार्टी की सरकार कृतसंकल्प है । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश––

मान्यवर, आज जो सामान्य प्रशासन और पुलिस का अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैंने आज विपक्ष के कई माननीय सदस्यों को बहुत ही गौर से सुना । मुझे उम्मीद थी कि कुछ ठोस और बुनियादी सुझाव रखे जायेंगे । माननीय श्यामधर मिश्र जी, जिनको मैं काफी मानता हूं, उनसे भी मैं उम्मीद करता था कि कुछ बुनियादी बात कहेंगे । लेकिन जैसी कि पुरानी आदत है सिवाय पैबन्द लगाने के दूसरा काम नहीं होता है । जो कपड़ा फट जाय, चिरकुट हो जाय उसमें पैबन्द लगाना बेकार हुआ करता है मैं तो चाहूंगा, जैसा कि हमारे घोषणा–पत्र में लिखा है, जनता पार्टी की सरकार को प्रशासन में बुनियादी तब्दीली करनी चाहिये । लार्ड मैकाले ने जो प्रशासनिक व्यवस्था हिन्दुस्तान के अन्दर कायम की उसका नतीजा हमारे और आपके सामने है । उसकी बुराइयों की ओर इशारा करना मैं यहां जरूरी नहीं समझता । जरूरत इस बात की है कि लोकशाही में, लोकतन्त्र में प्रशासनिक ढांचा भी लोकतान्त्रिक होना चाहिये और उसके लिये हमारे घोषणा–पत्र में लिखा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायगा । सत्ता का विकेन्द्रीकरण कोई हवाई बात नहीं है बल्कि ठोस आधार पर चार खम्भों पर चौखम्भा राज स्थापित किया जायगा गांव के स्तर पर, जिले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश--]

के स्तर पर, सूबे के स्तर पर और केन्द्र के स्तर पर । हमारी पार्टी की सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिये कि जिस तरह से संवैधानिक अधिकार विधान सभा और लोक सभा को मिले हैं वैसे ग्राम राज्य स्थापित करने के लिये गांव सभा को और जिला स्तर पर सभाओं को बनाना और उनको संवैधानिक अधिकारों को देने की दिशा में प्रयास करना चाहिये । पुराने प्रशासनिक ढांचे में तब्दीली करना होगा । इसके बिना समस्या का समाधान असम्भव है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सचिवालय में जो कामकाज होता है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश और देश की भाषा हिन्दी है लेकिन अफसोस की बात है कि सचिवालय से जो बेतार का तार जिलाधिकारियों को दिया जाता है । मैं चाहूंगा कि वह हिन्दी भाषा में दिये जायं । और अंग्रेजी की जो टंकण मशीनें हैं उनकी संख्या में कमी होनी चाहिये । सामान्य प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग शतप्रतिशत होना चाहिये । जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में हिन्दी का इस्तेमाल शत प्रतिशत नहीं होगा तब तक पूरे देश में हिन्दी के सम्पर्क भाषा के रूप में बनने में अवरोध उत्पन्न होगा । तो मैं चाहता हूं कि हमारे सचिवालय की भाषा की राज-काज की भाषा के साथ-साथ आकाशवाणी का काम भी हिन्दी में होना चाहिए ।

अभी कुछ दिनों पहले आकाशवाणी में परीक्षा अंग्रेजी में ली गयी थी । मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । आकाशवाणी, सचिवालय, सामान्य प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा बल्कि पूरे का पूरा काम अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिन्दी में होना चाहिए । आज पूरे प्रदेश के अन्दर असंतोष पैदा हो रहा है सरकारी कर्मचारियों से लेकर विद्यार्थियों से लेकर, अध्यापकों से लेकर सारे लोग सत्याग्रह कर रहे हैं । कुछ माननीय सदस्यों को शायद यह महसूस हो रहा है कि यह सब जनता पार्टी के कारण हो रहा है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी के कारण नहीं हो रहा है, यह १९ महीनों तक जो जनतांत्रिक अधिकारों को काटकर रखा गया था, जो जनतांत्रिक अधिकार थे, उनको मीसा, और डी० आई० आर० के नाम पर खत्म कर रखा था, इस कारण से यह सब हो रहा है । मैं तो इसको मान्यवर जनतंत्र का निशान मानता हूं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, १९४७ में जब अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गये तो १९४७ से लेकर १९५२ तक इस हिन्दुस्तान के अन्दर पूरे देश में प्रदर्शन और सत्याग्रह का दौर रहा और केवल इसी देश के अन्दर नहीं, रूस के अन्दर जब जार्ज शाही का खात्मा हो गया और लेनिन की सरकार बन गयी । (व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र--

यदि आज्ञा हो, तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि यह सत्याग्रह जनतांत्रिक दौर है और दूसरी तरफ १४४ लगाया जा रहा है । तो ये अपनी सरकार को सलाह क्यों नहीं देते हैं कि प्रदर्शन के विरुद्ध १४४ क्यों लगाया जा रहा है ? (व्यवधान) ।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

यह जनतांत्रिक दौर है और १४४ लगाना मेरी व्यक्तिगत राय में अच्छा नहीं है। अभी तक जैसा कि ३० साल तक जो प्रशासन चला आया है, किसी भी समस्या से निपटने के लिए यह बात रखी गयी कि १४४ धारा लगा दी जाय। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार ऐसा कोई विकल्प रखेगी, जब किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए धारा १४४ का इस्तेमाल न करना पड़ेगा बल्कि और कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं दो–तीन मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष––

आपने तो स्वयं कहा था कि २–३ मिनट का ही समय लूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

जैसा कि श्री श्याम धर मिश्र जी कह रहे थे १४४ उनको बुरी लग रही थी। हमारी जबान में १४४ पहले भी बुरी थी, आज भी बुरी है। १४४ लगाकर प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है। १९७५–७६ में जो मीसा, डी० आई० आर० लगा कर लोगों को बंद किया गया था, उससे यह बेहतर है। उस मीसा और डी० आई० आर० के विरोध में मैं केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बंद था। (व्यवधान).. आज सत्याग्रह और आंदोलन करना चाहिए.. (व्यवधान)..मान्यवर, मैं कहूंगा कि माननीय तिवारी जी तक मेरी बात पहुंचा दी जाय। कांग्रेस के इस झंडे को फहराने के नाम पर गिरफ्तारी नहीं की जायगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

(श्री अरुण कुमार के खड़े होने पर)

अरुण कुमार जी आप बैठिये। शतरुद्र प्रकाश जी आप समाप्त कीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तिवारी जी की जो गिरफ्तारी हुई है, सोचा होगा कि हीरो बन जायेंगे। पूरा नाम छपेगा। लेकिन बदकिस्मती आ गयी और श्रीमती इंदिरा गांधी गिरफ्तार हो गयीं और तिवारी जी का नाम अखबारों में नहीं मिला। तो तिवारी जी से कह दीजियेगा कि दोबारा गिरफ्तार होइये तो जलवा पैदा होगा। अब जलवा खत्म हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं १९७५–७६ को, आज १४४ की दुहाई दी जा रही है। सचिवालय की तरफ से, पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से एक साइक्लोस्टाइल एफ० आई० आर० पूरे थानों को दे दिया गया था।

एक सदस्य––

वह आज भी है। (शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आज नहीं है । मैं डंके की चोट पर . कहना चाहता हूं कि आज नहीं है । आज जनता पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करती है तो हिम्मत के साथ गिरफ्तार करती है ।

(सदन में व्यापक शोर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप लोग शांत रहें ।

(सदन में शोर जारी रहा ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× ×]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । (शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

[× ×]

श्री देव बहादुर--

यह बोलते जा रहे हैं...

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

मान्यवर, आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस माननीय सदन में हमारे माननीय सदस्य शारदा प्रसाद जी बातें कर रहे थे वह हम सभी सुन रहे थे । उन्होंने हाउस में एक प्रश्न उठाया और कहा कि उनके मन में रिजर्वेशन के विरुद्ध आक्रोश है, गुस्सा है । उन्हें पसन्द नहीं है । मैं उनकी बात से सहमत हूं । मैं एकदम से मानता हूं कि रिजर्वेशन किसी भी समाज के लिए नहीं होना चाहिये । लेकिन श्रीमन्, शारदा प्रसाद जी से जिन्होंने इस तरह के व्यू प्वाइन्ट रखे हैं उनसे मैं निवेदन करूं कि इस रिजर्वेशन की पद्धति को समाप्त करने के पहले निवेदन है कि पूरी-पूरी जायदाद, पूरी सम्पत्ति को भी बांटा जाय । मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जितनी भी सम्पत्ति जमीन जायजाद है उसका बंटवारा हो जाय । टाटा, बिड़ला, जुग्गी लाल, सिंहानियां, इनकी फैक्टरियां, ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें सम्पत्ति जमीन बांट दी जाय, सम्पत्ति का बटवारा कर दिया जाय और उसके बाद रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाय, सर्विसेज में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि गरीब, हरिजन जो इस समाज में पैदा होता है, गांव की अंधेरी गलियों में, कड़कती बिजली और बरसात में किस-किस तरह से ठोकरें खाकर जिन्दगी गुजर बसर कर रहा है। कभी-कभी वह लोग हरिजनों की बातें करते हैं जो एयरकन्डीशंड कमरों में चिटकनी बन्द करके, बिजली की रोशनी में, अट्टालिकाओं में बैठकर सुरा सुंदरी का आनन्द लूटते हैं, कभी-कभी वह भी गरीबों की बातें किया करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह की बातें करते हैं अपना विचार बदल दें। सम्पत्ति बांट दें और झोपड़ी में चले जायें, तो रिजर्वेशन को खत्म किया जाय। लेकिन शंका यह है कि चूंकि सम्पत्ति आप बांटेंगे नहीं, जायदाद आप बांटेंगे नहीं तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है। हरिजन समाज को ऊपर उठाने का वह तरीका यह है कि सर्विस में पढ़े लिखे आदमी लिए जायं, उनको नौकरी दी जाय।

जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा और यह पुस्तिका आपके विभाग से मिली है उससे कुछ आंकड़ें गृह विभाग और सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कुछ आंकड़े देना चाहता हूं : पुलिस रेडियों में क्लास वन में ३ में से शून्य, क्लास टू में ६ में से १। पुलिस मोटर परिवहन में क्लास वन में निल। राज्य अग्निशमन में क्लास वन में १ में निल और क्लास टू में भी शून्य। राज्य अभियोजन १८ में शून्य। गृह पुलिस में ९.६, तृतीय वर्ग में और चतुर्थ वर्ग में ११.१४। इसी तरह से नागरिक सुरक्षा में प्रथम में ६ में शून्य, द्वितीय में ९ में शून्य तृतीय में ८.५ प्रतिशत और चतुर्थ में २२.७२ प्रतिशत। होमगार्ड संगठन में, क्लास वन में निल, क्लास टू में ३.३ प्रतिशत, क्लास थ्री में ४.५ प्रतिशत और क्लास फोर में ११.७ प्रतिशत। गृह कारागार में क्लास वन में ५.४ प्रतिशत, क्लास टू में ३.५ प्रतिशत, क्लास थ्री में ७.६ प्रतिशत, क्लास फोर में शून्य प्रतिशत। इसी तरह से किसी भी क्लास को ले लें। जो सर्विसेज है उनमें क्लास वन में २.५ परसेन्ट, क्लास टू में ४ परसेन्ट, क्लास थ्री में १० परसेन्ट और क्लास फोर में १३ परसेन्ट है। ३० साल के लम्बे समय के बाद आप देखें कि हम कहां पहुंचे हैं। यह मिसाल आपके सामने हाजिर है। इसमें कौन दोषी रहा यह भी सब जानते हैं। इधर से यह चिल्लायें कि यह उनकी करनी है तो यह भी कोई अच्छी बात नहीं। हां इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह अधिक दोषी हैं। लेकिन उनका दोष कह कर हम कहें कि हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो हालत उनकी हुई है। साल डेढ़ साल बाद लोगों को गुस्सा आयेगा और वे कहेंगे कि उनसे ज्यादा दोषी आप हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं एक बात के लिए कि कुछ दिनों पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे निवेदन किया था कि हरिजन उत्पीड़न की जो समस्या चल रही है अगर उसको खुलझाना चाहते हैं, उसका निराकरण करना चाहते हैं तो हरिजन समाज, पिछड़े समाज और इन समाजों से सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को फील्ड में पोस्ट

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट)—

करें। उनको डी० एम०, एस० पी०, सी० ओ० के पदों पर रखें। माननीय मुख्य मन्त्री जी के व्यक्तित्व पर लोहिया जी की छाप है और कुछ दूसरों पर भी है। इसलिए हमारे कुछ आंकड़े सरके हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत कमी है। डी० आई० जी० ३० है लेकिन शिड्यूल कास्ट का एक भी नहीं है, रेन्ज डी० आई० जी० ११ है जिनमें शिड्यूल कास्ट का एक भी नहीं, सी० ओ० सिटी २० लेकिन शिड्यूल कास्ट का एक भी नहीं। सिटी मैजिस्ट्रेट्स १८ लेकिन शिड्यूल कास्ट का एक भी नहीं, ए० डी० एम० (ई) १६ हैं जिनमें शिड्यूल कास्ट का एक है। पुलिस अधीक्षकों में कुछ बढ़े हैं। पहले तीन की गिनती थी वह अब छै, सात हो गये हैं। इस तरह से किसी ओर में हम बढ़े है तो किसी में पीछे भी खिसके हैं। मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सदर्न जोन में छै बटालियन है उनमें पांच शिड्यूल कास्ट के कमाडेन्ट हैं। इसी तरह से २५ बटालियन्स हैं उनमें कुल १० शिड्यूल कास्ट के हैं। इसी तरह से इन लोगों की नियुक्ति भी ठीक से नहीं दी जाती। रेलवे में भेजे जाते हैं या दूसरी रद्दी पोस्ट्स दी जाती हैं। इस सबसे इस समाज में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। उनको ठीक से नियुक्ति नहीं दी जाती। यह हालत तब है जबकि हमारे गृह सचिव अच्छे हैं, आई० जी० अच्छे है। डी० आई० जी० (हेड क्वार्टर) अच्छे हैं और भी दो तीन अधिकारियों को जानता हूं, बहुत अच्छे हैं। कोई मैं उनकी प्रशस्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से कलम चलती है।

श्री श्याम धर मिश्र—

सही बात नहीं बतायी। मन्त्रि परिषद् गलत है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

कृपा कर व्यवधान न करें। हरिजन उत्पीड़न की समस्या हाउस में और हाउस के बाहर भी व्यक्त होती रहती है। मान्यवर, यह मोटी फाइल है। यह जो मोटी फाइल है, इसमें सारी घटनाओं का जिक्र है। इसको देखने से पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में प्रशासन की तरफ से कमियां हैं। जो एट्रोसिटीं के मामले हैं, उनमें एस० पी० और डी० एम० आदि सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त ससपेंड कर दिया जाय और यदि समस्या गम्भीर नहीं है, तो उनको चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय। जब इस तरह से होगा, तो सारी व्यवस्था ठीक हो जायेगी और इस तरह की घटनायें नहीं होगी।

मायवर, मैं रिफरेंस देना चाहता हूं आयुक्त एवं सचिव श्री पूरन चन्द्र पांडेय द्वारा जारी किये गए २० अप्रैल, १९७२ के जी० ओ० का जिसमें लिखा गया है कि जो अधिकारी इन हरिजनों के आरक्षण को पूरा नहीं करेगा, उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय। इस तरह का उन्होंने जी० ओ० पारित कराया था। उन्होंने उसमें यह भी लिखना आवश्यक समझा था कि प्रमोशन के लिए अधिकारियों को इस तरह का सर्टीफिकेट दिया जाय कि प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिकारी ने निश्चित दर से प्रोन्नति आदि के कोटे को पूरा करने की कोशिश की और शासनादेश को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से अपने दायित्व को निभाया। मान्यवर, यदि इसका कार्यान्वयन हो जाय और इस तरह से जी० ओ० के हिसाब से कार्यवाही हो तो आरक्षण और उत्पीड़न की समस्यायें अपने आप हल हो जांय।

माननीय, हरिजनों की समस्याओं को लेकर अभी जय प्रकाश नारायण जी ने और बाबू जगजीवन राम जी ने आवाहन किया है कि मेनीफेस्टों की फाड़ों करें नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा और लोग विरोध के लिये तैयार हो जायेंगे। यह १३ अगस्त के ब्लिट्ज में है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--(* * *)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग्स का अंग नहीं बनेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--(* * *)

श्री अध्यक्ष--

अब आज विवाद समाप्त किया जाता है। यह कल फिर जारी रहेगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम ५१ में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसमें एक शतरुद्ध प्रकाश जी की है कि कानपुर से उन्नाव की तरफ रेलवे लाइन के पास गंगा नदी का कटाव तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण निकटवर्ती गांवों के जलमग्न होने का भय है। इसको स्वीकार किया गया है।

एक सूचना श्री राम अधार, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राम देव दुबे, श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव, श्री रविन्दर और श्रीमती शारदा देवी द्वारा दी गई है कि हरदोई जिला जेल में दिनांक ३० सितम्बर को प्रातः ९ बजे होम्योपैथिक के छात्रों पर लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप कुछ छात्र घायल हो गये हैं जिनमें तीन छात्रों की हालत गम्भीर हो गई है। इसमें माननीय मन्त्री जी केवल वक्तव्य देंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय, मेरी सूचना को जो नियम ५१ में स्वीकार किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि वहां स्थिति बड़ी खराब हो रही है।

नोट :--[* *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

अब उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है ।

शतरुद्ध प्रकाश की सूचना को नियम ५१ के अन्दर स्वीकार किया है । इसमें है कि रेलवे लाइन के पास गंगा नदी के कटाव के कारण खतरा पैदा हो रहा है । इसमें शीघ्र ही वक्तव्य दिलाने के लिए सिंचाई मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित करें

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इसमें कोई तारीख तय करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

तारीख अभी नहीं । सरकार से मालूम करके तब तारीख निश्चित् होगी । कल तारीख का पता चलेगा मैंने माननीय मंत्री जी को सूचना भेजी है ।

नियम ५१ की सूचनाओं पर निर्णय के समय सम्बन्धित मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने पर आपत्ति

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है व्यवस्था के सम्बन्ध में । जो नियम ५१ में आप स्वीकृति देते हैं तो सूचना सुबह ही आप दे देते हैं सम्बन्धित मंत्री को । सम्बन्धित मंत्री को मालूम हो जाता है जैसा आज सिंचाई मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न है यह प्रश्न उन के सामने चला गया । तो हमारा निवेदन यह है कि केवल संसदीय कार्य मंत्री उनसे बार-बार कहें, उन से समय के लिए पूछें दूसरे दिन, बल्कि मंत्रियों से यह कहें जिनको नोटिस दिये जाते हैं वे स्वयं उस दिन यहां रहें और आप से समय लेकर सदन को सूचना दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह कई दफे मैं सदन के अन्दर निर्देश कर चुका हूं और जिस प्रश्न को मैं स्वीकृत करता हूं उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मंत्रिगण को भेजी जाती है । मंत्रिगण का कर्तव्य है कि वह सदन के सम्मान का ध्यान रखें और सबसे पहली प्राथमिकता वह सदन के कार्य को दें जिस के प्रति वे उत्तरदायी हैं । मंत्रियों का इस तरह के प्रश्न को जानने के बाद सदन में उपस्थित न रहना अत्यन्त अनुचित है । मंत्रियों को सदन में रहना चाहिये (तालियां) ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, २६ तारीख को मने नियम ५१ की सूचना आप को दी थी । आप ने उसे मंजूर भी किया था । राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकार से आप ने ११ तारीख को वक्तव्य देने का निर्देश दिया है । अध्यापकों ने हड़ताल कर दी है । पूरे सूबे में राजकीय विद्यालय बन्द हैं । ११ तारीख से पहले सरकार से वक्तव्य दिलवा दें इसमें विलम्ब हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

११ तारीख को वक्तव्य मंत्री जी देंगे । समय देख कर करना पड़ेगा ।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

श्री अध्यक्ष--- [* * *]

हरिकेवल प्रसाद जी यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा मैंने इसकी अनुमति नहीं दी । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठिये ।

मुरादाबाद एवं फर्रुखाबाद तथा प्रदेश के अन्य जिलों में मलेरिया के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय मैं वक्तव्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक बात आप की जानकारी में लाना चाहता था । मेरे पास दो नोटिस थे एक माननीय रियासत हुसेन साहब का और दूसरा माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी का फर्रुखाबाद के बारे में । चूंकि इसमें एक ही नाम छपा है मैं आप की अनुमति से दोनों जिलों के बारे में पूरा वक्तव्य दे रहा हूं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

मैं भी सहमत हूं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय ताकि सवालात ज्यादा हो सकें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको वक्तव्य मिल गया है अतः इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय और जो वे प्रश्न करें उसका उत्तर माननीय स्वास्थ्य मंत्री दे दें ।

(स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य के लिए देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९३ पर)

श्री रियासत हुसेन---

क्या यह सही है कि जो वर्कर्स मलेरिया इरेडिकेशन में लगे हुए थे उनके जिम्मे दूसरा काम सौंप दिया गया जिससे उनका ध्यान मलेरिया की तरफ से बिलकुल हट गया ?

श्री कल्याण सिंह---

जो अधिकारी एवं मलेरिया के लिए केवल लगाये गये थ उनसे केवल मलेरिया की रोकथाम का ही काम लिया गया, कोई दूसरा काम उनसे नहीं लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन---

जैसा वक्तव्य में बताया गता है कि मलेरिया पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ और उसका दुबारा प्रकोप हो गया है पूरे सूबे में तो इसका कारण यह था कि मलेरिया का विभाग तोड़ दिया गया जिसमें १२ हजार कर्मचारी काम करते थे और

नोट :---[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री रियासत हुसन]

डी० एम० एच० के टूटने से यह काम सी० एम० ओ० के अन्डर में आ गया जिसकी वजह से सारी स्कीम फेल हो गई और मलेरिया को रोकने के लिए कोई दूसरी स्कीम नहीं बनी जिससे उसकी रोक-थाम हो सकती ।

श्री कल्याण सिंह--

मलेरिया की रोक थाम के लिए हाउस विज़िटर्स काम कर रहे हैं । हेल्थ इंस्पेक्टर्स भी काम कर रहे हैं । पी० एच० सी० के अधिकारी स्थान-स्थान पर जाकर निरीक्षण करते हैं । इस सम्बन्ध म स्लाइड्स का काम भी होता है । रेडिकल ट्रीटमेन्ट की भी व्यवस्था हो रही है । इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी रोक-थाम के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

श्री राम अधार (ज़िला आज़मगढ़)--

दारुलशफा के हर कमरे में मलेरिया का प्रकोप है तो वहां क्या व्यवस्था की गई है ?

(हंसी में खो गया)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (ज़िला फर्रुखाबाद)--

जो १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें से ७ में काम चल रहा है तो कौन से ७ हैं ज़िनमें काम चल रहा है और कौन से ७ उपेक्षित हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

संख्या तो दी गई है लेकिन नामों की फेहरिस्त मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को ज़ानकारी है कि गोरखपुर ज़िले में डी० डी० टी० का छिड़काव नहीं हो रहा है और अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और सारी दवाइयां ब्लैक में बिक जाती हैं और इस सम्बन्ध में सिसिया गांव में १२ आदमी पकड़े गये जो फर्जी दवाइयों पर मार्किंग कर रहे थे ? क्या सरकार पूरे मामले की जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूंगा कि वह अधिक विवरण लिख कर दे देंगे तो निश्चित जानकारी कर ली जायगी और जो कमियां हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या माननीय मंत्री जी जो डी० डी० टी० छिड़की जा रही है उसका परीक्षण करायेंगे क्यों कि जो डी० डी० टी० है उससे मच्छर मरने के बजाय खुश होते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

डी० डी० टी० की इफेक्टिवनेस कम हो गई है उनका कहना है ।

श्री कल्याण सिंह--

दो कारण हैं एक तो यह हो सकता है कि डी० डी० टी० की क्वालिटी घट गई हो और दूसरा यह भी हो सकता है कि मच्छरों की रैसिस्टेंश पावर बढ़ती जा रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जैसा कि मन्त्री जी ने डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के छिड़काव की बात कही । इन दोनों से मान्यवर, मच्छर इम्यून हो गये हैं तो क्या अब डी० एल० डी० का छिड़काव करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जो दूसरी औषधि का सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं उसको प्रयोग में लाने के बारे में परीक्षण कराना पड़गा कि कहीं हमारे जन स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्राम गोल, राजेपुर हसेरन, सोरिख में मलेरिया से मौतें नहीं हुई हैं मैं जानना चाहता हूं कि इन गावों म कितने लोग बीमार पड़े है, जहां पर आपने छिड़काव की व्यवस्था की है ? कितने लोगों का यहां पर उपचार किया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जहां के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं वहां पर दवाओं की व्यवस्था के लिए और छिड़काव के लिये १५ हजार रुपये अतिरिक्त स्वीकार किय गये हैं । जहां-जहां पर इस प्रकार की आशंका है वहां पर रोकथाम के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

राजेपुर के बारे में....

श्री अध्यक्ष--

हसेरन, सौरिख उमदा के लिए अलग से १५ हजार रुपये दिये हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

पेज दो में (ख) में लिखा हुआ है कि वर्ष १९७७ में २.५ से ३ करोड़ रुपये कीटनाशक औषधियों के लिये भारत सरकार से अलग से प्राप्त होगी और इसके अलावा १५ लाख रुपया का इन्तजाम प्रदेश सरकार को करना है तो इसका मतलब हुआ कि करीब सवा तीन करोड़ रुपये औषधियों म खर्च होगा । म जानना चाहता हूं कि इसके लिए स्टाफ की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपने यह पढ़ा नहीं उसमें लिखा है, छिड़काव कार्य और मजदूरी की व्यवस्था हेतु ।

श्री श्याम धर मिश्र---

स्टाफ का क्या होगा ?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, औषधियों पर जो कुछ भी खर्च हो रहा है वह सन् १९७६ में जहां छिड़काव के ऊपर १६ लाख और २८ लाख खर्च किया गया था वहां १९७७ में छिड़काव पर ५४ लाख और २९ लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पूरे वक्तव्य में आप देख लें बहुत से उपचार केन्द्र खोले गये हैं जिनके माध्यम से मलेरिया की दवा लोगों को दी जा रही है और स्वाइड्स भी ली जा रही हैं। जो स्वेच्छिक संस्थाये हैं जैसे पंचायत समितियां और विद्यालयों के माध्यम से भी प्रथम उपचार की दवाइयां वितरित की जा रही हैं।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)---

जो रिपोर्ट दी गई है उसमे पृष्ठ २ में वर्ष १९७६ में ३९ लाख रुपये की मलेरिया की दवाओं के लिए खर्च किया गया और १९७७ में १५ लाख रुपये उसके लिए रखा गया है पहले ज्यादा था अब कम कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें इसका उत्तर मौजूद है कि केन्द्रीय सरकार से बहुत बड़ी तादाद में मदद है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद में मलेरिया उत्तर प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है, जिससे मौतें भी हो चुकी हैं ? तो क्या मंत्री जी इस सिलसिले में कोई जरूरी इक्दामात करेंगे और दवाओं का इंतजाम करेंगे और इलाज के सम्बन्ध में जरूरी इक्दामात जारी करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह---

मुरादाबाद में मलेरिया का प्रकोप अधिक है, इसको देखते हुए जो पहले उपचार केन्द्र ४९८ थे, सितम्बर, ७७ में १७७ केन्द्र और स्थापित कर दिए गए हैं।

श्री रघुवर दयाल बर्मा (जिला आगरा)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद और एतमादपुर जहां बाढ़ का ज्यादा प्रकोप था, वहां डी० डी० टी० के छिड़काव की कोई व्यवस्था है ?

श्री कल्याण सिंह---

इसमें फिरोजाबाद का नहीं पूरे प्रदेश का सवाल है। हम सब अधिकारियों को बुलाकर इसकी रोकथाम का प्रबन्ध कर रहे हैं कि इसका प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाए। इसके अलावा जो लोग शिथलता बरतेंगे, उनके खिलाफ हम कार्यवाई भी करेंगे। उपचार केन्द्र नये-नये स्थापित किये जा रहे हैं। हमारे पास दवाओं की कोई कमी नहीं है, ब्लड-टेस्ट कराया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की जा रही है। यह पूरे प्रदेश का सवाल है और मैं तो कहूंगा कि अंन्तरप्रदेशीय भी, अतरदेशीय भी साथ में है।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वह इलाहाबाद के नैनी केन्द्रीय कारागार में जब बन्द थे, वहां पर कितने ज्यादा मलेरिया के मच्छर थे, किन्तु इलाहाबाद में मलेरिया की दवाओं का छिड़काव बन्द हो गया है, क्या यह उनको मालूम है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया जहां-जहां से भी ये सूचनाएं मिल रही हैं हम स्वयं सर्वेक्षण करा रहे हैं। जहां जहां प्रकोप है, प्रभावी ढंग से उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

बाबा राम अधार यादव--

आप यह बतायें कि जब आप विरुद्ध थे वहां, तब से मलेरिया का प्रभाव बढ़ गया है, यह जानकारी है आपको ?

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मैं स्वस्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वक्तव्य में 'मलेरिया औषधि का वितरण' शीर्षक में लिखा है कि इस वर्ष मलेरिया निरोधक औषधियों का वितरण स्वेच्छिक संस्थानों एवं व्यक्तियों जैसे पंचायतों, स्कूल अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवकों, महिला संस्थाओं, समाज सेवकों द्वारा किया जा रहा है, तो मुझे यह सूचना मिली है कि ऐसे व्यक्तियों ने दवाओं का वितरण केवल अपने परिवार वालों के बीच में किया है। अतः क्या मंत्री जी अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनसे अब दवाएं न बंटवाकर चिकित्सालय के ही विभिन्न कर्मचारियों से बंटवाएं ?

श्री कल्याण सिंह--

सामान्यतः मेरे पास ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं, स्थान विशेष की शिकायत आएगी तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और आवश्यक व्यवस्था कराई जायेगी।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

आपके वक्तव्य मे दिया है कि चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य संस्थाओं, जहां माइक्रो स्कोप की सुविधा है, में इस वर्ष मलेरिया क्लीनिक स्थापित की गई है, तो जहां नहीं है वहां के रोगी का रक्त लेकर उन स्थानों पर भेजने की क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री कल्याण सिंह--

जिन उपचार केन्द्रों पर इनकी व्यवस्था नहीं है, पी० एच० सी० पर व्यवस्था है। वहां उनका होता है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अन्य देशों में प्रकोप का प्रभाव इस देश पर न पड़े तो क्या नेपाल से जुड़े हुए इलाके में इसकी रोक-थाम की विशेष व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे चुके ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय चिकित्सा मंत्री मेरी सूचना को सही मान कर कि बाराबंकी जिले में घाघरा और गोमती नदियों के किनारे ग्रामीण अंचलों में मलेरिया का भीषण प्रकोप है, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी को दी जा चुकी है लेकिन अभी तक उसके लिए उपचार की व्यवस्था नहीं की गई है, क्या वहां उपचार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, इसके आधार पर जांच करायी जायगी और व्यवस्था की जायगी ।

श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)—

मैं जानना चाहता हूं कि नाश करने वाली औषधि किसी आयुर्वेदिक पद्धति से भी तलाश की है या नहीं क्योंकि आयुर्वेदिक में भी इस प्रकार की औषधियां हैं, मेरे अनुभव की बात है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपनी औषधि स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, प्रयोगशाला में भेज दें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

विगत वर्षों में जब मलेरिया उन्मूलन का अभियान चल रहा था तो जगह-जगह लिखा हुआ था कि मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं तो इस बार प्रयत्न करेंगे कि मच्छर और मलेरिया दोनों न रहें ?

श्री कल्याण सिंह—

हमारा प्रयास यह है कि मलेरिया निश्चित न रहे, मच्छर भले ही रह जायं ।

श्री रियासत हुसेन—

क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हुए कि कालाजार की बीमारी का सम्बन्ध कुछ न कुछ मच्छर से है, और वह बिहार और यू० पी० के बार्डर पर आ चुका है, यह चीज सामने रखते हुए जिन डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स मलेरिया की, १९६५ में तोड़ दिया गया, उनको दोबारा स्थापित करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अगर इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद समाप्त हुआ । (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के खड़े होने पर) समय का ध्यान रखते हुए, आप बैठिए ।

पन्नी जी शुगर मिल बुलन्दशहर में रिसीवर की नियुक्ति के विषय में २६ सितम्बर, १९७७ के तारांकित प्रश्न १२ व १३ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में रिसीवर की नियुक्ति के सम्बन्ध में आध घंटे की चर्चा का समय दिया।

१९६९ में पन्नी जी शुगर मिल रिसीवर के हाथ में सौंपी गयी। मिल मालिकों से जब मिल ली गयी थी उस समय लगभग ४० लाख रुपया इस मिल पर बकाया था इस समय जब से रिसीवर नियुक्त हुआ १ करोड़ ६० लाख ५६ हजार रुपया मिल पर कर्जा है, और यह कर्जा भी सही इस माने में नहीं दिखाया गया, किसानों का ३० लाख का बकाया है, उसका सूद उसमें नहीं जोड़ा गया। इसके साथ-साथ केन यूनियन और गन्ना परिषद् इनका जो रुपया कटता है इसका भी देनदारी में जिक्र नहीं है। इस प्रकार से यह कर्जा इस मिल पर एक करोड़ रुपये के लगभग हो जाता है। यह बात ठीक है कि मौजूदा मंत्री का इसमें दोष नहीं है।

हमारे कांग्रेसी मंत्री जिन्होंने देश का राज्य ३० साल चलाया उनके जमाने में रिसीवर नियुक्त किए गये और वही कार्य कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने रिसीवर और नये रिसीवर के जमाने में देनदारी में क्या फर्क है। अगर पिछले रिसीवर के मुकाबले में अब ज्यादा देनदारी हो गयी है तो इससे साफ जाहिर है कि यह रिसीवर मिल को चलाने में सक्षम नहीं है और मिल का कर्जा और बढ़ जायेगा। इस सिलसिले में प्रत्येक रिसीवर के जमाने का ब्योरा आना चाहिए था कि किस रिसीवर के समय में कितनी देनदारी थी। पहले कितना नुकसान था और अब कितना नुकसान हो रहा है। इस विवरण से यह मालूम हो जाता कि मिल की दशा सुधर रही है अथवा बिगड़ रही है। इसकी भी जानकारी हो जाती। जहां तक हमारी जानकारी है जो मिल में लकड़ी खरीदी जाती है उसमें बहुत घपला किया जाता है। गीली लड़की खरीद ली जाती है और जब वह सूख जाती है तो नुकसान होता है। १०० क्विन्टल में कितनी लकड़ी लगायी जानी चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अधिक लकड़ी लगा दी जाती है जिससे नुकसान होता है। गन्ना कितने प्रतिशत सूख जाता है इसका भी हिसाब होना चाहिए। स्टोर कन्जम्पशन का भी विवरण रखना चाहिए था कि जब मिल सेठ के हाथ में थी तब स्टोर कन्जम्पशन की स्थिति यह थी और जब से रिसीवर नियुक्त हुआ है तब से स्थिति यह हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सबके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी जाये, लेकिन उसमें अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए। यह नहीं है कि किसी अधिकारी को रख दिया या किसी जन प्रतिनिधि को रख दिया। इससे जो उद्देश्य है वह पूरा होने वाला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

बेनी प्रसाद माधव जी इस पर केवल आधे घंटे का विवाद है। ५ मिनट आपको हो चुके हैं । संक्षेप में होना चाहिए । बहुत से सदस्यों को बोलना है । अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री बेनी प्रसाद माधव—

तो मेरी यह निश्चित राय है कि मौजूदा रिसीवर और पहली की स्थिति की तुलना की जाए और यह देखा जाये कि मिल घाटे की ओर जा रही है अथवा फायदे की ओर बढ़ रही है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों का उत्तर अपने भाषण में अवश्य देंगे ।

*गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्द शहर में रिसीवर की नियुक्ति के विषय में चर्चा के लिये समय दिया गया । यह सही है कि जिस वक्त यह मिल टेकओवर की गई थी, करीब चालिस लाख रुपये की देनदारी उस पर थी और इस समय इसकी देनदारी की कुल रकम १६३ लाख ५६ हजार रुपये है तथा किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि २२ लाख ६६ हजार रुपये है । जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो स्थिति है, वह पिछली सरकार द्वारा पैदा की हुई है । यह सही है और इसके कारण इतनी देनदारी की राशि अभी बाकी पड़ी है ।

जहां तक रिसीवरों की नियुक्ति का प्रश्न है, वह भी एक कारण है और उसमें ९ या १० कारण हैं जिनकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूं ।

अब सवाल यह आता है कि गन्ने की कीमत किसानों को किस प्रकार से दी जाये ? क्योंकि माननीय सदस्य इस प्रश्न में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं । इसके लिए मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि जो स्थिति इस वक्त चल रही है, इस मिल में ५८,६२५ टन चीनी का स्टाक है और उस पर इतना ओवरड्राफ्ट है कि उसके साथ कुछ रुपया भी देनदारी गन्ने के लिये नहीं दिया जा सकता । लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि आगामी पेराई के सीजन में मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगी कि करेंट सीजन के साथ-साथ किसानों का जो पिछला बकाया का भुगतान है उसको अवश्य दिया जायेगा और इसके लिए मैं आप सब लोगों के सहयोग और सद्भावनाओं की अपेक्षा करती हूं । मैं पुनः यह कहना चाहती हूं कि किसानों की जितनी बकाया रकम है, वह उन्हें दी जायेगी ।

जहां तक पी० सी० एस० आफिसरों का सवाल है यह सही है कि इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन उतना सक्षम नहीं है, इस ओर मैंने और भी व्यवस्थायें की हैं । इन लोगों को हटाया गया है और दूसरे यह कि डिपार्टमेन्ट के अच्छे, ईमानदार और तकनीकी कर्मचारी हैं, उनकी व्यवस्था मैंने कई मिलों में की है क्योंकि अच्छे आदमी मैं अब तक ढूंढ़ नहीं पाई हूं इसलिए व्यवस्था नहीं कर पाई हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये वह एक तो यह कि पहले रिसीवरों के जमाने में कितना कर्जा चढ़ा और इस समय के रिसीवर के जमाने में कितना चढ़ा है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा सवाल यह है कि जिस वक्त गन्ने की पेराई से चीनी बनती थी, उसकी कीमत पहले क्या थी और अब क्या है ?

तीसरा सवाल यह है कि पहले जो देनदारी की रकम थी, वह कितनी ह और अब कितनी है ?

इन सवालों को माननीय सदस्य ने पूछा है तो आप उनका उत्तर देने का कष्ट कीजिये ।

श्रीमती चन्द्रावती--

जिस वक्त यह मिल सरकार द्वारा ली गई थी, उक्त गन्ने की पेराई की कीमत १९६८-६९ में ७.६३ थी, १९६९-७० में ८.६० और इस वक्त गन्ने की परती की जो रिकवरी है वह ८.९७ ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने रिकवरी बताई है । आप यह बतायें कि एक क्विन्टल चीनी बनाने में पहले कितनी कीमत आती थी और अब कितनी आती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि पहले रिसीवर के समय में कितना नुकसान हुआ और इस रिसीवर के समय में कितना नुकसान हुआ है । तीसरा प्रश्न है कि पहले इन्वेन्ट्री कितनी होती थी और अब कितनी होती है । इन प्रश्नों का जो माननीय सदस्य ने किए हैं उत्तर दे दीजिए ?

श्री तेज सिंह (गन्ना विकास उप मंत्री)--

मान्यवर, लौस हुआ है ४४.६६ लाख रुपये का । उससे पहले जो रिसीवर था उनके जमाने में २२.५५ लाख रुपये का नुकसान हुआ था । इनके जमाने में ६०.०० लाख रुपये का नुकसान हुआ है ।

यह फैक्ट्री वर्ष १९७० में ली गई थी । तब से इसमें ८ रिसीवर बदले गये हैं जिनमें से ४ रिसीवर्स लगभग २/२ सीजन मिले और एक को एक सीजन मिला । पहले २२ लाख ५५ हजार रुपये का नुकसान हुआ । वर्ष १९७४-७५ में ४४ लाख ६६ हजार रुपये का और फिर ६० लाख का नुकसान हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो रिसीवर रखे गये हैं, उनमें से किसी के समय में कोई मुनाफा भी हुआ है या नहीं ?

श्री तेज सिंह--

वर्ष १९७०-७१ में जो रिसीवर था उसके समय में ३.५६ लाख रुपये का और १९७२-७३ में जो रिसीवर रहा है उसके समय ६.९८ लाख रुपये का लाभ हुआ है । यह फैक्ट्री वर्ष १९५४-५५ में लगायी गई थी । उसका प्लान्ट पहले जीव में चला था ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी पहले उत्तर तो दे दीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय, इनके उत्तर का कोई मतलब ही नहीं है ।

श्री तेज सिंह—

इस समय बोरा की कीमत २४६ रुपया प्रति बोरा आती है । सेठ जी के जमाने में क्या कीमत आती थी, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इसमें बहुत घपले हैं जैसे किसानों की जो गन्ना विकास समितियां थीं, उनका जो बकाया कटना था वह नहीं कटा । इसके अलावा जो-जो कटौती होती थी वह नहीं दिखाई गई । इसके अतिरिक्त किसानों का जो सूद का रुपया आता है वह इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं ?

श्री तेज सिंह—

इसमें गन्ना मिल का है २२.६६....।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गन्ना विकास मंत्री, आप सुनिये । उनका प्रश्न यह है कि गन्ने कीमत में जो गन्ना अधिनियम है उसके मुताबिक जो ब्याज देना चाहिए क्या वह जोड़ा गया है या नहीं ?

श्री तेज सिंह—

ब्याज उसमें जोड़ा गया है । सरकारी ऋण भी और ब्याज भी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

एक बुनियादी सवाल के विषय में जानना चाहता हूं । शासन की रीति है भारी उद्योग को हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कायम करेंगे, लेकिन जो सवाल आया है इसके पहले सभी बराबर आता है, जितनी कारपोरेशन फैक्टरियां हैं रिसीवरशिप फैक्टरी, कोआपरेटिव फैक्टरियां सब घाटे में जा रही हैं । तो मंत्री जी इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं नम्बर १ । नम्बर दो.... ।

श्री अध्यक्ष—

भूल जायेंगे, एक ही हने दीजिये ।

श्री तेज सिंह—

माननीय सदस्य का कहना सही है । जितनी रिसीवर हैं लगभग सभी घाटे में चल रही हैं और निगम की फैक्टरियां भी घाटे में हैं । अब लाभ का कारण क्या है ? फैक्टरी उस वक्त ली गई है जिस वक्त फैक्टरी के सेठ में चलाने की क्षमता नहीं दिखाई पड़ी और सरकार ने सोचा कि इसको चलाना जरूरी है और चूंकि उससे अगले गन्ने की पेराई करानी है । उसमें जो पैसा लगाया है वह उतना नहीं सरकार लगा सकी कि उसका रीकंडीशनिंग करके उसको लाभ में चलाया जा सके । चूंकि सभी सेठ जो मिल मालिक हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और वह अपनी फैक्टरी को अपनाने की बात करते हैं इसलिये वह भी एक कारण है ।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षित नहीं किया ।

पत्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में रिसीवर की नियुक्ति के विषय में २७ २८३ सितम्बर, १९७३ के तारांकित प्रश्न १२ व १३ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो इस मौजूदा रिसीवर ने २२ लाख से अधिक घाटा दिखा दिया है उसके मुख्य-मुख्य क्या कारण हैं ? किस-किस आइटम से अधिक खर्चा किया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जो घाटे की स्थिति है वह पहले भी बतायी गयी है, उसके ९-१० कारण हैं । एक तो वेतन की वृद्धि, ब्याज की वृद्धि, चीनी के उत्पादन की लागत कम लेना, कुछ स्टोर के सामान की दरों में वृद्धि, बैंकों के रेट की वृद्धि ऐसे ९-१० कारण हैं । और १९७३-७४ में पायरिला का प्रकोप हुआ जिसके कारण ४० लाख के करीब घाटा आया । तो इन कारणों से ऐसा होना ही है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जिस रिसीवर को जो इस समय मौजूद है उसको जिम्मेदारी करीब ६० लाख के दीवालियापन की है तो फिर आगे भी वह मजदूर और गन्ना किसानों का नुकसान न करे, इस बात को देखते हुए तत्काल उसे हटाये जाने की घोषणा करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं प्रयत्नशील हूं और ईमानदार और अच्छा आदमी मिलने पर तुरन्त हटा दिया जायगा, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मंत्री जी ने कहा कि पिछले दिनों में पाइरेला अधिक था । दूसरी तरफ उनका कहना है कि रिकवरी बढ़ रही है, सेठ जी के जमाने में ८ परसेन्ट थी अब लगा ९ परसेन्ट हो गया । तो इन दोनों में से उनकी कौन सी बात सही है । और क्या यह बात सही है कि ४ पैन की जगह ६ पैन चलाये गये इसलिये रिकवरी बढ़ी और उसमें गड़बड़ घोटाला किया गया, क्या इसकी जांच वह करायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

अगर माननीय सदस्य की यह इच्छा है तो मैं इसकी जरूर जांच कराऊंगी ।

श्री रियासत हुसेन--

आने वाले क्रशिंग सीजन में तीन देनदारियां हो गयीं, एक आने वाला गन्ना जो लोग देंगे, दूसरे बकाया है और तीसरे जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है । तो क्या माननीय मंत्री जी ने कोई ब्लू प्रिन्ट ऐसा बनाया है जिससे ये तीनों देनदारियां अदा की जा सकें ? यदि हां, तो क्या उसको सामने रखेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

उसके लिये कार्य कर रहे हैं । ब्लू प्रिन्ट बताने के लिये अभी समय नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

माननीय मंत्री जी ने ९ कारण बताये लास के तो क्या बेज बोर्ड द्वारा तनख्वाह दूसरी मिलों में नहीं बढ़ायी गयी थी केवल बुलन्दशहर में ही बढ़ायी गयी थी ?

श्री तेज सिंह--

मैंने अभी बताया कि सारी रिसीवर फैक्टरियों की यह हालत है । कोई भी रिसीवर फैक्टरी लाभ में नहीं जा रही है । इसके लिये एक कमेटी बनाने की व्यवस्था की गयी है कि सभी फैक्टरियों की जांच करायी जाय और जो निकलेगा उसके बाद उसका इन्तजाम किया जायगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

यह खाली पन्नी मिल की बात नहीं है बल्कि प्रदेश की हर चीनी मिल और हर गन्ना किसान की बात है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से गोदामों में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया गेहूं खरीद कर रख लेता है उसी तरह से शुगर कारपोरेशन को यह आदेश देंगी कि जितनी शकर मिलों में बनायी जाय उसको अपने गोदाम में रख लिया करें और पेमेन्ट कर दिया करें ।

श्री अध्यक्ष--

यह ग्राम प्रश्न है । प्रश्न सीमित रहना चाहिये बुलन्दशहर तक । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री हिम्मत सिंह--

५६, ६२५ बोरे जो बताये हैं उसमें प्रति बोरा किस-किस मद में कितना-कितना खर्च किया जायगा ?

श्री तेज सिंह--

उसमें किसान को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

शासन ने अभी साढ़े ३ करोड़ रुपया मिलों को चलाने के लिये दिये हैं । मेरी जानकारी है कि जहां भी पैसा दिया है अगर ५-७-१० लाख रुपये और नहीं दिये जायेंगे तो यह साढ़े तीन करोड़ रुपया भी डूब जायगा । तो इस बात को मस्तिष्क में रखते हुये क्या मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगी कि मिलें चलें और इसके लिये जो थोड़े बहुत और रुपये की आवश्यकता है उसको देंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, मैं यथाशक्ति प्रयत्न कर रही हूं, जितनी भी रुपये की व्यवस्था हो सकेगी, की जायगी । लेकिन व्यवस्था में साढ़े तीन करोड़ रुपया ही हो सका है, उसके अन्दर ही मिल चालू कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री बेनी प्रसाद माधव, आपने यह प्रश्न उपस्थित किया था । अन्त में आप इसका उपसंहार कीजिए जो आपको कहना है, उसके बाद में माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है । आप दो मिनट में समाप्त कीजिए । ६ बजकर १५ मिनट पर यह विवाद समाप्त हो जायगा । दो मिनट में आप समाप्त कीजिए । उसके बाद अन्त में जवाब माननीय गन्ना विकास मंत्री जी देंगी ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न करने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या वास्ता ?

श्री बेनी प्रसाद माधव—

मान्यवर, मुझे इस बात से खुशी है कि माननीया मंत्री महोदया पूरी ताकत के साथ इस मिल को चलाने की कोशिश करेंगी और साथ ही उन्होंने वादा किया है कि किसानों का पैसा जल्दी से जल्दी उनको बटवा देंगी और उसके साथ-साथ जो मौजूदा रिसीवर है, उसको भी तुरन्त हटाने का आश्वासन दिया है और इस मिल की जांच किसी एक्सपर्ट कमेटी से कराने की जो बात कही है, मैं उनके इस उत्तर से संतुष्ट हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कलंक कांग्रेसी सरकार ने रिसीवर नियुक्त करके लिया था, उसको अपने कार्यकाल मे इसी सीजन मे धो कर इस शासन का भविष्य उज्जवल बनायेंगी ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, म इस बात की तथाशक्ति कोशिश कर रही हूं कि प्रदेश में जितनी भी ऐसी मिलें हैं जो घाटे में चल रही हैं, उनकी सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था हो और वे अच्छी तरह से चलें, कोई भी मिल बन्द न हों, किसानों को नुकसान न हो, इस पर जो भी उचित कदम होगा, मैं पीछे नहीं रहूंगी । उसमें मैं यह कोशिश कर रही हूं कि किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य दिया जाय, अगर इस सीजन में नहीं तो जो सीजन आने वाला है, उसमें कोशिश करूंगी । माननीय सदस्य की मैं भावनाओं की कद्र करती हूं और उनसे मैं इस बात का सहयोग भी लेना चाहती हूं कि जहां पर भी क्षेत्रों में मिल हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरे से आकर कहेंगे तो मैं उसको सुनूंगी और व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी और जांच कराऊंगी । एक व्यवस्था मैंने और की है, कि जहां पर रिसीवर द्वारा चलाई जा रही हैं उनके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बना दी गयी है मैनेजमेन्ट के लिए जिसकी महीने भर की रिपोर्ट जो वहां कार्यप्रणाली होगी, वह मेरे पास आया करेगी । एक और कमेटी टेक्निशियन्स की बना रही हूं जो पूरे जिले की मिलों को देख करके कि किस चीज की कमी आ रही है, उसकी मुझे सूचना दिया करेगी । बहुत सी चीजें होंगी जिनकी व्यवस्था धनाभाव के कारण नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर अच्छी व्यवस्था गयी तो उसके अन्दर जो सुधार हो सकेंगे, वह किये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल फिर ११ बजे

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मि के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया)

शनिवार, ७ अक्तूबर, १९७७

लखनऊ :
६ अक्तूबर, १९७७ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ. संख्या १७१ पर]

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पैरा मेडिकल वर्कर्स की नियुक्ति हेतु जनवरी, १९७४ से १५ जुलाई, १९७७ के बीच, प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम-संख्या	सेवायोजन कार्यालय का नाम	अप्रैल, १५-१६, १९७५		२५ मई, १९७६		१७ नवम्बर, १९७६		१७ जून, १९७७	
		प्राप्त संख्या	चयनित संख्या	प्राप्त संख्या	चयनित संख्या	प्राप्त संख्या	चयनित संख्या	प्राप्त संख्या	चयनित संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	आजमगढ़	८	५	..	..	५	५	१५	११
२	आगरा	८	१	१०	७	४	४	..	..
३	अलीगढ़	६	..	..	..	..	..	१०	१०
४	बाराबंकी	१५	१३	१३	८	१०	९	१०	७
५	बुलन्दशहर	८	१	..	..	..	..	१	..
६	बलिया	११	५	१०	९	..	..	१०	१०
७	इटावा	८	५	..	..	५	३	१०	१०
८	गोरखपुर	८	३	९	९	५	५	१०	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
९	फैजाबाद	८	५	..	..	..	..	४	३
१०	फतेहपुर	८	२	१	१	४	४	..	..
११	खीरी	८	४	..	..	५	४	१०	६
१२	मुरादाबाद	५	३	९	५	..	..	९	३
१३	रामपुर	२	२	८	३	..	..	..	..
१४	हमीरपुर	८	२	१०	९	..	..	९	८
१५	नैनीताल	८	१	..	..	..	..	१५	७
१६	सीतापुर	८	४	..	..	५	५	९	८
१७	रायबरेली	११	७	६	५	..	..	१२	१०
१८	वाराणसी	७	६	७	५	५	५	१०	९
१९	सहारनपुर	१	..	..	..	..	..	१०	५
२०	जौनपुर	८	५	१०	१०	५	२	१०	८
२१	शाहजहांपुर	८	३	७	७	१	१	१०	४
२२	टेहरी गढ़वाल	८	..	२	१	..	..	..	..
२३	मिर्जापुर	४	२	८	८	..	..	१०	४
२४	मुजफ्फरनगर	१०	६	..	..	..	..	१०	५
२५	बस्ती	२६	२०	१०	९	१२	१०	२९	१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२६	गाजीपुर	८	४	१०	६	५	४	१०	७
२७	कानपुर	६	३	..	..	..	..	७	४
२८	गोन्डा	१०	४	१०	१०	५	४	८	८
२९	मैनपुरी	१	१	१०	७	५	३	१३	१
३०	मथुरा	४	२	..	..	५	४	९	६
३१	लखनऊ	३२	२०	९०	४१	१२	९	१३	६
३२	झांसी	७	१	७	३	..	..	..	..
३३	बरेली	८	३	७	३	२	२	१०	४
३४	चमोली	८	..	..	..	..	..	२	१
३५	इलाहाबाद	८	१	८	६	..	..	..	..
३६	एटा	५	१	१०	६	..	..	..	..
३७	बदायूं	८	..	..	..	..	..	..	..
३८	हरदोई	७	..	८	६	..	..	१०	५
३९	बहराइच	८	२	१०	६	५	३	१०	७
४०	प्रतापगढ़	५	१	७	६	५	४	८	७
४१	सुलतानपुर	६	२	..	..	..	..	१०	१०
४२	फतेहगढ़	२	..	..	..	५	३	४	४
४३	बांदा	४	४	..	..	..	..	१०	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४४	देवरिया	..	..	१०	८	१०	१०	२१	१७
४५	उरई	..	..	..	..	..	..	१०	३
४६	उत्तरकाशी	..	..	..	..	..	..	..	..
४७	अलमोड़ा	..	..	..	..	५	३	९	३
४८	मेरठ	..	..	७	५	..	..	८	४
४९	बिजनौर	..	..	२	१	..	..	८	८
५०	पीलीभीत	..	..	५	५	..	..	१०	८
५१	उन्नाव	..	..	..	..	५	४	१०	६
५२	देहरादून	..	..	..	..	..	..	..	..
५३	मुगलसराय	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	३५३	१५६	३२२	२१९	१३५	११०	४२३	२८७
	कुल योग ..								१२३३
	चयनित ..								७७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

सूची

(प्रदेश के उन प्रतिष्ठानों के नाम जिन्होंने अन्तरिम सहायता लागू नहीं की है)

नाम—

१—गाण्डीव, हिन्दी दैनिक, बाराणसी

२—ज्ञान मण्डल लि०, वाराणसी

३—जनवार्ता प्रकाशन, प्रा० लि०, वाराणसी

४—कौमी मोर्चा, उर्दू दैनिक, वाराणसी

५—सन्मार्ग, हिन्दी दैनिक, वाराणसी

६—जयदेश, हिन्दी दैनिक, वाराणसी

७—संसार (द्वि-साप्ताहिक), वाराणसी

८—आजाद, उर्दू दैनिक, वाराणसी

९—दैनिक आज, कानपुर

१०—दैनिक विश्वमित्र, कानपुर

११—दैनिक जागरण, कानपुर

१२—सियासत, कानपुर

१३—दैनिक मध्यदेश, झांसी

१४—दैनिक विश्व मानव, बरेली

१५—दैनिक जागरण, गोरखपुर

१६—हिन्दी दैनिक, गोरखपुर

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०४ पर)

जिला पिथौरागढ़ में भूस्खलन में हुई क्षति का विवरण

क्रम-संख्या	ग्राम सभा/ग्राम तोको का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	नष्ट हुए भवनों की संख्या	क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	नष्ट कृषित भूमि (नालों में)	विशेष विवरण
१	पलपला	९	५२	३	२८	७६५	
२	खेला (ग्राम सभा खेला जिसमें तवाघाट शामिल है)	३५	८	२ भवन २२ टीन स्ट्रक्चर	१९	१८४	
३	बेती (तोक ग्राम खेला)	..	..	..	..	३२	
४	आला व सिसना (ग्राम सभा खेला के तोक)	..	..	१	१५	२८	
५	गसोला व धरा (ग्राम सभा स्यांकुरी के तोक)	..	..	..	२	७९	
६	कौलिया (ग्राम सभा जुम्मा तथा स्यांकुरी का तोक)	..	..	..	१६	३३३	
७	लालीगाड़ा-एकला (ग्राम सभा जुम्मा के तोक)	..	..	१	..	४१	
८	गगुंवा	..	१६	३	..	१५३	
	योग ..	४४	७६	३२	८०	१६१५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७३ पर)

प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप (विशेषकर मुरादाबाद एवं फर्रुखाबाद जनपदों में) विषयक माननीय श्री रियाकत हुसैन तथा श्री ब्रह्मदत्त द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य

[निम्नलिखित वक्तव्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पढ़ा हुआ माना गया]

अध्यक्ष महोदय,

यह बात सर्वथा स्वीकार करने योग्य है कि राज्य में इस समय मलेरिया का प्रकोप है। वास्तव में मलेरिया का प्रकोप केवल उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि देश के अन्य अधिकांश स्थानों में भी है। पिछले दो-तीन वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से विदित होगा कि राज्य में मलेरिया की स्थिति में कुछ सीमा तक स्थिरता आई कही जा सकती है परन्तु उसके प्रकोप पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है :—

वर्ष	एकत्र की गई रक्त पट्टिकाओं की संख्या	मलेरिया धनात्मक केसेज की संख्या	दिए गए मूल उपचार की संख्या
	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)
१९७५	६५.३६	३.८१	३.३४
१९७६	५६.९५	३.३७	२.९२
१९७७ (अगस्त तक)	३९.६०	२.३३	१.६६

(वर्ष १९७६ में अगस्त तक ३५.४३ लाख रक्त पट्टिकाएं एकत्र की गई थीं और उनमें से २.१५ लाख केसेज धनात्मक पाये गये थे, जिनमें से १.५८ लाख को मूल उपचार दिया गया।)

कीटनाशक दवाओं का छिड़काव—

जिन बेसिक हेल्थ वर्कर/गृहदर्शक के क्षेत्र में १९७६ में एक हजार जनसंख्या पर दो या अधिक मलेरिया केस हुए थे उन क्षेत्रों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाना होता है। इस आधार पर वर्ष १९७६ में प्रभावित ५० जनपदों में २८८ लाख जनसंख्या के क्षेत्रों में डी० डी० टी०/बी० एच० सी० के क्रमशः दो या तीन चक्र का छिड़काव कराया जा रहा है। डी० डी० टी० का पहला चक्र तथा बी० एच० सी० के दो चक्र पूरे हो गए हैं। अंतिम चक्र में छिड़काव

कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में, जो कीटनाशक दवा के छिड़काव की परिधि में नहीं आते हैं, मलेरिया के केसेज पाये जाने पर फोकल छिड़काव कराया जा रहा है । मलेरिया के प्रकोप पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतया जागरूक है और इस कारण अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :—

वर्ष १९७६		वर्ष १९७७	
(क) ३९ लाख रु०	(कीटनाशक दवाओं तथा मलेरिया औषधियों के क्रय हेतु)	(क) १५ लाख रु०	(कीटनाशक दवाओं तथा मलेरिया औषधियों के क्रय हेतु)
(ख) १६ लाख रु०	(छिड़काव कार्य की मजदूरी की व्यवस्था हेतु)	(ख) २.५ से ३ करोड़	की अनुमानित लागत की कीट-नाशक औषधियों की भारत सरकार से निःशुल्क प्राप्ति ।
(ग) २८ लाख रु०	(केन्द्रीय सरकार की ओर से छिड़काव कार्य की मजदूरी की व्यवस्था हेतु)	(ग) ५४ लाख रु०	राज्य सरकार की ओर से छिड़काव कार्य की मजदूरी की व्यवस्था हेतु)
		(घ) २९ लाख रु०	(केन्द्र सरकार की ओर से छिड़काव कार्य की मजदूरी हेतु)

डी० डी० टी०/बी० एच० सी० का छिड़काव माह, मई, १९७७ से प्रारम्भ किया गया है और आशा है कि १५-१०-७७ तक डी० डी० टी० के दो तथा बी० एच० सी० के तीन चक्रों का छिड़काव कार्य पूरा हो जायेगा । छिड़काव के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवा जिलों में उपलब्ध है ।

मलेरिया औषधि का वितरण :

वर्ष १९७६ तक की कार्य प्रणाली में मलेरिया निरोधक औषधि का वितरण केवल मलेरिया कार्यकर्त्ताओं, चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से किया जाता था । इस वर्ष मलेरिया निरोधक औषधियों का वितरण स्वैच्छिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों जैसे पंचायतों, स्कूल अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवकों, महिला संस्थाओं, समाज सेवकों द्वारा (ज्वर उपचार केन्द्रों के माध्यम से) किया जा रहा है ताकि कोई ज्वर पीड़ित उपचार से वंचित न रहे । वर्ष १९७७ में अगस्त तक इस प्रकार के २५,२१५ ज्वर उपचार केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनके माध्यम से अगस्त, १९७७ तक २.१५ लाख ज्वर पीड़ितों का उपचार किया जा चुका है

और ५५,०८६ रक्त पट्टिकाएं बनाई गई है। इन ज्वर उपचार केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर मलेरिया निरोधक औषधि की पूर्ति की जाती है ।

मलेरिया क्लीनिक :

चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य संस्थाओं, जहां माइक्रोस्कोप की सुविधा है, में इस वर्ष मलेरिया क्लीनिक स्थापित की गई है । इन क्लीनिकों में ज्वर पीड़ितों के आने पर उनकी रक्त पट्टिका बनाकर जांच की जाती है और यदि जांच में उनके रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाए जाते हैं तो उसका मूल उपचार तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाता है और ५ दिनों तक दिया जाता है । प्रदेश में अगस्त तक ११३५ मलेरिया क्लीनिक स्थापित की गई हैं । इन क्लीनिकों में अगस्त, १९७७ तक १.६२ लाख रक्त पट्टिकायें बनाई गई हैं जिनमें से ३२,६०३ धनात्मक केसेज पाए गए हैं और १६,०१९ केसेज को मूल उपचार दिया गया है ।

मलेरिया कार्यक्रम का प्रचार :

मलेरिया की रोकथाम के प्रचार के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रचार सामग्री भारत सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है । प्रचार एवं वितरण उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से जिलों में कराया जा रहा है । जनपदों में मलेरिया की रोकथाम के सम्बन्ध में सिनेमाघरों में स्लाइड्स भी दिखाई जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद में मलेरिया की स्थिति

छिड़काव कार्यक्रम :

जनपद मुरादाबाद में १९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें से १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ४६ बेसिक हेल्थ वर्कर/गृहदर्शक के क्षेत्रों में डी० डी० टी० का छिड़काव दो चक्रों में कराया जा रहा है । छिड़काव का पहला चक्र पूरा हो गया है और दूसरा चक्र चल रहा है । दूसरे चक्र के लिए कीटनाशक दवा पर्याप्त मात्रा में जिले में उपलब्ध है । छिड़काव के लिए मई तथा अगस्त, १९७७ में कुल १.७० लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है ।

मलेरिया का प्रकोप :

वर्ष १९७७ (अगस्त तक) में जिले के १९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ४९८ ज्वर उपचार केन्द्रों तथा १४ मलेरिया क्लीनिकों में १.२५ लाख ज्वर पीड़ितों की रक्त पट्टिकाएं बनाई गई जिनमें से ५२०९ केसेज धनात्मक पाए गए और इनमें से ३.९६९ (७६ प्रतिशत) केसेज को ५ दिनों का मूल उपचार दिया गया है । पिछले वर्ष १९७६ (अगस्त तक) ९०,९४३ ज्वर पीड़ितों की रक्त पटिटकाएं बनाई गई थी और उनमें से ३,३४४ धनात्मक पाए गए थे । इनमें से २७९४ को मूल उपचार दिया गया ।

मलेरिया निरोधक औषधि की पूर्ति :

प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद मुरादाबाद को १५-९-७७ तक ८.७९ लाख क्लोरोक्वीन की गोलियां प्राप्त हो चुकी हैं और उनमें से ६.७९ लाख गोलियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तथा वहां से ३.३७ लाख गोलियां मरीजों को

वितरित कर दी गई हैं। इससे जिला मुख्यालय पर इस समय दो लाख क्लोरोक्वीन की गोलियां उपलब्ध है। इससे विदित होता है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में मलेरिया निरोधक औषधि स्टाक में उपलब्ध हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ज्वर पीड़ितों के उपचार के लिए दवा की कमी नहीं है।

मुरादाबाद जनपद में १५-९-७७ तक मलेरिया से कोई मृत्यु हुई नहीं पाई गई।

जनपद फर्रुखाबाद में मलेरिया की स्थिति

छिड़काव कार्यक्रम :

जनपद फर्रुखाबाद में १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें से ७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के १४ बेसिक हेल्थ वर्कर के क्षेत्रों में (जो २ लाख जनसंख्या में फैले हैं) डी० डी० टी० का छिड़काव दो चक्रों में कराया जा रहा है। छिड़काव का पहला चक्र पूरा हो गया है और दूसरा चल रहा है। दूसरे चक्र के लिए कीटनाशक दवा काफी मात्रा में जिले में उपलब्ध है। छिड़काव के लिए मई तथा अगस्त १९७७ में कुल ४६,००० रुपये की धनराशि दी गई। सितम्बर, १९७७ में १५ हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर, हसेरन, सौरिख तथा उमर्द्धा के लिए अलग से भी स्वीकृत की गई है।

मलेरिया का प्रकोप :

वर्ष १९७७ (अगस्त तक) जिले के १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, २२३ ज्वर उपचार केन्द्रों तथा १४ मलेरिया क्लीनिकों में ०.८७ लाख ज्वर पीड़ितों की रक्त पट्टिकायें बनाई गई जिनमें से ३,२१९ केसेज धनात्मक पाए गए और इनमें २,७३७ (८५ प्रतिशत) केसेज को पांच दिनों का मूल उपचार दिया गया है।

प्रश्नगत ग्राम सिरगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसेरन में स्थित है। वहां इलाहाबाद मण्डल के संयुक्त निदेशक को मौके पर भेजकर जांच कराई गई। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से कोई मृत्यु हुई नहीं पाई गई।

मलेरिया निरोधक औषधि :

जनपद फर्रुखाबाद को १५-९-७७ तक ६.६९ लाख क्लोरोक्वीन की गोलियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से ४.४३ लाख गोलियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वितरित की जा चुकी हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में मलेरिया औषधियां स्टाक में उपलब्ध हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ज्वर पीड़ितों के उपचार के लिए दवा की कमी नहीं है।

यह ही है कि प्रश्नगत ग्राम सिरगौली तथा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा, उमर्द्धा, सौरिख, हसेरन तथा राजेपुर में मलेरिया का प्रकोप है परन्तु वहां मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है। ग्राम सिरगौली के बेसिक हेल्थ वर्कर वहां दो महीने तक नहीं गए और इसके फलस्वरूप ज्वर पीड़ित व्यक्तियों के उपचार में शिथिलता बरती। मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। सम्बन्धित क्षेत्र के हेल्थ इंस्पेक्टर तथा मेडिकल आफिसर इनचार्ज को चेतावनी दी गई है। उक्त चारों प्राथमिक केन्द्रों में छिड़काव कार्य में तेजी

लाने की दृष्टि से अधिक श्रमिकों की व्यवस्था हेतु १५ हजार रुपये की अतिरिक्त रकम मुख्य चिकित्साधिकारी को २८ सितम्बर, १९७७ को स्वीकृत की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसेरन में सितम्बर, १९७७ में २९ ज्वर उपचार केन्द्र और खोल दिए गए हैं, जिनमें से एक केवल ग्राम सिरगौली के लिए रखा गया है।

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, मलेरिया का प्रकोप केवल इस राज्य तक ही सीमित नहीं है। मलेरिया का प्रकोप तो एक अन्तर्प्रदेशीय तथा अन्तर्देशीय समस्या है। राज्य सरकार इस दिशा में जागरूक एवं प्रयत्नशील है कि अन्य राज्यों (यथा हरयाणा, राजस्थान) तथा अन्य देशों (यथा नैपाल तथा पाकिस्तान) में उक्त रोग के प्रकोप का प्रभाव इस राज्य पर न पड़े। इस आशय से अन्तर्प्रदेशीय तथा अन्तर्देशीय बैठकें आयोजित होती हैं। उन बैठकों में विशेषज्ञों द्वारा तय की गई रीति के अनुसार छिड़काव तथा सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।

पी एस०यू०पी --४७ वि० सभा---१-३-१९७८---८४० (पो० डी०)